



(संग्रह)

अगस्त 2023

Drishti, **641**, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar,

Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440,

Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

# अनुक्रम

>	अनियोजित शहरीकरण की चुनौतियाँ	3
>	डिजिटल ब्लैकआउट: द शैडो ऑफ इंटरनेट शटडाउन	6
>	भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर	10
>	भारत में बड़ी बिल्ली प्रजातियों से संबंधित चुनौतियाँ	12
>	G20 और बेहतर वैश्विक शासन के अवसर	16
>	बहुभाषावाद और शिक्षा	20
>	ग्रामीण भारतः प्रगति और समस्याएँ	23
>	सांप्रदायिक हिंसा की निरंतरता	26
>	AB-PMJAY के पाँच वर्ष	28
>	लैंगिक उत्तरदायी शहरी नियोजन	32
>	अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चौथी वर्षगाँठ	34
>	भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी	39
>	भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ	43
>	महिला कृषक और जलवायु चुनौतियाँ	45
>	देश की आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार	48
>	तमिलनाडु में NEET विरोधी आंदोलन	52
>	निर्वाचन पैनल की स्वतंत्रता की रक्षा	54
>	चीन की आर्थिक मंदी के परिदृश्य में भारत की संवृद्धि	56
>	AI व्यवधान संबंधी चुनौतियाँ	58
>	भूस्खलन के प्रति अनुकूलन	61
>	भारत के सामाजिक सुरक्षा संजाल में सुधार	65
>	${ m AI}$ के नैतिक निहितार्थों का अन्वेषण	68
>	भारत और अफ्रीकी स्थिरता संबंधी चुनौतियाँ	71
>	भारत के राजकोषीय संघवाद पर पुनर्विचार	73
>	हिमालय की पारिस्थितिकी चुनौतियाँ	76
>	दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न	79

# अनियोजित शहरीकरण की चुनौतियाँ

हाल के समय में देश भर के प्रमुख शहरों में 'शहरी बाढ़' (Urban Flood) की बारंबारता और गंभीरता में वृद्धि हुई है। दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों में भारी वर्षा के दौरान बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके परिणामस्वरूप शहरी निवासियों को जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे उनके दैनिक जीवन में क्षिति और व्यवधान उत्पन्न हुआ।

शहरी बाढ़ की बारंबार और बढ़ती समस्या एक प्रणालीगत समस्या है और इसका मूल कारण, अन्य मामलों को दरिकनार कर केवल आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देना।

## शहरी बाढ़:

- शहरी बाढ़ घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि के जलप्लावन (inundation) की स्थिति है, जो जल निकासी प्रणालियों की क्षमता से अधिक वर्षा होने के कारण उत्पन्न होती है।
  - शहरी बाढ़, ग्रामीण बाढ़ से अलग स्थिति है क्योंकि शहरीकरण से जलग्रहण क्षेत्र विकसित होते हैं, जिससे बाढ़ की चरम सीमा 1.8 से 8 गुना और बाढ़ की मात्रा 6 गुना तक बढ़ जाती है।
    - परिणामस्वरूप, तेज प्रवाह के कारण बाढ़ बहुत तेजी से आती है (कुछ ही मिनटों में)।

# शहरी बाढ़ में वृद्धि के कारण:

- जलवायु परिवर्तनः
  - इससे अप्रत्याशित मौसम प्रतिरूप विकसित होता है, जिससे तीव्र वर्षा, ग्रीष्म लहर और चक्रवात उत्पन्न होते हैं।
- अनियोजित शहरी विकास:
  - प्राकृतिक संसाधनों पर अनियोजित एवं अवैध गतिविधियों का तीव्र विस्तार शहरों को असुरक्षित बनाता है।

 अनियोजित शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के साथ,
 निर्माण कार्यों में वृद्धि हुई है (विशेषकर निचले इलाकों में) और इसके परिणामस्वरूप जल निकायों की हानि हुई है।

#### मानव अतिक्रमणः


- कंक्रीट संरचना का निर्माण, शहरी बाढ़ का कारण है।
  - जैसे-जैसे शहर में कंक्रीट संरचना की वृद्धि होती जा रही है (पक्के फुटपाथ, सड़कों और बसावट के माध्यम से), वर्षा जल का रिसाव कम हो गया है, जिससे वर्षा जल के अत्यधिक अपवाह में वृद्धि हुई है।

## • अपर्याप्त बाढ् प्रबंधन:

- कई शहरों में उचित बाढ़ नियंत्रण प्रणाली का अभाव है। उदाहरण के लिये शहरी भारत में प्राय: जलभराव की समस्या देखी आती है, जो नगर निकाय की तैयारी में कमी को उजागर करती है।
- अधिकांश भारतीय शहर नदी के पास बसे हैं, जो वृहत बाढ़ के मैदान और आर्द्रभूमियों से संबंधित होते हैं।
- भारत में पिछले 30 वर्षों में 40 प्रतिशत तक आर्द्रभूमि क्षेत्रों में कमी आई है।
  - उदाहरण के लिये, बड़ौदा में वर्ष 2005 और 2018 के बीच 30 प्रतिशत आर्द्रभूमि में कमी आई।
  - वर्ष 1997 में दिल्ली में 1,000 जल निकाय थे, लेकिन अब केवल 700 बचे हैं। प्राकृतिक 'ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर' के इस तरह के नुकसान से बाढ के खतरे बढ़ गए हैं।
  - दिल्ली को वर्ष 2005 से 2023 के बीच बाढ़ की चार बड़ी घटनाओं का सामना करना पड़ा है।

# अपिशष्ट निपटान संबंधी मुद्देः

 जल निकासी प्रणालियों में ठोस अपशिष्ट के अनुचित निपटान से बाढ़ की समस्या और गंभीर हो जाती है।



# शहरी बाढ़ में वृद्धि के कारण शहरी क्षेत्रों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ:

#### अवसंरचना की क्षति:

भारी वर्षा और बाढ़, इमारतों और सड़कों को नुकसान पहुँचा सकती है, जिससे दैनिक जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण: भारतीय शहरों में बार-बार जलजमाव की स्थिति।

## • परिवहन में व्यवधान:

 सड़कों और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में जलजमाव से यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे लोगों के लिये शहर में आवागमन कठिन हो जाता है।

#### • आपातकालीन प्रतिक्रियाः

अप्रत्याशित आपदाएँ शहर के संसाधनों पर दबाव डालती हैं
 और बजट को विकास के बजाय पुनरुद्धार या रिकवरी की
 ओर पुनर्निर्देशित करती हैं।

## प्रदूषण संबंधी मुद्देः

 बड़ी मात्रा में दूषित अपवाह शहरी जल निकासी प्रणालियों को प्रभावित कर सकता है, जिससे 'फ्लैश फ्लड' की स्थिति बन सकती है।

## • सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम:

 शहरी बाढ़ से जलजनित बीमारियाँ, दूषित पेयजल और रोगजनकों के प्रसार का परिदृश्य बन सकता है।

# खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षाः

प्राकृतिक आपदाएँ इन बुनियादी आवश्यकताओं को खतरे में
 डालती हैं. विशेष रूप से तटीय शहरों में।

#### • सामाजिक असमानताः

शहरी बाढ़ प्राय: निम्न आय वाले समुदायों और हाशिये पर स्थित समूहों सिहत भेद्य/संवेदनशील आबादी को अधिक प्रतिकृल रूप से प्रभावित करती है।

# भारत के शहरी नियोजन में व्याप्त कमियाँ:

#### • जल निकाय संबंधी मानचित्रण की उपेक्षाः

देश में सतही जल निकायों के व्यापक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण का अभाव है, जबिक नेशनल डेटाबेस फॉर मैंपिंग एट्रिब्यूइट्स (National Database for Mapping Attributes) में इसकी अपेक्षा की गई है। ऐसी सूचना का अभाव प्रभावी बाढ़ प्रबंधन और शहरी नियोजन को बाधित करता है।

## अपर्याप्त पूर्व-चेतावनी प्रणालीः

- विश्वसनीय पूर्व-चेतावनी प्रणाली को लागू करने की विफलता वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आए विनाशकारी बाढ़ के दौरान स्पष्ट हो गई थी।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) लोगों को आसन्न बाढ़ और भूस्खलन के बारे में प्रभावी ढंग से सूचित नहीं कर सका था, जिसके कारण समय पर निकासी उपायों की कमी की स्थिति बनी।

# • अग्रसिक्रय दृष्टिकोण के बजाय प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण:

बार-बार देखा गया है कि शहरी नियोजन प्राधिकार और सरकारी एजेंसियाँ आपदा हेतु तैयारियों का महत्त्व तब समझती हैं जब आपदा आ जाती है। वर्ष 2015 में चेन्नई की बाढ़ और वर्ष 2018 में केरल की बाढ़ जैसी भारी आपदाओं के समय भी इस बात की पुष्टि हुई।

## स्थानीय निकायों की सीमित तैयारी:

स्थानीय निकायों में प्राय: आपदा स्थितियों के कुशलतापूर्वक प्रबंधन हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण, साधनों और सुविधाओं का अभाव नज़र आता है। आपदा शमन का दायित्व मुख्य रूप से NDMA/SDMA के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जो एक सशक्त स्थानीय स्तर की प्रतिक्रिया क्षमताओं की आवश्यकता को उजागर करता है।

# आपदा निधि का दुरुपयोगः

आपदा प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) को आवंटित धनराशि का कई बार आपदा प्रबंधन से असंबंधित व्ययों के लिये दुरुपयोग होता देखा गया है। यह वित्तीय अनुशासनहीनता, संसाधनों के कुशल उपयोग को लेकर चिंता उत्पन्न करती है।

# आगे की राहः

#### अध्ययन और प्रबंधन योजनाओं का विकास:

शहरी जल निकायों और भूमि उपयोग से जुड़े बाढ़ के खतरों
 और जलग्रहण क्षेत्र को समझने के लिये सभी शहरों में
 अध्ययन किये जाने चाहिये।

## जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिये लघु, मध्यम और दीर्घकालिक उपाय:

 झील और नदी प्रबंधन योजनाओं को परिभाषित किया जाए और इनके रखरखाव तथा अतिक्रमण से मुक्ति के लिये स्थानीय नागरिकों को संलग्न किया जाए।  स्थानीय जल निकायों को टैग करने, अतिक्रमणों पर नजर रखने और मौसम को समझने के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग किया जाए।

## पूर्व-चेतावनी प्रणाली और डेटा एकीकरण में निवेश:

- बदलते मौसम पैटर्न पर रियल-टाइम अपडेट के लिये डॉप्लर रडार सिहत अधिकाधिक पूर्व-चेतावनी प्रणालियों में निवेश किया जाए।
- स्थानीय वर्षा डेटा को केंद्रीय जल आयोग (CWC) और क्षेत्रीय बाढ़ नियंत्रण प्रयासों के साथ एकीकृत किया जाए।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों या 'फ्लिंडिंग हॉटस्पॉट' के लिये सिमुलेशन आयोजित किये जाएँ, विशेष रूप से जब वर्षा पैटर्न बदल रहे हैं।

#### शहर-व्यापी डेटाबेस और आपदा राहत तंत्र का विकास:

- बाढ़ संबंधी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत प्रदान करने के लिये शहर-व्यापी डेटाबेस में निवेश किया जाए।
- निकासी और वर्षा जल नेटवर्क का पुनरुद्धार एवं विस्तार किया जाए।

# शहरों के लिये जल निकासी मास्टर प्लान का विकास करनाः

मौजूदा पाइपलाइनों (अपवाह या वर्ष जल) का सर्वेक्षण किया
 जाए और जल-जमाव वाले क्षेत्रों को चिह्नित किया जाए।

# • शहरी नियोजन और समन्वय में सुधार:

- शहरी जल प्रबंधन से संलग्न एजेंसियों और संस्थानों के बीच समन्वय में सुधार लाया जाए।
- आर्द्रभूमि और जल निकाय संरक्षण के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाए।
- एक सुस्पष्ट शहरी जल नीति विकसित की जाए।
- केंद्रीय आर्द्रभूमि नियामक प्राधिकरण (Central Wetland Regulatory Authority) जैसे नियामक निकायों को सांविधिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाया जाए।
- शहरी जल प्रबंधन में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।

## राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे की सिफ़ारिशों का पालन करनाः

- शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पारंपिरक स्थानीय जल निकायों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार पर नए सिरे से बल देने की आवश्यकता है।
  - ये जल निकाय बेहतर जल स्तर और गुणवत्ता के साथ-साथ बाढ शमन के लिये (विशेष रूप से रेन गार्डन एवं

बायोसवेल्स, अर्बन पार्क, ग्रीन रूफ और ग्रीन वाल्स जैसे क्यूरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से) शहरी नील-हरित अवसंरचना का निर्माण करेंगे।

# शहरी बाढ़ पर नियंत्रण के लिये सफल पहलों के कुछ उदाहरण:

- मैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन (MCC) ने उद्योगों के लिये सीमित और अनियमित जल आपूर्ति को हल करने के लिये अंतिम-उपयोगकर्ता लिंकेज के साथ अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किये हैं।
- सीवेज अपवाह और सुपोषण (eutrophication) से
  मुक़ाबला करने के लिये बेंगलुरु के कैकोंद्रहल्ली झील
  (Kaikondrahalli Lake) से गाद निकाली गई,
  वनस्पित को हटाया गया और इसकी गहराई एवं भंडारण क्षमता
  को 54% तक बढ़ाया गया।
- कुछ देश स्पंज सिटीज (Sponge Cities) की अवधारणा के साथ प्रयोग कर रहे हैं।
  - स्पंज सिटी इस प्रकार का शहर है जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह वर्षा जल के लिये स्पंज की तरह कार्य करता है। यहाँ जल अवशोषित होता है और मृदा के माध्यम से प्राकृतिक रूप से फ़िल्टर होकर जलभृत (aquifers) तक पहुँच जाता है। जलभृत का पुनर्भरण शहर की जल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद करता है।

# शहरी विकास के लिये भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें:

- स्मार्ट सिटीज मिशन
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCCs)
- जलवायु स्मार्ट सिटीज आकलन ढाँचा 2.0
- TULIP: द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम

#### निष्कर्षः

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जलवायु परिवर्तन आकलन रिपोर्ट (2020) में भारी वर्षा की आवृत्ति में वृद्धि की चिंताजनक प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है, जिससे पूरे भारत में (विशेषकर शहरी क्षेत्रों में) बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
- इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल करने के लिये तत्काल कार्रवाई
   आवश्यक है। शहरी बाढ़ की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने के

लिये केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ-साथ नागरिकों की सिक्रिय भागीदारी को संलग्न करते हुए सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।


# डिजिटल ब्लैकआउट: द शैडो ऑफ इंटरनेट शटडाउन

इंटरनेट शटडाउन (Internet shutdowns) इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक संचार में जानबूझकर लागू किया गया व्यवधान है, जो उन्हें किसी विशिष्ट आबादी के लिये या किसी स्थान के भीतर अनुपलब्ध या प्रभावी रूप से अनुपयोगी बना देता है और ऐसा प्राय: सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये किया जाता है। ये मोबाइल इंटरनेट. ब्रॉडबैंड इंटरनेट या दोनों को ही प्रभावित कर सकते हैं।

मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन लागू होने के लगभग तीन माह बाद भी राज्य के निवासियों को अभी तक इंटरनेट तक प्रतिबंधित एवं बाधित पहुँच की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मणिपुर सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए कुछ सुझावों के अनुरूप, कुछ प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं तक ही सीमित एवं सशर्त पहुँच प्रदान की है।

एक्सेस नाउ एंड कीपइटऑन गठबंधन (Access Now and the KeepItOn Coalition) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वर्ष 2022 में 84 बार इंटरनेट शटडाउन लागू किया और लगातार पाँचवें वर्ष सूची में शीर्ष पर रहा। भारत में इस क्षेत्र में सिक्रय एक विधिक सेवा संगठन, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (Software Freedom Law Centre) द्वारा संचालित इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर (Internet Shutdown Tracker) पोर्टल के अनुसार, भारत में वर्ष 2012 से अब तक कुल 665 इंटरनेट शटडाउन के मामले देखे गए और इनमें से 50 प्रतिशत से अधिक शटडाउन वर्ष 2019 से हए।

# India is the worst perpetrator of internet shutdowns



# इंटरनेट शटडाउन के कारण:

- विधि-व्यवस्था संबंधी चिंताएँ:
  - इंटरनेट शटडाउन का एक प्राथमिक कारण नागरिक अशांति,
     विरोध प्रदर्शन या सांप्रदायिक तनाव के दौरान विधि-व्यवस्था को बनाए रखना है।
  - गलत सूचना के प्रसार को रोकने, विरोध प्रदर्शनों के आयोजन पर अंकुश लगाने या संभावित हिंसा को नियंत्रित करने के लिये प्रशासन या प्राधिकारी वर्ग (Authorities) द्वारा शटडाउन लागु किया जा सकता है।

# • राष्ट्रीय सुरक्षाः

- आतंकवादी गितविधियों, संभावित खतरों आदि को रोकने या महत्त्वपूर्ण अभियानों के दौरान गोपनीयता बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट शटडाउन लागू किया जा सकता है।
- परीक्षा में कदाचार रोकनाः
  - कुछ मामलों में, कदाचार और प्रश्नपत्रों के लीक होने पर रोक के लिये महत्त्वपूर्ण परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है।

## . - - - - -

## 'हेट स्पीच' और 'फेक न्यूज़' पर अंकुश लगाना:

 सरकारें ऐसे हेट स्पीच, अफवाहों और फेक न्यूज़ पर नियंत्रण के लिये इंटरनेट शटडाउन का आदेश दे सकती हैं जो हिंसा भड़का सकती हैं या सामाजिक अशांति उत्पन्न कर सकती हैं।

## सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

 संचार चैनलों को प्रबंधित करने और दहशत या गलत सूचना के प्रसार पर नियंत्रण के लिये प्राकृतिक आपदाओं या आपात स्थिति के दौरान इंटरनेट शटडाउन लागू किया जा सकता है।

#### • सोशल मीडिया नियंत्रणः

संवेदनशील घटनाओं के दौरान सूचना के प्रसार को नियंत्रित करने या गोपनीयता एवं सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को हल करने के उद्देश्य विशेष सोशल मीडिया मंचों या ऐप्स को शटडाउन किया जा सकता है।

#### कंटेंट के प्रसार को नियंत्रित करना:

 इंटरनेट शटडाउन का उपयोग विशिष्ट कंटेंट जैसे, वीडियो या इमेज के प्रसार को रोकने के लिये भी किया जा सकता है, जिन्हें हानिकारक या आपत्तिजनक माना जाता है।

## • विरोध और असहमित:

 कुछ मामलों में असंतोष को दबाने और सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों के समन्वय पर अंकुश लगाने के लिये इंटरनेट शटडाउन का सहारा लिया जाता है।

# भारत में इंटरनेट शटडाउन को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून:

- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 5(2), दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के साथ पठित:
  - ये नियम संघ या राज्य के गृह सिचव को सार्वजिनक आपातकाल या सार्वजिनिक सुरक्षा के मामले में किसी भी टेलीग्राफ सेवा (इंटरनेट सिहत) को निलंबित करने का आदेश देने की अनुमित देते हैं।
  - ऐसे आदेश की एक सिमित द्वारा पाँच दिनों के अंदर समीक्षा की जानी चाहिये और यह 15 दिनों से अधिक तक लागू नहीं रह सकता। किसी अत्यावश्यक स्थिति में, संघ या राज्य के गृह सिचव द्वारा अधिकृत संयुक्त सिचव स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी द्वारा यह आदेश जारी किया जा सकता है।

## दंड प्रक्रिया संहिता ( CrPC ) की धारा 144:

 यह धारा एक जिला मजिस्ट्रेट, एक सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट (जिसे राज्य सरकार द्वारा

- विशेष शक्ति सौंपी गई हो) को सार्वजिनक शांति में किसी भी उपद्रव या गड़बड़ी से बचाव या उस पर रोक के लिये ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार देती है।
- ऐसे आदेशों में किसी क्षेत्र विशेष में एक निर्दिष्ट अविध के लिये इंटरनेट सेवाओं का निलंबन शामिल हो सकता है।

## सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A:

- यह धारा केंद्र सरकार को इंटरनेट पर किसी भी ऐसी सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है जिसे वह भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा लोक व्यवस्था या शालीनता अथवा किसी अपराध को उकसाने के लिये हानिकारक मानती है।
- हालाँकि यह धारा केवल विशिष्ट वेबसाइटों या कटेंट को अवरुद्ध करने पर लागू होती है, संपूर्ण इंटरनेट पर नहीं।

# इंटरनेट शटडाउन के प्रमुख प्रभाव:

# अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता पर प्रभावः

- इंटरनेट शटडाउन अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है जिसकी गारंटी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights) के अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई है।
- ये लोगों को सूचना साझा करने एवं उस तक पहुँच रखने, राय
   व्यक्त करने, ऑनलाइन नागरिक मंचों पर भागीदारी करने और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने से अवरुद्ध करते हैं।
- ये शटडाउन से प्रभावित क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों से सूचना के प्रवाह को भी प्रभावित करते हैं, जिससे रिपोर्टिंग और सार्वजनिक जागरूकता की स्थिति कमजोर होती है।

## • आर्थिक प्रभावः

- इंटरनेट शटडाउन की वास्तिवक आर्थिक लागत भी होती है जो व्यक्तियों के साथ-साथ पूरे देश को प्रभावित करती है।
- वे प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक हानि और बेरोजगारी में योगदान करते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिये जो अपनी आजीविका के लिये ऑनलाइन मंचों पर निर्भर होते हैं।
- वे डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाओं, ई-कॉमर्स, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर अन्य क्षेत्रों को भी बाधित करते हैं।
  - यूके में अवस्थित डिजिटल प्राइवेसी ग्रुप Top 10VPN.
     com के एक आकलन के अनुसार, वर्ष 2020 में ही इंटरनेट शटडाउन से भारत को 20,000 करोड़ रुपए (\$2.8 बिलियन) से अधिक का नुकसान हुआ।

- वर्ष 2019 में कश्मीर में छह माह की संचार नाकेबंदी:
  - कश्मीर में संचार नाकाबंदी (communication blockade)—जो वर्ष 2019 में छह माह तक जारी रही थी, के परिणामस्वरूप पाँच लाख से अधिक लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। लंबे समय तक जारी रहे इस इंटरनेट शटडाउन ने क्षेत्र में व्यवसायिक और आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित कर दिया।
- वर्ष 2021 में शटडाउन के कारण राजस्थान को नुकसान:
  - राजस्थान में वर्ष 2021 में एक माह तक जारी रहे शटडाउन से उसे 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
  - यह परिदृश्य उस तात्कालिक और महत्त्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव को उजागर करता है जो अल्पकालिक इंटरनेट शटडाउन से भी स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
- देश भर में इंटरनेट शटडाउन:
  - वर्ष 2022 में देश भर में अलग-अलग क्षेत्रों में इंटरनेट शटडाउन से 1,500 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ।
  - यह आँकड़ा उस अवधि के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों
     में लागू विभिन्न शटडाउन के संचयी प्रभाव को दर्शाता
     है।
  - वर्ष 2023 की पहली छमाही में ही इंटरनेट शटडाउन से अनुमानित 2,091 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।
     यह देश में इंटरनेट व्यवधानों के वित्तीय परिणामों के संदर्भ में बिगडती स्थिति का संकेत देता है।
- 'डिजिटल डिवाइड' का गहरा होना:
  - इंटरनेट शटडाउन उन लोगों के बीच डिजिटल डिवाइड (Digital Divide) को भी गहरा करता है जिनके पास विश्वसनीय एवं सस्ते इंटरनेट तक पहुँच है और जिनके पास यह पहुँच नहीं है।
  - ये ग्रामीण आबादी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, निम्न आय परिवारों और दिव्यांगजनों जैसे हाशिये पर स्थित समूहों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं।
  - ये सरकार के 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण के भी विरुद्ध हैं जिसका उद्देश्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाना है।
- भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयः अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ ( 2020 ):
  - इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया, जहाँ माना कि इंटरनेट के माध्यम से अभिव्यक्ति

- की स्वतंत्रता का अधिकार और व्यापार एवं कारोबार का अधिकार क्रमश: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संरक्षित मूल अधिकार हैं।
- न्यायालय ने यह भी माना कि इंटरनेट शटडाउन संवैधानिक समीक्षा के अधीन है और इसे आवश्यकता एवं आनुपातिकता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिये। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि इंटरनेट तक पहुँच पर कोई भी प्रतिबंध प्रासंगिक भौतिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिये और व्यक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपाय होना चाहिये।
- निर्णय में यह सुनिश्चित करने के लिये दिशानिर्देश भी जरी किये गए कि इंटरनेट शटडाउन अनिश्चित काल के लिये लागू नहीं हो और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाला कोई भी आदेश प्रकाशित किया जाना चाहिये तथा यह न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिये। इस निर्णय ने भारत में इंटरनेट शटडाउन की वैधता और संवैधानिकता के मूल्यांकन के लिये एक महत्त्वपूर्ण विधिक दृष्टांत एवं रूपरेखा प्रदान की।
- फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश (2020):
  - इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू और कश्मीर प्रशासन को इंटरनेट पहुँच पर सभी मौजूदा प्रतिबंधों की समीक्षा करने का निर्देश दिया और कहा कि इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार एक मूल अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिये।
- इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन बनाम भारत संघ ( 2020 ):
  - इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Amendment Act- CAA) के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान इंटरनेट शटडाउन सहित देश के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट शटडाउन के अन्य मामलों को इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) द्वारा चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई की।
  - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को नोटिस जारी कर IFF की दलीलों पर जवाब की मांग की गई।

# इंटरनेट शटडाउन से संबंधित विभिन्न तर्कः

- पक्ष में तर्कः
  - हेट स्पीच और फेक न्यूज़ पर रोक के लिये आवश्यक:
    - इंटरनेट का उपयोग विभिन्न धार्मिक और जातीय समूहों के विरुद्ध घृणा और शत्रुता के प्रसार के लिये किया जा सकता है।

- इंटरनेट शटडाउन जेनोफोबिक प्रवृत्तियों और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने में मदद कर सकता है।
- विधि-व्यवस्था बनाए रखना:
  - हिंसा और अव्यवस्था भड़काने वाले उत्तेजक संदेशों एवं अफ़वाहों के प्रसार पर रोक लगाकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और नागरिक अशांति से निपटने के लिये अधिकारियों द्वारा इंटरनेट शटडाउन को अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- अराजकता से बचनाः
  - कुछ चरम स्थितियों में जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यवधान और भ्रम का स्रोत बन जाते हैं, शांति-व्यवस्था की बहाली के लिये इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना आवश्यक सिद्ध हो सकता है।

## विपक्ष में तर्कः

- मानवाधिकारों का उल्लंघन:
  - फाहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय ने इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में चिह्नित किया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का अंग है।
  - इंटरनेट शटडाउन इन अधिकारों का उल्लंघन करता है
     और लोगों की संचार, अभिव्यक्ति, लर्निंग तथा सूचना तक पहुँच की क्षमता को सीमित करता है।
- सामाजिक लागतः
  - इंटरनेट शटडाउन से इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजिनक सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रभावित होती हैं।
  - इंटरनेट शटडाउन शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल डिवाइड और असमानता भी उत्पन्न करता है। यह बात कोविड-19 महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से प्रकट हुई जब ऑनलाइन लर्निंग अत्यंत आवश्यक बन गई।
- उद्देश्य प्राप्त करने में विफलता:
  - इस बात का कोई निर्णायक साक्ष्य मौजूद नहीं है कि
     इंटरनेट शटडाउन से लोक व्यवस्था का संरक्षण होता है
     या इसकी बहाली में मदद मिलती है।
  - वस्तुत: इंटरनेट शटडाउन का और अधिक असंतोष,
     हताशा एवं आक्रोश के रूप में विपरीत असर ही उत्पन्न हो सकता है।

- सामाजिक अव्यवस्थाः
  - इंटरनेट शटडाउन से सूचना और पारदर्शिता की कमी की स्थिति बनती है जिससे घबराहट और उन्माद में वृद्धि हो सकती है।
  - यह जमीनी स्थिति की निगरानी रखने और इसकी रिपोर्ट करने के नागरिक समाज, मीडिया तथा मानवाधिकार रक्षकों के प्रयासों में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है।

## आगे की राहः

# • कानूनी ढाँचे में सुधार करना:

- सरकार को टेलीग्राफ अधिनियम और उसके नियमों को निरस्त या संशोधित करना चाहिये, जो पुराने एवं अस्पष्ट हैं तथा उन संवैधानिक तथा मानवाधिकार संबंधी मानकों का अनुपालन नहीं करते हैं जहाँ इंटरनेट तक पहुँच पर किसी भी प्रतिबंध से आवश्यक, वैध, आनुपातिक एवं समयबद्ध होने की अपेक्षा रखी गई है।
- केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के लिये भी स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने चाहिये कि असाधारण परिस्थितियों में इंटरनेट पर प्रतिबंध कब और कैसे लगाए जाएँ (जिस तरह की अनुशंसा इंटरनेट शटडाउन पर एक संसदीय पैनल की रिपोर्ट में की गई है)।

#### • सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करनाः

- प्राधिकारी वर्ग को अनुराधा भसीन मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करना चाहिये, जहाँ इंटरनेट तक पहुँच के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में चिह्नित किया गया है और किसी भी इंटरनेट प्रतिबंध के लिये तर्कसंगतता एवं आनुपातिकता के सिद्धांत निर्धारित किये गए हैं।
- प्राधिकारी वर्ग को इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने वाले सभी आदेशों को प्रकाशित भी करना चाहिये और उन्हें आम लोगों के लिये सुलभ बनाना चाहिये तथा न्यायिक समीक्षा के अधीन लाना चाहिये।

#### शटडाउन के विकल्पों की तलाश:

सरकार को विध-व्यवस्था की गड़बड़ी, सांप्रदायिक हिंसा, आतंकवादी हमलों, परीक्षाओं में कदाचार और राजनीतिक अस्थिरता से निपटने के लिये अन्य कम हस्तक्षेपकारी उपायों पर विचार करना चाहिये। जैसे विशिष्ट वेबसाइटों या कंटेंट को अवरुद्ध करना, चेतावनी या सलाह जारी करना, नागरिक समाज एवं मीडिया से संलग्नता बढ़ाना या सुरक्षा बलों की तैनाती में उनके संख्या बल की वृद्धि करना।

#### शटडाउन के प्रभाव का आकलनः

- सरकार को मानवाधिकारों, लोकतंत्र और विकास पर इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन करना चाहिये।
- इसे उन लोगों को मुआवजा भी देना चाहिये जो इंटरनेट शटडाउन के कारण नुकसान या क्षित का सामना करते हैं (विशेष रूप से ग्रामीण आबादी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, निम्न आय परिवारों और दिव्यांगजन जैसे कमजोर समूहों को)।

# भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्क्चर

डिजिटल पब्लिक गुड्स (Digital Public Goods-DPGs), ऐसे डिजिटल पैथवे हैं जो आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने और समाज को समग्र रूप से लाभ पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये DPGs डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure- DPI) पर निर्मित हैं, जिसमें खुले/ओपन और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो उपयोग और विकास के लिये हर किसी के लिये भी सुलभ हैं।

भारत ने इस क्षेत्र में अग्रणी हितधारक के रूप में आधार (Aadhaar), यूपीआई (UPI) और अकाउंट एग्रीगेटर्स (account aggregators) सहित विभिन्न DPI प्रयोगों को लागू किया है। इन पहलों ने डिजिटल परिदृश्य में क्रांति ला दी है, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय और सामाजिक समावेशन सक्षम हो रहा है। भारत का DPI पारितंत्र, जिसे 'इंडिया स्टैक' (India Stack) के नाम से जाना जाता है, परस्पर जुड़े हुए लेकिन स्वतंत्र 'ब्लॉक' (blocks) से बना है जो पहचान, भुगतान, डेटा साझाकरण और सहमित तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। इंडिया स्टैक की मॉड्यूलर परतें डिजिटल क्षेत्र में नवाचार, समावेशन और प्रतिस्पर्द्धा के अवसर मृजित करती हैं।

# इंडिया स्टैक:

- इंडिया स्टैक, एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (Application programming interface- APIs) का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप्स और डेवलपर्स को प्रजेंस-लेस, पेपरलेस और कैशलेस सेवा वितरण की दिशा में भारत की जटिल समस्याओं को हल करने के लिये एक अद्वितीय डिजिटल अवसंरचना का उपयोग करने की अनुमित देता है।
- यह आबादी के पैमाने पर पहचान, डेटा और भुगतान की आर्थिक प्राथमिकताओं को अनलॉक करने का लक्ष्य रखता है।
- इंडिया स्टैक का दृष्टिकोण किसी एक देश तक सीमित नहीं है;
   इसे किसी भी राष्ट्र पर लागू किया जा सकता है, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो या विकासशील राष्ट्र।

इस परियोजना की संकल्पना और पहली बार कार्यान्वयन भारत में किया गया, जहाँ करोड़ों व्यक्तियों एवं व्यवसायों द्वारा इसे तेज़ी से अपनाने से वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिली तथा देश, 'इंटरनेट युग' के लिये तैयार हो सका है।



# समावेशी DPIs के लिये आवश्यक प्रमुख तत्त्व:

- उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइन:
  - उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं एवं पसंदों को प्राथमिकता देना, प्रौद्योगिकी जोखिमों को कम करना और विविध समूहों को सेवा देना, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो स्मार्टफोन तक सीमित पहुँच रखते हैं या निम्न डिजिटल साक्षरता रखते हैं।
- नीति उद्देश्यः
  - नियामक ढाँचे के तहत एक प्रमुख नीति उद्देश्य के रूप में समावेशन को शामिल करना, सभी उपयोगकर्ताओं के लिये डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करना एवं क्षेत्रों या समुदायों के बीच सूचना असमानताओं (information disparities) से बचना।
- 'युज़ केस' का विकास करना:
  - वंचित वर्गों की पहचान करना और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप 'यूज केस' (Use Cases) विकसित करना।
    - अलग-अलग डेटा संग्रह और फीडबैक तंत्र के माध्यम से कमजोर उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव की नियमित रूप से निगरानी करना।

#### संलग्नताः

ऑफ़लाइन चैनलों, संस्थागत क्षमता निर्माण, विश्वास-निर्माण और जागरूकता सृजन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के साथ संलग्नता बनाना। कमजोर उपभोक्ताओं के बीच डिजिटल सुविधा को बढ़ावा देने के लिये बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या सामुदायिक हितधारकों जैसे विश्वसनीय मानवीय संपर्क बिंदुओं का लाभ उठाना।

## भारत के लिये समावेशी DPIs के लाभ:

## • समतामुलक डिजिटल अर्थव्यवस्थाः

समावेशी DPIs एक अधिक समतामूलक और सुलभ डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं जो सभी नागरिकों तथा संगठनों को समान रूप से आवश्यक सेवाएँ प्रदान करती है।

#### धन अंतराल में कमी:

 धन के अंतराल को कम करना और एक कुशल एवं प्रत्यास्थी डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जो आर्थिक विकास और सामाजिक विकास को गित दे।

## डिजिटल समावेशन और सशक्तीकरण:

समावेशी DPIs यह सुनिश्चित करते हैं कि हाशिये पर स्थित और वंचित समुदायों सिहत समाज के सभी वर्गों की आवश्यक डिजिटल सेवाओं तक पहुँच हो। यह डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देता है, व्यक्तियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने, सूचना तक पहुँच रखने और उन्हें विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिये सशक्त बनाता है।

#### उन्नत सेवा वितरणः

समावेशी DPIs स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन जैसी सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में सुधार लाते हैं। डिजिटल चैनलों के माध्यम से सरकारी एजेंसियाँ नागरिकों तक अधिक कुशलता से पहुँच सकती हैं, नौकरशाही बाधाएँ कम हो सकती हैं एवं इससे बेहतर सेवा परिणाम सुनिश्चित किया जा सकता है।

#### • कम लेन-देन लागत:

समावेशी DPIs के माध्यम से डिजिटल लेन-देन में पारंपरिक तरीकों की तुलना में लेन-देन की लागत प्राय: कम होती है। यह विभिन्न लेन-देन संचालन लागत को कम कर व्यवसायों, उपभोक्ताओं और सरकार को लाभ पहुँचाता है।

#### डेटा-संचालित शासन और निर्णयन प्रक्रिया:

समावेशी DPIs विभिन्न स्रोतों से डेटा के संग्रह और विश्लेषण की सुविधा प्रदान करते हैं। डेटा-संचालित दृष्टिकोण से शासन, सार्वजिनक नीति और सेवा वितरण में अधिक सूचना-संपन्न निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

## 🕨 उन्नत कृषि पद्धतियाँ:

समावेशी DPIs िकसानों को मौसम, बाजार मूल्यों और सर्वोत्तम कृषि प्रणालियों से संबंधित सूचना प्रदान कर सकते हैं। इससे उन्हें बेहतर निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कृषि उत्पादकता में सुधार होता है।

#### आपटा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया:

समावेशी DPIs, आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे अधिकारियों को शीघ्रता से सूचना प्रसारित करने एवं राहत प्रयासों का अधिक प्रभावी ढंग से समन्वय करने में सक्षम बनाते हैं।

# भारत में DPIs से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ:

## • अवसंरचना तक पहुँच का अभाव:

कई भूभागों में (विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में) विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना तक अपर्याप्त पहुँच के अभाव की स्थिति है। बिजली तक सीमित पहुँच और कंप्यूटर एवं स्मार्टफोन जैसे आवश्यक डिजिटल हार्डवेयर का अभाव इस समस्या को और बढ़ा देता है।

## 'डिजिटल डिवाइड':

भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच काफी अधिक 'डिजिटल डिवाइड' बना हुआ है। शहरी केंद्रों में आमतौर पर डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं तक बेहतर पहुँच होती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी होती है तथा ये तकनीकी असमानताओं (technological disparities) का सामना करते हैं।

#### वहनीयताः

डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध हों तो भी इंटरनेट तक पहुँच और डिजिटल उपकरणों की लागत कई व्यक्तियों और परिवारों के लिये (विशेष रूप से निम्न आय समुदायों से संबंधित) निषेधात्मक सिद्ध हो सकती है।

# भाषा और कंटेंट संबंधी बाधाएँ:

कुछ प्रमुख भाषाओं में कंटेंट का प्रभुत्व गैर-अंग्रेजी भाषी लोगों को या उन लोगों को अपवर्जित कर सकता है जो किसी प्रमुख भाषा में कुशल नहीं हैं। स्थानीयकृत और प्रासंगिक सामग्री की कमी महत्त्वपूर्ण सूचना और सेवाओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

## शारीरिक और संज्ञानात्मक विकलांगताएँ:

डिजिटल प्लेटफॉर्म में सीमित पहुँच सुविधाओं और डिजाइन संबंधी सीमितताओं के कारण विकलांग व्यक्तियों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बनाने तथा उनका उपयोग करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

## गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

गोपनीयता के उल्लंघन और डेटा सुरक्षा संबंधी मुद्दों का भय, व्यक्तियों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने से हतोत्साहित कर सकता है (विशेष रूप से जब संवेदनशील सूचना को लेकर कोई भय हो) ।

## भौगोलिक विषमताएँ:

शहरी क्षेत्रों में प्राय: ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों की तुलना में डिजिटल अवसंरचना तथा सेवाओं तक बेहतर पहुँच की स्थित होती है, जिससे डिजिटल समावेशन में विषमताएँ उत्पन्न होती हैं।

## आगे की राहः

#### • नीति और नियामक समर्थन:

सरकार को ऐसी नीतियाँ का निर्माण और क्रियान्वयन करना चाहिये जो डिजिटल समावेशन को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में प्राथमिकता दें। नियामक ढाँचे के माध्यम से डेटा सुरक्षा, गोपनीयता और डिजिटल सेवाओं तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिये। सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने से संसाधन एवं विशेषज्ञता जुटाने में मदद मिल सकती है।

#### डिजिटल अवसंरचना में निवेश:

इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं तक पहुँच में सुधार के लिये (विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में) डिजिटल अवसंरचना में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिये। इसमें ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार करना और सस्ती एवं विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएँ सुनिश्चित करना शामिल है।

# स्थानीयकृत कंटेंट और भाषा विविधताः

विविध भाषाई समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाने चाहिये। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सूचना और सेवाएँ वृहत आबादी तक पहुँच सकें।

# लक्षित 'यूज़ केस' और सेवाएँ:

लक्षित यूज केस और सेवाओं की पहचान करना तथा इन्हें विकसित करना आवश्यक है, जो वंचित समुदायों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों। इससे डिजिटल अंगीकरण को बढ़ावा मिल सकता है।  उदाहरण के लिये, डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल समाधान, कृषि सलाह और डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म ग्रामीण आबादी को लाभ पहुँचा सकते हैं।

# भारत में बड़ी बिल्ली प्रजातियों से संबंधित चुनौतियाँ

भारत का विशाल भूदृश्य बड़ी बिल्ली प्रजातियों (big cat species) की उपस्थित से संपन्न है, जिनमें से प्रत्येक प्रजाति शक्ति, भव्यता और देश की प्राकृतिक विरासत से अभिन्नता को प्रकट करती है। घने जंगलों में विचरण करने वाले रॉयल बंगाल टाइगर से लेकर उच्च हिमालय में अपनी छाप रखने वाले हिम तेंदुए तक, ये शीर्ष शिकारी जीव न केवल भारत की जैव विविधता के प्रतीक हैं बिल्क संवेदनशील पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षक भी हैं। उनकी सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता को चिह्नित करते हुए भारत ने वर्ष 1973 में 'प्रोजेक्ट टाइगर' (Project Tiger) नामक एक दूरदर्शी पहल की शुरुआत की थी, जो बड़ी बिल्लियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

भारतीय वन्यजीव संस्थान (Wildlife Institute of India) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority) द्वारा भारत के बाघ अभयारण्यों (tiger reserves) के लिये तैयार की गई 'भारत में बाघ अभयारण्यों का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (Management Effectiveness Evaluation- MEE), 2022 (पाँचवाँ चक्र) रिपोर्ट' इस संबंध में हुई प्रगति और चुनौतियों की एक मिश्रित तस्वीर पेश करती है। भारत में जंगली बाघों की आबादी वर्ष 2006 के 1,400 से बढ़कर 3,167 होने के साथ चिंताएँ उभर रही हैं, जहाँ इस बढ़ती संख्या को संभाल सकने की देश की वन क्षमता के बारे में चर्चा शरू हो गई है।

# प्रोजेक्ट टाइगरः

#### • परिचयः

 बाघ परियोजना या 'प्रोजेक्ट टाइगर' भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है।

#### • उहेश्य

- बाघों के पर्यावासों में कमी लाने वाले कारकों पर नियंत्रण करना और उपयुक्त प्रबंधन द्वारा इनका शमन करना।
- अधिकतम संभव सीमा तक पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्प्राप्ति को सुगम बनाने के लिये पर्यावास को हुई क्षिति का पुनरुद्धार करना।
- आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सौंदर्यात्मक और पारिस्थितिकी मूल्यों के लिये व्यवहार्य बाघ आबादी को सुनिश्चित करना।

# प्रोजेक्ट टाइगर से प्राप्त लाभ:

- बाघ संख्या की पुनर्प्राप्तिः
  - प्रोजेक्ट टाइगर का एक प्राथिमक उद्देश्य बाघों की आबादी में गिरावट की प्रवृत्ति को उलटना था।
  - समर्पित संरक्षण प्रयासों के माध्यम से इस परियोजना ने देश
     भर में नामित बाघ अभयारण्यों में बाघों की संख्या में
     सफलतापूर्वक वृद्धि दर्ज की है।
    - आबादी में यह वृद्धि न केवल प्रजातियों को संरक्षित करती है बिल्क पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य में भी योगदान करती है।

## • पर्यावास संरक्षणः

- प्रोजेक्ट टाइगर बाघ पर्यावासों की सुरक्षा पर बल देता है,
   जिसका पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- यह पिरयोजना इन भूदृश्यों की सुरक्षा कर अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पितयों और जीवों की एक विस्तृत शृंखला को लाभ पहुँचाती है, जो अस्तित्व के लिये इन पर्यावासों पर निर्भर हैं।
  - यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में योगदान देता है।

# • आर्थिक मूल्य और पर्यटन:

- बाघ आकर्षक बड़े जीव (megafauna) हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बाघों की आबादी के संरक्षण में परियोजना की सफलता से पर्यावरण-पर्यटन (eco-tourism) में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय समुदायों के लिये और देश के लिये राजस्व का मुजन हुआ है।
  - यह आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों
     में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करने में मदद करता है।

## पारिस्थितिकी संतुलनः


- बाघ शीर्ष शिकारी जीव हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- शिकार (prey) की आबादी को नियंत्रित करके, वे अतिचारण (overgrazing) पर नियंत्रण रखते हैं और शाकाहारी प्रजातियों के स्वास्थ्य को प्रबंधित करने में मदद करते हैं।
  - बदले में, इसका वनस्पित और अन्य पशु आबादी पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जो एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देता है।

## की-स्टोन प्रजातियों का संरक्षणः

- बाघों को की-स्टोन प्रजाति (Keystone Species) माना जाता है क्योंकि उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति उनके पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना को वृहत रूप से प्रभावित कर सकती है।
  - की-स्टोन प्रजाति की अवधारणा वर्ष 1969 में प्राणी विज्ञानी रॉबर्ट टी. पेन (Robert T. Paine) द्वारा पेश की गई थी, जो ऐसी प्रजाति को इंगित करती है जो अपनी बहुतायतता के सापेक्ष अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर असमान रूप से वृहत प्रभाव डालती है।
- प्रोजेक्ट टाइगर बाघों का संरक्षण कर अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य प्रजातियों की संरक्षा करता है जो खाद्य जाल के तहत एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
  - इससे पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र स्थिरता बनाए रखने
     में मदद मिलती है।

# Big cat count

According to the data released by the PM, the number of tigers in India increased by 200 in the past four years. A look at the tiger population





Steady rise: A tiger at Van Vihar National Park in Bhopal on Sunday. PTI

# प्रोजेक्ट टाइगर से संबंद्ध चुनौतियाँ:

- पर्यावास हानि और विखंडनः
  - तीव्र शहरीकरण, अवसंरचना विकास और कृषि विस्तार के कारण पर्यावास की हानि हुई है और उनका विखंडन हुआ है।
    - इससे बाघों की गतिविधियों के लिये जगह की कमी होने से उनके लिये बड़ा खतरा उत्पन्न हुआ है।
- मानव-वन्यजीव संघर्षः
  - बाघ पर्यावासों के संकुचन और मानव आबादी के विस्तार के साथ मानव-बाघ संघर्ष की घटनाएँ बढ़ी हैं।
  - बाघ पशुधन या यहाँ तक िक मनुष्यों पर भी हमला कर सकते हैं, जिससे प्रतिशोध में उनकी हत्याएँ की जा सकती हैं और बाघ संरक्षण के बारे में नकारात्मक धारणाएँ पैदा हो सकती हैं। स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं और बाघ संरक्षण के बीच संतुलन रखना एक कठिन चुनौती है।
- अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार:
  - संरक्षण प्रयासों के बावजूद, अवैध शिकार एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। पारंपरिक चिकित्सा में बाघ के अंगों की मांग और इनका अवैध व्यापार इस प्रजाति के लिये खतरा उत्पन्न करता है।

- इस अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिये शिकारियों
   और तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।
- पर्यावासों के बीच कनेक्टिविटी का अभाव:
  - विखंडित पर्यावासों में बाघों की पृथक आबादियों को आनुवंशिक बाधाओं और निम्न आनुवंशिक विविधता जैसे संकटों का सामना करना पड़ता है।
  - आनुवंशिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और बाघों को विभिन्न क्षेत्रों के बीच स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकने का अवसर देने के लिये इन आबादियों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिये गलियारों का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है।

# जलवायु पिरवर्तन का प्रभावः

- बदलती जलवायु पिरिस्थितियाँ बाघों के पर्यावास और शिकार की उपलब्धता को बदल सकती हैं, जिससे उनके अस्तित्व पर असर पड़ सकता है।
- प्रोजेक्ट टाइगर को इन परिवर्तनों के अनुकूल होने और बाघों एवं उनके पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये जलवायु प्रत्यास्थता रणनीतियों (climate resilience strategies) को शामिल करना चाहिये।

## सीमित सामुदायिक भागीदारीः

सफलता के लिये संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि सीमित सामुदायिक भागीदारी और बाघ अभयारण्यों से होने वाले सीमित लाभों के कारण संरक्षण पहल के लिये प्रतिरोध और समर्थन की कमी की स्थिति भी बन सकती है।

## • संरक्षण और विकास के बीच संघर्ष:

- बाँधों या सड़कों जैसी विकास परियोजनाओं के साथ संरक्षण लक्ष्यों को संतुलित करने से संघर्ष की स्थिति बन सकती है।
- मानवीय आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण दोनों को ध्यान में रखते हुए सतत् विकास सुनिश्चित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

# बाघों का समर्थन कर सकने में वन क्षमता की सीमितता से जुड़ी चिंताएँ:

## संरक्षित क्षेत्रों से बाहर विचरण:

बाघों की लगभग 30% आबादी संरक्षित क्षेत्रों के बाहर विचरण करती है और नियमित रूप से मानव बस्तियों में प्रवेश करती है, जिससे मानव-बाघ संघर्ष की स्थित बनती है।

# • सिकुड़ते बाघ गलियारे:

रेलवे लाइनों, राजमार्गों और नहरों जैसे रैखिक अवसंरचना के निर्माण के परिणामस्वरूप बाघ गलियारे सिकुड़ गए हैं, जो दो बड़े वन क्षेत्रों को जोड़ने वाली आवश्यक पट्टी के रूप में कार्य करते हैं।

# मानव-प्रधान भूदृश्यों में प्रवेशः

- माना जाता है कि बाघ उन शाकाहारी जीवों की तलाश में वनों से बाहर निकल आते हैं जो मानव-प्रधान भूदृश्यों में अधिक प्रवेश करने लगे हैं।
- यह व्यवहार पंचफूली या 'लैंटाना' (Lantana) जैसी आक्रामक प्रजातियों द्वारा प्राकृतिक वनस्पतियों के अधिग्रहण से प्रेरित है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर रही हैं और शाकाहारी वन्यजीवों को मनुष्यों के निवास क्षेत्रों में खाद्य की तलाश में आने के लिये विवश होना पडता है।

#### • वहन क्षमताः

बाघों की बढ़ती आबादी के साथ, यह सवाल खड़ा हुआ है कि क्या भारत के वन इन शीर्ष शिकारी जीवों का वहन कर सकने में अपनी क्षमता की अंतिम सीमा के निकट पहुँच रहे हैं।

#### असमान वितरणः

जबिक भारत में 75,000 वर्ग किमी. में विस्तृत 53 बाघ अभ्यारण्य हैं, बाघ संरक्षण के लिये आरक्षित क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा 20 अभ्यारण्यों के दायरे में आता है, जिससे बाघ जनसंख्या के असमान वितरण की स्थिति बनती है।

#### मानव-बाघ संघर्षः

अक्षम/वृद्ध जंगली बाघों को खाना खिलाने एवं उनका बचाव करने, बाघ पर्यावासों को कृत्रिम रूप से समृद्ध करने और 'समस्याजनक' बाघों ('problem' tigers) को स्थानांतरित करने जैसे समाधानों के माध्यम से उभरते मानव-बाघ संघर्षों को हल करने का प्रयास किया गया है।

# भारत में बड़ी बिल्ली प्रजातियों के लिये कार्यान्वित प्रमुख संरक्षण प्रयासः

## • 'प्रोजेक्ट लायन':

- गंभीर रूप से संकटग्रस्त (critically endangered) एशियाई शेर प्रजाति के संरक्षण के लिये शेर संरक्षण पिरयोजना या प्रोजेक्ट लायन (Project Lion) शुरू किया गया, जो मुख्य रूप से गुजरात के गिर वन राष्ट्रीय उद्यान पर केंद्रित है।
- यह पहल पर्यावास प्रबंधन, वैज्ञानिक अनुसंधान, अवैध शिकार विरोधी उपायों और सामुदायिक भागीदारी पर बल देती है। इसका उद्देश्य एशियाई शेरों की एक स्थायी और वृद्धिशील बढ़ती आबादी सुनिश्चित करना है।

#### • 'प्रोजेक्ट लेपर्ड':

- तेंदुओं के व्यापक वितरण और उनकी अनुकूलनीय प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रोजेक्ट लेपर्ड (Project Leopard) शुरू किया गया है।
- इसमें तेंदुओं की आबादी की निगरानी करना, मानव-तेंदुआ संघर्ष को कम करना और संरक्षित क्षेत्रों एवं गिलयारों के माध्यम से उनके पर्यावासों को संरक्षित करना शामिल है।

# • हिम तेंदुआ संरक्षण (Snow Leopard Conservation):

- भारत के हिमालयी भूदृश्य हिम तेंदुए के लिये पर्यावास का निर्माण करते हैं। इनके संरक्षण प्रयासों में पर्यावास संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता, अनुसंधान और अवैध शिकार विरोधी उपाय करना शामिल हैं।
- पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग से उच्च क्षेत्रों में रहने वाले इस शिकारी जीव को संरक्षित करने में मदद मिलती है।

# चीता पुनःप्रवेश परियोजना (Cheetah Reintroduction Project):

भारत ने विलुप्त हो चुकी चीता प्रजाति को उनके मूल पर्यावास में पुन:स्थापित करने के लिये कदम उठाया है। इस पहल में उपयुक्त क्षेत्रों का चयन करना, पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्बहाल करना और व्यवहार्य चीता आबादी को पुन:स्थापित करने एवं बनाए रखने में उत्पन्न संभावित चुनौतियों का समाधान करना शामिल है।

#### विधान और नीतिगत ढाँचा:

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 जैसे अधिनियम बड़ी बिल्ली प्रजाति के संरक्षण के लिये कानूनी आधार प्रदान करते हैं। ये कानून शिकार, अवैध शिकार और वन्यजीवों (एवं उनके व्युत्पन्न उत्पादों) के व्यापार को नियंत्रित करते हैं।

## आगे की राहः

## • पर्यावास संरक्षण और पुनर्स्थापन को सुदृढ़ करना:

- जनसंख्या वृद्धि और आनुवंशिक विविधता के लिये पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करते हुए महत्त्वपूर्ण बाघ पर्यावासों की पहचान की जाए और उन्हें आगे के अतिक्रमण से बचाया जाए।
- प्रत्यास्थी और परस्पर जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये पर्यावास पुनर्बहाली प्रयासों (पुनर्वनीकरण और आक्रामक प्रजातियों को हटाने सहित) में निवेश किया जाए।

# अवैध शिकार विरोधी उपायों को सुदृढ़ करनाः

- अवैध शिकार और वन्यजीव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिये आधुनिक तकनीक, खुिफया नेटवर्क और त्विरित प्रतिक्रिया टीमों के माध्यम से कानून प्रवर्तन को सशक्त किया जाए।
- अपराधियों/उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कठोर दंड लागू किये जाएँ और अवैध वन्यजीव व्यापार नेटवर्क के उन्मूलन के लिये अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर कार्य किया जाए।

# सतत्⁄संवहनीय मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देनाः

- ऐसे समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल विकसित और कार्यान्वित किये जाएँ जो स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करें, उन्हें वैकल्पिक आजीविका प्रदान करें और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद करें।
- मानव-बाघ संघर्ष को कम करने और मनुष्यों एवं वन्य जीवों दोनों के लिये सुरक्षा बढ़ाने के लिये पूर्व-चेतावनी प्रणाली जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों को नियोजित किया जाए।

## जलवायु-प्रत्यास्थी रणनीतियों को एकीकृत करनाः

- बाघों के पर्यावास और शिकार की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिये बाघ अभयारण्यों के तहत जलवायु अनुकूलन योजनाएँ विकसित की जाएँ।
- ऐसे बफर जोन स्थापित किये जाएँ जो चरम मौसमी घटनाओं के दौरान वन्यजीवों के लिये शरणस्थली के रूप में कार्य कर सकें।

## वहन क्षमता संबंधी चिंताओं का समाधान करनाः

- भारत के वनों की वहन क्षमता का आकलन करने के लिये व्यापक अध्ययन आयोजित किये जाएँ और यह सुनिश्चित किया जाए कि बाघों की वर्तमान और भविष्य की आबादी सतत्/संवहनीय बनी रहे।
- आनुवंशिक आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और बाघों को फलने-फूलने में सक्षम बनाने के लिये बाघ गिलयारों के निर्माण एवं पुनर्बहाली को प्राथिमकता दी जाए।

# G20 और बेहतर वैश्विक शासन के अवसर

विश्व जलवायु परिवर्तन, सामाजिक-आर्थिक असमानता, गरीबी और संघर्ष जैसे कई संकटों का सामना कर रहा है। आर्थिक विकास का वर्तमान मॉडल समतामूलक नहीं है। केवल आर्थिक विकास से विश्व की समस्याएँ हल नहीं होंगी; इसे संवहनीय और समतामूलक भी होना चाहिये।

G20—जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 80% और वैश्विक आबादी के दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करता है, वैश्विक शासन के लिये सबसे प्रभावशाली मंच में से एक है। हालाँकि वर्तमान में यह गितरोध का सामना कर रहा है जहाँ अमेरिका चाहता है कि इसके सदस्य रूस और चीन को इससे बाहर कर दें, जिन्हें वह अपने व्यक्तिगत लाभ में बाधक के रूप में देखता है। G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत G-7 के दबाव में नहीं आया है और चाहता है कि G20 मानव जाति के 90% भाग के एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करे जो G7 के दायरे से बाहर है।

G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने दुनिया के सभी नागरिकों को एक साथ लाने और दुनिया को सभी के लिये बेहतर बनाने के लिये 'वसुधैव कुटुंबकम' – एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य (One Earth, One Family, One Future) का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भारत ने G20 के लिये LiFE (lifestyles for sustainable development), यानी 'सतत् विकास के लिये जीवन शैली' का दृष्टिकोण भी प्रस्तावित किया है। इसके लिये ''संपूर्ण समाज में सामूहिक कार्यों में निहित सभी स्तरों पर हितधारकों के बीच सुसंगत कार्यों'' की आवश्यकता है। यह सतत् जीवन शैली का समर्थन करने में स्थानीय समुदायों, स्थानीय एवं क्षेत्रीय सरकारों और पारंपरिक ज्ञान की भूमिका को भी चिह्नित करता है और इसका संवर्द्धन करता है।



# वैश्विक शासन को आकार देने में G20 की क्या भूमिका है?

- आर्थिक समन्वयः
  - 🔷 आर्थिक मुद्दे राष्ट्रीय सीमाओं से परे प्रभाव रखते हैं, इसलिये समन्वित प्रयासों की आवश्यकता रखते हैं।
  - ◆ G20 विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिये अपनी आर्थिक नीतियों पर चर्चा करने और उन्हें संरेखित करने तथा वैश्विक स्थिरता एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।
  - ♦ G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80% से अधिक की और वैश्विक व्यापार में लगभग 75% की हिस्सेदारी रखता है।

#### संकट प्रबंधनः

- G20 का उभार वर्ष 2008 के वित्तीय संकट की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। तब से इसने तत्काल चुनौतियों का समाधान करने और रिकवरी के लिये रणनीति तैयार करने के लिये वैश्विक नेताओं को एक मंच पर लाकर संकट प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी की प्रतिक्रिया में G20 के नेताओं ने वैश्विक प्रयासों के समन्वय के लिये एक असाधारण 'वर्चुअल लीडर्स सिमट' का आयोजन किया था। इस अवसर पर उन्होंने अनुसंधान का समर्थन करने, चिकित्सा आपूर्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने और सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी करने के लिये प्रतिबद्धता जताई।

## • वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधारः

- G20 वैश्विक वित्तीय प्रणाली की प्रत्यास्थता और स्थिरता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। इसने भविष्य के संकटों को रोकने के लिये वित्तीय संस्थानों, विनियमों और निरीक्षण तंत्र में सुधारों पर बल दिया है।
- वित्तीय विनियमन के प्रित G20 की प्रितबद्धता के परिणामस्वरूप 'वित्तीय स्थिरता बोर्ड' (Financial Stability Board- FSB) की स्थापना की गई, जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और उसके बारे में अनुशंसाएँ करता है।

# जलवायु परिवर्तन और सतत् विकासः

हालाँकि यह इसके प्राथमिक कार्य-दायित्व में शामिल नहीं है, लेकिन G20 ने पर्यावरणीय मुद्दों और सतत् विकास को भी संबोधित करने का प्रयास किया है। इस समूह के निर्णय संसाधन आवंटन, ऊर्जा नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्रभावित करते हैं।

# एजेंडों को आकार देना:

G20 एजेंडे तय कर सकता है और वैश्विक स्तर पर प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है। इसकी चर्चाएँ प्राय: अंतरराष्ट्रीय आख्यान को आगे बढ़ाती हैं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का मार्गदर्शन करती हैं।

# वैश्विक शासन की प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

# • विविध रुचियाँ और प्राथमिकताएँ:

विभिन्न देशों के विविध और प्राय: परस्पर विरोधी हित और प्राथमिकताएँ हैं। साझा समाधानों की तलाश के क्रम में इन विविध दृष्टिकोणों को संतुलित करना बेहद चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है। पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं पर असहमित की स्थिति यह दर्शाती है कि विभिन्न देशों के विविध हित साझा समाधानों तक पहुँचने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

## समन्वित कार्रवाई का अभावः

 वैश्विक शासन के लिये सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और निजी क्षेत्र सिहत विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

#### असमान संसाधन वितरण:

- वित्तीय और तकनीकी, दोनों तरह के संसाधनों का असमान वितरण वैश्विक चुनौतियों से निपटने के मामले में विषमता पैदा करता है।
- विकासशील देशों में प्राय: वैश्विक शासन पहलों में पूरी तरह से भागीदारी कर सकने और उनसे लाभ उठा सकने के लिये संसाधनों एवं आधारभृत संरचना की कमी पाई जाती है।
  - निम्न आय देशों में कोविड-19 टीकों की सीमित पहुँच ने समतामूलक वैश्विक सार्वजनिक कल्याण प्रदान करने में संसाधन विषमताओं और चुनौतियों को उजागर किया।

## वैश्विक मुद्दों की जिटलता:

- कई वैश्विक चुनौतियाँ बहुआयामी प्रकृति रखती हैं जो आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और राजनीतिक आयामों तक विस्तृत हैं।
- इन मुद्दों के समाधान के लिये व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसे विकसित करना और कार्यान्वित करना जटिल सिद्ध हो सकता है।

## • शक्ति असंतुलनः

- विभिन्न देशों के बीच शक्ति असंतुलन से वैश्विक शासन प्रक्रियाओं पर असमान प्रभाव पड़ सकता है।
- शक्तिशाली राष्ट्र निर्णय लेने में कम शक्तिशाली देशों की आवाज को दरिकनार करते हुए असंगत रूप से अधिक नियंत्रण का प्रयोग कर सकते हैं।
  - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) जैसे वैश्विक निर्णय लेने वाले निकायों में असमान प्रतिनिधित्व से दोषपूर्ण प्राथमिकताओं और समाधानों की स्थिति बन सकती है।

# पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तनः

जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिये वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। उत्तरदायित्व, शमन रणनीतियों और संसाधन आवंटन पर असहमतियाँ प्रभावी वैश्विक प्रतिक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है।

- जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं और उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों पर साझा सहमित की कमी पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक सहयोग प्राप्त करने की कठिनाई को दर्शाती है।
- अल्पाविधवाद (Short-Termism) और राजनीतिक दबाव:
  - संक्षिप्त राजनीतिक चक्र (short political cycles)
     और अलग-अलग देशों के भीतर घरेलू दबाव ऐसे निर्णय लेने
     की ओर ले जा सकते हैं जो तत्काल लाभ को दीर्घकालिक
     वैश्विक लाभों पर प्राथमिकता देते हैं।
  - तात्कालिकता या अल्पाविध पर यह फोकस जिटल, क्रिमक चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- वैश्विक शासन के मामले में G20 की चुनौतियाँ:
  - G20 की सदस्यता सीमित है जिसमें कई देश और भूभाग शामिल नहीं हैं, जो इसकी वैधता और प्रतिनिधित्व को कमजोर कर सकता है।
  - सदस्य देशों, यहाँ तक कि कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच कलह की स्थिति भी वैश्विक स्तर पर बेहतर समन्वय में बाधा उत्पन्न करती है।

# स्थानीय शासन को सशक्त करना वैश्विक शासन को कैसे सशक्त कर सकता है?

- SDGs के लिये समुदाय-आधारित समाधानः
  - सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) की चुनौतियों से सबसे अधिक प्रभावित लोगों, जैसे सतत् कृषि के लिये स्थानीय किसानों या स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच के लिये स्वास्थ्यकर्मियों को शामिल करने से संदर्भ-विशिष्ट और अभिनव समाधान प्राप्त हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय किसानों को उनके वातावरण के अनुकूल जलवायु-कुशल कृषि अभ्यासों को अपनाने हेतु संलग्न करने से कृषि उत्पादकता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
- स्थानीय सेवाओं और प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करना:
  - शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा जाल जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने से प्रत्यक्ष रूप से कल्याण सुनिश्चित होता है और आघातों के प्रति संवेदनशीलता घटती है, जिससे समुदायों के लिये एक सुदृढ़ नींव का निर्माण होता है।

- उदाहरण के लिये, दूरदराज के गाँवों में जल शोधन इकाइयों का निर्माण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ाता है और स्वच्छ जल एवं स्वास्थ्य संबंधी SDGs को संबोधित करता है।
- सहभागी शासन और जवाबदेही:
  - स्थानीय नागिरकों, नागिरक संगठनों और निर्वाचित प्रितिनिधियों को संलग्न करते हुए पारदर्शी निर्णयन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करता है कि क्रियान्वित नीतियाँ समुदाय की आवश्यकताओं, विश्वास-बहाली और जवाबदेही के अनुरूप हों।
- साझा प्रगति के लिये सहकारी नेटवर्कः
  - स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और संसाधन-साझाकरण के लिये मंच स्थापित करने से समुदायों को जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसी चुनौतियों का सामृहिक रूप से समाधान करने में मदद मिलती है।

# भारत प्रगति के प्रक्षेपवक्र को कैसे बदल रहा है?

- भारत 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन को बढ़ावा देता है जो विविधता का सम्मान करता है और राष्ट्रों एवं लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देता है।
- भारत 'LiFE' के दृष्टिकोण की वकालत करता है जो संवहनीय जीवन शैली और उपभोग पैटर्न को प्रोत्साहित करता है, जो ग्रहीय सीमाओं और मानव गरिमा के अनुकूल है।
  - भारत अन्य देशों को इसके उदाहरण का अनुसरण करने और इसकी सफलताओं एवं असफलताओं से सीखने के लिये प्रेरित करता है।
- इन कदमों के अलावा, भारत सरकार को स्थानीय समुदायों और स्थानीय सरकारों को अपने संसाधनों एवं ज्ञान का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान खोजने और इन्हें लागू करने के लिये सशक्त बनाना चाहिये।

# G20 वैश्विक शासन को कैसे सुदृढ़ कर सकता है?

- सहयोगात्मक नेतृत्व और एजेंडा सेटिंगः
  - G20 को सहयोगात्मक नेतृत्व को प्राथमिकता देनी चाहिये, ऐसे एजेंडे स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो इसके सदस्य देशों के विविध हितों को दर्शाते हों और साथ ही सतत् विकास, समान संसाधन वितरण और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देते हों।
  - नियमित संवाद और परामर्श यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि लिये गए निर्णय समावेशी और समग्र हों।

## • संवहनीय अभ्यासों का एकीकरण:

- G20 को आर्थिक नीतियों और निर्णयों में संवहनीयता को एकीकृत करने के लिये सिक्रिय उपाय करने चाहिये।
  - इसमें हरित निवेश को प्रोत्साहित करना, नवीकरणीय ऊर्जा अंगीकरण का समर्थन करना और चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।
- सदस्य राष्ट्र सामूहिक रूप से कार्बन तटस्थता लक्ष्यों के लिये
   प्रतिबद्धता जता सकते हैं और अपनी ऊर्जा नीतियों को पेरिस समझौते के साथ संरेखित कर सकते हैं।

## • संकट का सामना करने हेतु तैयारी को सुदृढ़ बनानाः

- संकट प्रबंधन में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करते हुए G20 को वैश्विक आपात स्थितियों (वित्तीय, स्वास्थ्य-संबंधी या पर्यावरणीय, जो भी हों) पर त्वरित प्रतिक्रिया के लिये एक रूपरेखा स्थापित करनी चाहिये।
- इस रूपरेखा में संकटों पर त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये अग्रक्रमी योजना, सूचना साझेदारी और समन्वित संसाधन आवंटन शामिल किया जा सकता है।

# संसाधन वितरण में अंतराल को दूर करनाः

- असमान संसाधन वितरण की समस्या को संबोधित करने के लिये G20 को ऐसी पहल करनी चाहिये जो विकासशील देशों के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान साझेदारी और क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करे।
  - शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अवसंरचना में निवेश इन देशों को वैश्विक शासन में सिक्रिय रूप से भाग लेने तथा संवहनीय समाधानों में योगदान करने के लिये सशक्त कर सकता है।

#### • स्थानीय शासन को सशक्त करना:

- G20 को अपने सदस्य देशों को निर्णय लेने की शक्तियों और संसाधनों को हस्तांतिरत करके स्थानीय समुदायों को सशक्त करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
- सहभागी शासन के लिये समर्थन, स्थानीय स्तर पर क्षमता विकास और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने के लिये तंत्रों का निर्माण वैश्विक चुनौतियों से निपटने में स्थानीय पहलों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं।

# बहुभाषावाद और शिक्षा

बहुभाष्यता या बहुभाषावाद (Multilingualism) एक से अधिक भाषाओं को बोलने, समझने, पढ़ने और लिख सकने की क्षमता है। यह व्यक्तिगत या सामाजिक क्षमता हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति या समुदाय एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है या नहीं। बहुभाषावाद को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि योगात्मक या घटावशील (additive or subtractive), संतुलित या प्रभुत्वशाली (balanced or dominant), अनुक्रमिक या युगपत (sequential or simultaneous)—जो इस बात पर निर्भर करता है कि भाषाओं को कैसे ग्रहण, उपयोग करने के साथ महत्त्व दिया जाता है। भाषा संचार, अधिगम (लर्निंग) और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक शक्तिशाली साधन है। यह मानव विकास और पहचान (identity) का एक प्रमुख पहलू भी है। हालाँकि, भारत जैसे विविध और बहुभाषी देश में शिक्षा के लिये भाषा उल्लेखनीय चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर सकती है।

# शिक्षा में बहुभाषावाद क्यों महत्त्वपूर्ण है ?

## संज्ञानात्मक विकास का संवर्द्धनः

- शोध से पता चलता है कि एक से अधिक भाषा सीखने से मस्तिष्क के कार्यों, जैसे स्मृति, ध्यान, समस्या-समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा मिल सकता है।
- यह 'मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस' (metalinguistic awareness) में भी सुधार कर सकता है, जो भाषा संरचनाओं एवं नियमों पर गंभीरता से मनन करने और कुशलतापूर्वक उनका उपयोग कर सकने की क्षमता है।

# सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देनाः

- विभिन्न भाषाओं को सीखने की प्रक्रिया में छात्र विभिन्न संस्कृतियों, दृष्टिकोणों और मूल्यों से परिचित हो सकते हैं। यह उनमें अंतर-सांस्कृतिक क्षमता (intercultural competence) विकसित करने में भी मदद कर सकता है, जो विविध पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से और उचित रूप से संवाद कर सकने की क्षमता है।
- आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 22 से अधिक भाषाओं और सैकड़ों उप-भाषाओं/बोलियों (जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व है) के साथ भाषा हमारी पहचान का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।

# शैक्षणिक उपलब्धि में सुधारः

- अध्ययनों से लगातार पुष्टि हुई है कि जो छात्र अपनी मातृभाषा या घर में प्रचलित भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे स्कूल में उन छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिन्हें विदेशी या अपरिचित भाषा में शिक्षण प्रदान किया जाता है।
- ऐसा इसलिये है क्योंकि वे पाठ्यक्रम सामग्री तक अधिक आसानी और आत्मविश्वास से पहुँच सकते हैं तथा अपने कौशल एवं ज्ञान को अन्य भाषाओं में स्थानांतरित कर सकते हैं।

## सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देनाः

- कई भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि प्रत्येक बच्चे को अधिगम तक समान पहुँच और अवसर प्राप्त हो, चाहे उनकी भाषाई पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
- यह अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले लोगों के बीच अपनेपन और पहचान की भावना को भी बढ़ावा दे सकता है तथा भेदभाव और वंचना को कम कर सकता है।

# बहुभाषी शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने के उपाय:

## • भाषाओं का चयन:

- बहुभाषी शिक्षा शिक्षार्थियों और समुदायों की भाषाई वास्तविकताओं एवं आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिये।
- इसे संवैधानिक प्रावधानों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के त्रि-भाषा फॉर्मूले का भी सम्मान करना चाहिये।
- आदर्शत: बहुभाषी शिक्षा का आरंभ शिक्षा के माध्यम के रूप में शिक्षार्थियों की मातृभाषा या घरेलू भाषा से होना चाहिये और फिर धीरे-धीरे अन्य भाषाओं को विषय या शिक्षा के अतिरिक्त माध्यम के रूप में पेश किया जाना चाहिये।

## भाषाओं का शिक्षाशास्त्र:

- बहुभाषी शिक्षा के तहत शिक्षार्थी-केंद्रित और परस्पर संवादात्मक शिक्षाशास्त्र (interactive pedagogy) को अपनाना चाहिये जो भाषा जागरूकता और दक्षता को बढ़ावा दे।
- इसे शिक्षार्थियों के बीच क्रॉस-लिंग्विस्टिक हस्तांतरण (cross-linguistic transfer) और बहु-साक्षरता कौशल (multiliteracy skills) को भी बढ़ावा देना चाहिये।
  - इसके अलावा इसमें सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक और संदर्भ आधारित उपयुक्त सामग्रियों एवं विधियों का उपयोग किया जाना चाहिये जो भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता एवं समृद्धि को दर्शाते हों।

#### भाषाओं का आकलनः

- बहुभाषी शिक्षा में निष्पक्ष और वैध मूल्यांकन साधनों एवं मानदंडों का उपयोग किया जाना चाहिये जो विभिन्न भाषाओं में शिक्षार्थियों के अधिगम प्रतिफलों (learning outcomes) एवं प्रगति की माप करते हैं।
- इसे शिक्षार्थियों को उनके भाषा कौशल में सुधार करने के लिये
   रचनात्मक प्रतिक्रिया और सहायता भी प्रदान करनी चाहिये।

 इसके अलावा इसे बहुभाषी शिक्षा में शिक्षार्थियों की उपलब्धियों और प्रयासों को चिह्नित करना चाहिये तथा उन्हें पुरस्कृत करना चाहिये।

# भारत के लिये बहुभाषी शिक्षा के लाभ:

## मानव पूंजी में वृद्धिः

- बहुभाषी शिक्षा शिक्षार्थियों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, रोजगार, अनुसंधान, नवाचार आदि में भाग लेने के लिये आवश्यक भाषा कौशल एवं दक्षताओं से लैस कर सकती है।
- यह वैश्वीकृत दुनिया में उनकी रोजगार पात्रता और गतिशीलता
   को भी बढा सकती है।

## भाषाई विविधता का संरक्षणः

- बहुभाषी शिक्षा भारत की भाषाई विविधता और विरासत को संरक्षित करने और उनका पुनरुद्धार करने में मदद कर सकती है।
- यह विभिन्न भाषाओं के लोगों के भाषाई अधिकारों और सम्मान को भी बढ़ावा दे सकती है, विशेष रूप से उन लोगों के लिये जो हाशिये पर स्थित हैं।

## • राष्ट्रीय एकता को सशक्त करनाः

- बहुभाषी शिक्षा विभिन्न भाषाओं के लोगों और विभिन्न संस्कृतियों के बीच परस्पर समझ एवं सम्मान को बढ़ावा दे सकती है।
- यह भारत में विविध आबादी समूहों के बीच सामाजिक एकता और सद्भाव को भी बढा सकती है।

## अतिरिक्त भाषाएँ सीखने के लिये सुदृढ़ आधार का निर्माणः

अपनी मातृभाषा में शिक्षा शुरू करने से राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेज़ी सहित अतिरिक्त भाषाओं को सीखने के लिये एक सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है, जिससे बहुभाषावाद को बढ़ावा मिलता है।

#### • उच्च प्रतिधारण दर:

 जब छात्रों के लिये सीखना आसान होता है तो उनके स्कूल में बने रहने और अपनी शिक्षा पूरी करने की संभावना भी अधिक होती है।

# शिक्षा में बहुभाषावाद से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ:

#### संसाधनों की कमी:

 बहुभाषी शिक्षा को लागू करने के लिये पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होगी जैसे प्रशिक्षित शिक्षक, उपयुक्त पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें, मूल्यांकन उपकरण और डिजिटल प्लेटफॉर्म।  हालाँकि कई स्कूलों में, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में, इन संसाधनों की कमी पाई जाती है।

#### • नीति समर्थन का अभाव:

- हालाँकि NEP 2020 और निपुण भारत मिशन (NIPUN) बहुभाषी शिक्षा की वकालत करते हैं, लेकिन नीति और व्यवहार के बीच अभी भी अंतर मौजूद है।
- कई राज्यों ने अभी तक इन नीतियों को प्रभावी ढंग से अंगीकृत या क्रियान्वित नहीं किया है।
- केंद्र एवं राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच अधिक समन्वय एवं सहयोग की भी आवश्यकता है।

#### जागरूकता की कमी:

- माता-पिता, शिक्षक, छात्र और नीति-निर्माताओं की एक बड़ी संख्या बहुभाषी शिक्षा के लाभों से अवगत नहीं है।
  - कुछ भाषाओं या बोलियों के बारे में वे गलतफहिमयों या पूर्वाग्रह के शिकार हो सकते हैं।
- वे शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी को प्राथमिकता भी दे सकते हैं, जहाँ वे यह धारणा रखते हैं कि यह उनके बच्चों के भविष्य के लिये बेहतर अवसर प्रदान करेगी।

## • पाठ्यचर्या संरेखणः

- राष्ट्रीय या मानकीकृत पाठ्यक्रम के साथ मातृभाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि छात्रों को सर्वांगीण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो और साथ ही उनकी भाषाई पृष्ठभूमि को भी महत्त्व दिया जाए।

# आकलन और मूल्यांकनः

- विभिन्न भाषाओं में निष्पक्ष और मानकीकृत मूल्यांकन पद्धित विकसित करना कठिन सिद्ध हो सकता है।
- कई भाषाओं का उपयोग करते समय छात्रों का निष्पक्ष और लगातार मूल्यांकन सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

# उच्च शिक्षा और रोज़गार की ओर संक्रमणः

जबिक बहुभाषी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर प्रभावी हो सकती है, उच्च शिक्षा या रोजगार बाजार की ओर आगे बढ़ने के लिये अधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा में दक्षता की आवश्यकता पड़ सकती है, जो उन छात्रों के लिये संभावित रूप से हानिकारक सिद्ध हो सकती है जो अपनी मातृभाषा में शिक्षित हुए हैं।

# शिक्षा में बहुभाषावाद के लिये नीतिगत अनुशंसाएँ:

## लचीला और समावेशी दृष्टिकोण अपनानाः

- बहुभाषी शिक्षा को विभिन्न शिक्षार्थियों और समुदायों की आवश्यकताओं एवं संदर्भों के अनुरूप बनाया जाना चाहिये।
- इसमें भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएँ और बोलियाँ शामिल होनी चाहिये, जिनमें जनजातीय भाषाएँ, सांकेतिक भाषाएँ, शास्त्रीय भाषाएँ, विदेशी भाषाएँ आदि सब शामिल हैं।

#### भाषा सीखने की निरंतरता का विकास करना:

- बहुभाषी शिक्षा, स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये।
- इसे पूर्व-प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शैक्षिक प्रणाली में विस्तारित किया जाना चाहिये। इसे छात्रों के लिये उनके शैक्षणिक कॅरियर के विभिन्न चरणों में नई भाषाएँ सीखने का अवसर भी प्रदान करना चाहिये।

## शिक्षक क्षमता को सुदृढ़ बनानाः

- बहुभाषी शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
- उन्हें कई भाषाओं में प्रभावी ढंग से शिक्षण प्रदान कर सकने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता दी जानी चाहिये।
- उन्हें भाषा अधिगम बढ़ाने के लिये अभिनव शिक्षाशास्त्र और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

# माता-पिता और समुदायों को शामिल करनाः

- बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने में माता-पिता और समुदाय प्रमुख भागीदार होंगे।
- उन्हें बच्चों के विकास और अधिगम के लिये बहुभाषावाद के लाभों के बारे में सूचित किया जाना चाहिये।
- उन्हें भाषा नीतियों और अभ्यासों के संबंध में निर्णयन प्रक्रियाओं में भी शामिल किया जाना चाहिये।

# • बहुभाषावाद की संस्कृति का सृजन करनाः

- बहुभाषावाद को भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में महत्त्व दिया जाना चाहिये।
- इसे सार्वजनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे मीडिया,
   कला, खेल, शासन आदि में एकीकृत किया जाना चाहिये।
- इसे शिक्षा, रोजगार, अनुसंधान आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी मान्यता दी जानी चाहिये और बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

## निष्कर्षः

 भारत को 'LEAP' (Language Empowerment for Achieving Potential) का अंगीकरण करने की आवश्यकता है। LEAP बहुभाषावाद का समर्थन करके और शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान करके भाषाई कौशल को बढ़ाने, संज्ञानात्मक विकास में सुधार लाने और सांस्कृतिक रूप से विविध एवं बौद्धिक रूप से समृद्ध शैक्षिक वातावरण का सजन करने में मदद करेगा।

# ग्रामीण भारत: प्रगति और समस्याएँ

भारत विरोधाभासों का देश है, जहाँ तीव्र आर्थिक विकास के साथ ही सतत् गरीबी और सामाजिक समस्याओं का सह-अस्तित्व पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ देश की लगभग दो-तिहाई आबादी निवास करती है, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मामले में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों से गुज़र रहे हैं।

जैसे-जैसे भारत का ग्रामीण परिदृश्य एक परिवर्तनकारी यात्रा से गुजर रहा है, जहाँ बहुआयामी गरीबी (multidimensional poverty) में आशाजनक गिरावट आ रही है, परिवर्तनों की एक जटिल तस्वीर भी सामने उभर रही है। नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा जारी अद्यतन राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index-MPI), प्रगति के एक उत्साहजनक आख्यान को उजागर करता है, जहाँ वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच गरीबी दरों (poverty rates) में पर्याप्त कमी नजर आई है।

# नीति आयोग का राष्ट्रीय MPI:

- पिरचयः राष्ट्रीय MPI गरीबी की एक माप है जो तीन समान रूप से महत्त्वपूर्ण आयामों— स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में किसी देश की प्रगति को दर्शाता है।
  - यह 10 संकेतकों पर विचार करता है जिसमें पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, रसोई ईंधन, स्वच्छता आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय MPI के घटक: राष्ट्रीय MPI को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है-
  - गरीबी की स्थित (incidence of poverty)— यानी गरीब लोगों का प्रतिशत और गरीबी की तीव्रता (intensity of poverty)—यानी गरीबों का औसत अभाव स्कोर (average deprivation score)।
- राष्ट्रीय MPI के निष्कर्ष: नीति आयोग की प्रगति समीक्षा 2023
   के अनुसार, भारत ने वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

- इस अविध में गरीबी की स्थिति 24.85% से घटकर 14.96% हो गई, जबिक गरीबी की तीव्रता 47.14% से घटकर 44.39% हो गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई जहाँ यह 32.59% से घटकर 19.28% हो गई।
  - ग्रामीण गरीबी में सुधार का श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों
     के साथ-साथ अन्य हितधारकों द्वारा की गई विभिन्न लक्षित विकास पहलों को दिया जा सकता है।

# ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के संकेत:

- उन्नत आवास अवसंरचनाः
  - पक्के या अर्द्ध पक्के घरों तक पहुँच में वृद्धि बेहतर संरचनात्मक पहुँच और बेहतर जीवन स्थिति का प्रतीक है।
  - टिकाऊ आवास प्राकृतिक घटकों के विरुद्ध प्रत्यास्थता को बढ़ावा देता है, जिससे ग्रामीण निवासियों के लिये सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
    - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ने ग्रामीण आवास की उपलब्धता सुनिश्चित की है।
- बेहतर स्वच्छता सुविधाएँ:
  - शौचालयों की वृहत उपलब्धता स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने और खुले में शौच एवं संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने की स्थिति को प्रकट करती है।
    - बेहतर स्वच्छता सुविधाएँ सामुदायिक कल्याण और स्वच्छ वातावरण में योगदान देती हैं।
  - उदाहरण के लिये, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G)
     के तहत 1 लाख से अधिक गाँवों ने स्वयं को ODF प्लस
     (खुले में शौच मुक्त- प्लस) घोषित किया है।
- विद्युत तक विस्तारित पहुँचः
  - बिजली तक पहुँच का विस्तार ग्रामीण समुदायों को बेहतर कनेक्टिविटी, प्रकाश व्यवस्था और आर्थिक गतिविधियों के अवसरों के साथ सशक्त बनाता है।
    - बिजली बेहतर शैक्षिक प्रतिफल, उत्पादकता में वृद्धि
       और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि को सक्षम बनाती है।
  - उदाहरण के लिये:
    - ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार के लिये प्रधानमंत्री सहज
       बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) शुरू की गई है।
- स्वच्छ रसोई ईंधन को अपनानाः
  - स्वच्छ रसोई गैस के बढ़ते उपयोग से घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी आती है, जिससे श्वसन स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- स्वच्छ रसोई ईंधन संवहनीय पर्यावरणीय अभ्यासों का समर्थन करता है; इस प्रकार, एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बढावा देता है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY):
  - उज्ज्वला 1.0 के तहत मार्च 2020 तक BPL परिवारों की 50 मिलियन मिहलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था।
  - उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 10
     मिलियन LPG कनेक्शन प्रदान किये जाने थे।

#### शैक्षिक और सामाजिक सशक्तीकरणः

- शिक्षा में बालिकाओं की बढ़ती भागीदारी प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों को दर्शाती है और लैंगिक समानता एवं समावेशी विकास में योगदान देती है।
- कनेक्टिविटी के माध्यम से ज्ञान का प्रसार शैक्षिक विकास में सहायता करता है और सूचना-संपन्न निर्णयन को बढ़ावा देता है।
- उदाहरण के लिये: सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को विकल्प चुनने के लिये सशक्त बनाना और उन्हें उन विकल्पों का उपयोग करने के अवसर प्रदान करना है।

#### • आय स्रोतों का विविधीकरण:

- गैर-कृषि रोजगार के बढ़ते अवसरों से आय के स्रोतों में विविधता आती है, जिससे केवल कृषि पर निर्भरता कम हो जाती है।
  - आय विविधीकरण कृषि से जुड़ी अनिश्चितताओं के विरुद्ध वित्तीय स्थिरता और प्रत्यास्थता को बढाता है।
- उदाहरण के लिये:
  - मनरेगा (MGNREGA): योजना का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक कार्य से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है।
  - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिये कुशल और प्रभावशील संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से घरेलू आय बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।

## ग्रामीण विकास से संबंधित अन्य सरकारी पहलें:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
- मिशन अंत्योदय दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
- 🔷 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

# ग्रामीण भारत के विकास से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ:

#### • गरीबी और असमानता:

- व्यापक गरीबी की स्थिति बनी हुई है, जो निम्न आय, बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुँच और संसाधनों के असमान वितरण जैसी विशेषताएँ रखती है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तथा ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर आय असमानता की स्थिति समतामूलक विकास में बाधा उत्पन्न करती है।

## • कृषि संकट:

- प्राथिमक आजीविका स्रोत के रूप में कृषि पर निर्भरता ग्रामीण समुदायों को अप्रत्याशित मौसम पैटर्न, बाजार के उतार-चढ़ाव और फसल विफलताओं से उत्पन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- विखंडित भूमि जोत, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा और पुरानी पड़ चुकी कृषि पद्धितयाँ उत्पादकता एवं आय सृजन में बाधा उत्पन्न करती हैं।

## बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार:

- अपर्याप्त गैर-कृषि रोजगार अवसरों के कारण कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की स्थिति उत्पन्न होती है।
- कौशल विकास और बाजार-उन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण की कमी विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यबल की भागीदारी को सीमित करती है।

#### अवसंरचनात्मक अंतराल:

- सड़क, बिजली और दूरसंचार सिहत अपर्याप्त ग्रामीण कनेक्टिविटी बाजारों, सेवाओं एवं सूचना तक पहुँच को सीमित करती है।
- कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता सुविधाएँ और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनियादी सुविधाएँ अपर्याप्त हैं।

# जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि:

- ग्रामीण क्षेत्र सूखा, बाढ़, ग्रीष्म लहर और चरम मौसमी घटनाओं जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की चपेट में आते हैं।
- ये जल, मृदा और वनों जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं तथा ग्रामीण समुदायों, विशेषकर किसानों एवं चरवाहों की आजीविका पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं।

उदाहरण के लिये, वर्ष 1990 और 2016 के बीच खेत में विचरण करने वाले पक्षियों (farmland birds) की आबादी में एक तिहाई की गिरावट आई है।

## प्रवासन और शहरीकरण:

- ग्रामीण क्षेत्र बाह्य प्रवासन की उच्च दर का सामना कर रहे हैं जहाँ बेहतर अवसरों और सेवाओं की तलाश में विशेष रूप से और शिक्षित लोगों का शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन हो रहा है।
- इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमबल की कमी, भूमि विखंडन, सामाजिक अलगाव और सांस्कृतिक पहचान की हानि की स्थिति बन सकती है।
- दूसरी ओर शहरीकरण से ग्रामीण क्षेत्रों को कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है, जैसे बेहतर कनेक्टिविटी, बाजार पहुँच, धन प्रेषण और नवाचार।
- नशे की लत और मानसिक स्वास्थ्य:
  - ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और वयस्कों के बीच तंबाकू, गुटखा, शराब और सोशल मीडिया की लत बढ़ रही है।
  - इनका ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य, उत्पादकता, सामाजिक संबंधों और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
    - इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और जागरूकता का अभाव होता है, जिससे तनाव, अवसाद, आत्महत्या और हिंसा की स्थिति बन सकती है।
- अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता:
  - ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय: उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों एवं सुविधाओं- जैसे स्रोत पर पृथक्करण और जैविक/अजैविक अपशिष्ट के लिये क्रमश: कम्पोस्टिंग/बायोगैस संयंत्र/ रीसाइक्लिंग इकाइयों आदि का अभाव पाया जाता है।
  - इससे पर्यावरण प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी खतरे, सौंदर्य संबंधी
     गिरावट और संसाधनों की हानि की स्थिति बन सकती है।
    - ग्रामीण क्षेत्रों को अभी भी स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छता अभ्यासों तक सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

# ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिये संभावित समाधान:

- स्थानीयकृत रोजगार के अवसर:
  - कौशल विकास और उद्यमशीलता के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यबल को सहारा मिल सकता है।

- कौशल विकास कार्यक्रमों, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने, ग्रामीण अवसंरचना के विकास आदि के माध्यम से गाँवों के निकट रोजगार के अधिक अवसर सुजित किये जाने चाहिये।
  - इससे प्रवासन की विवशता कम हो सकती है, ग्रामीण लोगों की आय एवं आजीविका सुरक्षा बढ़ सकती है और उनकी आत्मिनर्भरता एवं गिरमा की संवृद्धि हो सकती है।

# व्यसन और मादक द्रव्यों के सेवन पर अंकुश:

- तंबाकू, गुटखा और शराब के उपभोग को कम करने के लिये कठोर विनियमन और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है।
- समग्र सामुदायिक हस्तक्षेप स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दे सकते हैं और मादक द्रव्यों पर निर्भरता पर अंकुश लगा सकते हैं।

# प्रौद्योगिकी के उपयोग को संतुलित करनाः

- अत्यधिक इंटरनेट उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से स्वस्थ डिजिटल आदतों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- सामुदायिक पहलें पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा दे सकती है
   और सामाजिक बंधनों को सुदृढ़ कर सकती हैं।

#### व्यापक अपशिष्ट प्रबंधनः

- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को स्रोत पर पृथक्करण, जैविक/ अजैविक अपशिष्ट के लिये क्रमश: कम्पोस्टिंग/बायोगैस संयंत्र/रीसाइक्लिंग इकाइयों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों की पर्यावरणीय गुणवत्ता, स्वास्थ्य स्वच्छता
   और संसाधन दक्षता में सुधार हो सकता है तथा ग्रामीण लोगों
   के लिये आय एवं रोजगार के अवसर भी सृजित हो सकते हैं।

# ग्रामीण मुद्दों को हल करने में नीति आयोग की भूमिकाः

#### नीति आयोगः

- ऐसी नीतियों का निर्माण कर सकता है जो विशेष रूप से व्यसन, डिजिटल निर्भरता और अपिशष्ट प्रबंधन जैसी ग्रामीण चुनौतियों को लिक्षत करें।
- व्यापक समाधानों के लिये सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और समुदायों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकता है।
- इन चुनौतियों के मूल कारणों और उनकी क्षेत्रीय विविधताओं को समझने के लिये अध्ययन आयोजित करा सकता है और इस प्रकार, प्रभावी समाधान का सृजन करने में सहायता कर सकता है।

- सुदृढ़ निगरानी प्रणालियों के कार्यान्वयन से विभिन्न पहलों की प्रगति का आकलन किया जा सकता है और इष्टतम प्रभाव के लिये रणनीतियों को अनुकुलतम बनाया जा सकता है।
- नशे की लत, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, अपिशष्ट प्रबंधन और अन्य विषयों को हल करने वाली अभिनव पिरयोजनाओं का समर्थन एवं वित्तपोषण कर सकता है।

# सांप्रदायिक हिंसा की निरंतरता

सांप्रदायिक हिंसा (Communal violence) सामूहिक हिंसा का एक रूप है जिसमें भिन्न-भिन्न धार्मिक, जातीय, भाषाई या क्षेत्रीय पहचान से संबंधित समृहों के बीच झडपें शामिल होती हैं।

भारत में सांप्रदायिक हिंसा को प्राय: हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन इसमें सिख, ईसाई, बौद्ध, दलित और आदिवासी जैसे अन्य समूह भी शामिल हो सकते हैं।

भारतीय दंड संहिता (IPC) सांप्रदायिक हिंसा को किसी भी ऐसे कृत्य के रूप में परिभाषित करती है जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देता है और सद्भावना बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करता है।

भारत में सांप्रदायिक हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पूर्व-औपनिवेशिक और औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है। स्वतंत्रता के बाद के युग में भी सांप्रदायिक हिंसा ने भारत के लिये समस्या बनाए रखी है। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह, 1946 का नोआखली दंगा, 1947 का विभाजन दंगा, 1992 का बाबरी मस्जिद विध्वंस और हाल ही में मणिपुर हिंसा तथा नूह में फैली हिंसा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं।

सांप्रदायिक हिंसा प्राय: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक कारकों से उत्प्रेरित होती है जैसे चुनाव, धार्मिक त्योहार, गोरक्षा, धर्मांतरण, अंतर-धार्मिक विवाह, भूमि विवाद, प्रवास, मीडिया प्रोपेगेंडा, हेट स्पीच आदि।

सांप्रदायिक हिंसा का भारत के लोकतंत्र, पंथिनरपेक्षता, मानवाधिकार, सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के लिये गंभीर निहितार्थ हैं।

# भारत में सांप्रदायिक हिंसा के प्रमुख कारणः

- राजनीतिक कारण:
  - चुनावी लाभ या वैचारिक एजेंडे के लिये सांप्रदायिक भावनाओं की लामबंदी करने में राजनीतिक दलों और नेताओं की भूमिका।
  - बाँटो और राज करो (divide and rule) की रणनीति के रूप में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का उपयोग।

 सांप्रदायिक संघर्षों को रोकने या हल करने में राजनीतिक संस्थानों और तंत्रों की विफलता। सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों के लिये जवाबदेही की कमी और दंड से मुक्ति।

#### सामाजिक कारण:

- विभिन्न समुदायों के प्रति गहरी जड़ें जमा चुके पूर्वाग्रहों और रूढियों का अस्तित्व।
  - अंतर-सामुदायिक संवाद और भरोसे की कमी।
- चरमपंथी समूहों और संगठनों का प्रभाव जो सांप्रदायिक घृणा और हिंसा फैलाते हैं।
- सांप्रदायिक उद्देश्यों के लिये धार्मिक प्रतीकों और भावनाओं से खिलवाड़।

#### आर्थिक कारण:

- विभिन्न समुदायों के बीच दुर्लभ संसाधनों और अवसरों के लिये प्रतिस्पर्द्धा।
- हाशिये पर रहने वाले समृहों के बीच सापेक्षिक अभाव या भेदभाव की धारणा।
- पारंपरिक आजीविका एवं पहचान पर वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण का प्रभाव।

## • सांस्कृतिक कारकः

- विभिन्न समुदायों के बीच मूल्यों और जीवनशैली का टकराव।
   सांस्कृतिक विविधता और बहुलवाद (pluralism) का क्षरण।
- रूढ़िवाद को धर्मिनरपेक्षता और उदारवाद द्वारा दी गई चुनौती।
   सांस्कृतिक विरासत और पवित्र स्थलों का विनियोग या अपमान।

## शिक्षा और जागरूकता का अभावः

 भ्रामक सूचनाओं का आसानी से प्रसार हो सकता है, ये अविश्वास और गलतफहमी को गहरा कर सकती हैं और अंतत: सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में योगदान दे सकती हैं।

# भारत में सांप्रदायिक हिंसा के प्रभाव:

#### मानव जीवन की हानि:

सांप्रदायिक हिंसा के सबसे विनाशकारी परिणामों में से एक है मानव जीवन की हानि। व्यक्ति, परिवार और संपूर्ण समुदाय ऐसी हत्याओं से टूट जाते हैं और ये ऐसे घाव छोड़ जाते हैं जो पीढियों तक बने रहते हैं।

#### संपत्ति का विनाशः

 सांप्रदायिक हिंसा घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों के विनाश का कारण बनती है।  इस विनाश से होने वाली आर्थिक क्षित बहुत अधिक भी हो सकती है, जो व्यक्तियों और समुदायों की आजीविका को प्रभावित कर सकती है।

#### • सामाजिक विघटनः

- विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक संसंजन, सिहण्णुता, एकजुटता आदि का टूटना या कमजोर पडना।
  - विश्वास और एकता का वह ताना-बाना जो समाज को एक साथ बांध कर रखता है, प्राय: सांप्रदायिक हिंसा से टट जाता है।
- जो समुदाय कभी सद्भाव में रहते रहे थे, वे स्वयं को धार्मिक आधार पर विभाजित पाते हैं, जिससे वे बंधन नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं।

#### • आर्थिक आघात:

- सांप्रदायिक हिंसा के महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। संसाधनों और धन का विचलन या बर्बादी इसका एक प्रमुख प्रभाव है।
- निवेशक हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में निवेश करने से संकोच रख सकते हैं, आर्थिक गतिविधियाँ बाधित हो सकती हैं और विकासात्मक परियोजनाएँ पटरी से उतर सकती हैं, जिससे प्रगति और विकास की गति मंद पड़ सकती है।

#### • मनोवैज्ञानिक प्रभावः

- सांप्रदायिक हिंसा से होने वाला मानिसक आघात शारीरिक क्षित से कहीं अधिक व्यापक होता है।
- उत्तरजीवी (Survivors) प्राय: मनोवैज्ञानिक संकट, दुश्चिंता और अवसाद का अनुभव करते हैं, जिससे उनकी समग्र सेहत और पूर्णता से जीवन जीने की क्षमता प्रभावित होती है।

#### • राजनीतिक प्रभाव:

- भारत में लोकतंत्र, धर्मिनरपेक्षता, कानून का शासन, न्याय आदि का क्षरण या उनका कमजोर पड़ना। राजनीतिक संस्थानों और अभिकर्ताओं की वैधता एवं विश्वसनीयता की हानि।
- राजनीतिक प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, संरक्षण,
   हिंसा आदि में वृद्धि। तानशाही, लोकलुभावनवाद, उग्र
   राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता आदि का उदय या पुनरुत्थान।

#### सुरक्षा पर प्रभाव:

- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा या चुनौती।
- सांप्रदायिक झगड़ों में बाहरी तत्त्वों या शक्तियों की भागीदारी या हस्तक्षेप।

- सांप्रदायिक हिंसा का सीमाओं के पार प्रसार या वृद्धि।
  - सांप्रदायिक हिंसा और हिंसा के अन्य रूपों—जैसे आतंकवाद, विद्रोह, उग्रवाद आदि के बीच संबंध या सांठगांठ। हथियारों और विस्फोटकों का प्रसार या दुरुपयोग।

## सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिये संभावित समाधान:

## • सुदृढ़ कानूनी ढाँचाः

- विभिन्न समुदायों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने वाले कानूनों और नीतियों का अधिनियमन या प्रवर्तन।
- हेट स्पीच, घृणापूर्ण अपराध, सांप्रदायिक दंगों आदि की रोकथाम या निषेध। सांप्रदायिक हिंसा के अपराधियों या इसे भड़काने वालों पर मुक़दमा चलाना और उन्हें दंडित करना।
- सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों या उत्तरजीवियों के लिये न्याय या राहत का प्रावधान या मुआवजा।

## संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करनाः

- सांप्रदायिक मुद्दों को हल करने वाले राजनीतिक संस्थानों और तंत्रों को सुदृढ़ करना या उनमें सुधार लाना।
- सांप्रदायिक हिंसा की निगरानी या जाँच करने वाले स्वतंत्र या निष्पक्ष निकायों या एजेंसियों की स्थापना और उनका सशक्तीकरण।
- शासन में पारदर्शिता, जिम्मेदारी, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ावा देना।

# • शैक्षिक सुधारः

- पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विकास या संशोधन जो विभिन्न समुदायों के बीच शांति, सिहष्णुता, सम्मान और विविधता की संस्कृति को बढ़ावा देते हों।
- सांप्रदायिक सद्भाव और सह-अस्तित्व पर शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों, मीडिया आदि का प्रशिक्षण या संवेदीकरण। अंतर-सामुदायिक संवाद और आदान-प्रदान के अवसरों का निर्माण या विस्तार करना।

# • सामाजिक सुधार:

- विभिन्न समुदायों के बीच सामाजिक पूंजी और विश्वास का निर्माण या पुनर्निर्माण करना। सांप्रदायिक सद्भाव और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिये गैर-सरकारी संगठनों, धार्मिक नेताओं, महिला समूहों, युवा समूहों आदि नागरिक समाज के अभिकर्ताओं की लामबंदी या भागीदारी।
- भारत के समाज और संस्कृति में विभिन्न समुदायों के योगदान एवं उपलिब्धयों को चिह्नित करना या उनके प्रति सम्मान-भाव प्रकट करना।

#### आर्थिक उपाय:

- विभिन्न समुदायों के बीच आर्थिक स्थितियों और अवसरों का सुधार या पुनर्वितरण।
- हाशिये पर स्थित समूहों के बीच गरीबी, असमानता, भेदभाव आदि का उन्मूलन करना।
- विभिन्न समुदायों के बीच आर्थिक सहयोग और सहकार्यता
   को सुगम बनाना या उन्हें एकीकृत करना।

#### • सांस्कृतिक उपाय:

- भारत में सांस्कृतिक विविधता और बहुलवाद का संरक्षण या पुनर्स्थापना। विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और पवित्र स्थलों का संरक्षण या संवर्द्धन।
- विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और नवाचार को प्रोत्साहन देना या उनकी सराहना करना।

#### • समुदाय की संलग्नताः

- स्थानीय सामुदायिक नेता, धार्मिक हस्तियाँ और नागरिक समाज संगठन अंतर-धार्मिक संवाद एवं समझ को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- जमीनी स्तर के प्रयास धार्मिक मतभेदों से परे संबंधों को बढावा दे सकते हैं।

## • मीडिया की ज़िम्मेदारी:

मीडिया आउटलेट्स की जिम्मेदारी है कि वे सांप्रदायिक तनाव को भड़काने वाले सनसनीखेज और पक्षपातपूर्ण कवरेज से बचते हुए निष्पक्षता और उत्तरदायित्व से रिपोर्टिंग करें।

## आगे की राहः

# • सामाजिक संसंजन या एकता को बढ़ावा देनाः

- धार्मिक संबद्धताओं से परे एक मज़बूत राष्ट्रीय पहचान के निर्माण की दिशा में प्रयास किये जाने चाहिये।
- सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाने और एकता की भावना को बढ़ावा देने से सांप्रदायिक विभाजन को दूर करने में मदद मिल सकती है।

#### • आर्थिक सशक्तीकरणः

अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने वाली नीतियों के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को हल करने से वंचना या हाशिये पर स्थित होने की भावनाओं को कम किया जा सकता है और अधिक समावेशी समाज का निर्माण किया जा सकता है।

## • युवा संलग्नताः

 शांति, सिंहण्णुता और एकता को बढ़ावा देने वाले साधनों के साथ युवाओं को सशक्त बनाना इन मूल्यों को अपने अंदर बनाए रखने वाली पीढ़ी के पोषण के लिये आवश्यक है।

# AB-PMJAY के पाँच वर्ष

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) को वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक स्थिति से परे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करके समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। इसमें गरीबी कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के रूप में देश के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को रूपांतरित कर सकने की क्षमता है।

# AB-PMJAY के मुख्य उद्देश्यः

- लाभार्थियों के लिये स्वास्थ्य देखभाल पर जेब के खर्च (Out-Of-Pocket Expenditure- OOPE) के वित्तीय बोझ को कम करना।
- लाभार्थियों के लिये स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और वहनीयता (affordability) में सुधार लाना।
- देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाना।
- लाभार्थियों के लिये निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक स्वास्थ्य हस्तक्षेप को बढ़ावा देना।

# AB-PMJAY की मुख्य विशेषताएँ:

#### • स्वास्थ्य कवरः

यह योजना 12 करोड़ से अधिक परिवारों (जनसंख्या का निचला 40% भाग) को माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल भर्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिये प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

#### • पैकेजः

यह योजना 1,949 पैकेजों की एक व्यापक सूची के माध्यम से लगभग सभी स्वास्थ्य स्थितियों के लिये चिकित्सा और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिसमें कैंसर देखभाल, हृदय रोग देखभाल, न्यूरोसर्जरी, आर्थोपेडिक्स, जलने संबंधी प्रबंधन, मानसिक विकार आदि शामिल हैं।

#### • वित्तपोषणः

- यह एक केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसका अर्थ यह है कि यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा वित्तपोषित है।
- अधिकांश राज्यों के लिये वित्तपोषण अनुपात 60:40 है, जबिक पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयी राज्यों के लिये इस अनुपात को 90:10 और विधानसभा-रहित केंद्रशासित प्रदेशों के लिये इसे 100:0 रखा गया है।

## आईटी प्लेटफार्मः

- यह योजना सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी एवं दुरुपयोग को रोकने के लिये एक सदृढ़ आईटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है।
- यह प्लेटफॉर्म लाभार्थी पहचान प्रणाली, हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट मॉड्यूल, लेनदेन प्रबंधन प्रणाली, दावा प्रबंधन प्रणाली, शिकायत निवारण तंत्र जैसी सुविधाएँ रखता है।

#### • अस्पतालः

- इस योजना के तहत देश भर में 27,000 से अधिक सूचीबद्ध अस्पतालों का नेटवर्क है, जिनमें से आधे से अधिक निजी अस्पताल हैं।
  - यह योजना प्रभावी कार्यान्वयन के लिये ट्रस्ट-आधारित मॉडल, बीमा-आधारित मॉडल या हाइब्रिड मॉडल जैसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल को भी प्रोत्साहित करती है।

#### • 'पोर्टेबिलिटी':

- योजना में अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुविधा शामिल है, जिसका अर्थ यह है कि एक राज्य में पंजीकृत लाभार्थी किसी ऐसे अन्य राज्य में भी सेवाओं का लाभ उठा सकता है जहाँ AB-PMJY कार्यक्रम कार्यान्वित है।
  - यह प्रवासियों के लिये, विशेष रूप से आपात स्थितियों
     में, मददगार साबित हुआ है।

## आरोग्य मित्रः

- योजना में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्रों (PMAMs) का एक समर्पित कार्यबल शामिल है जो योजना के दायरे में आने वाले लाभार्थियों को प्रत्येक चरण पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है।
  - वे लाभार्थी सत्यापन, पंजीकरण, पूर्व-अनुमित (preauthorisation), दावा प्रस्तुतीकरण (claim submission) आदि के लिये जिम्मेदार हैं।

# निगरानी और मूल्यांकनः

- योजना में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये
   एक निगरानी और मुल्यांकन तंत्र मौजूद है।
- योजना में एक सार्वजनिक डैशबोर्ड शामिल है जहाँ कार्यान्वयन विवरण को दिन-प्रतिदिन के आधार पर ट्रैक किया जा सकता है।
  - यह योजना उन लाभार्थियों का विवरण भी प्रकाशित करती है (उनकी गोपनीयता से समझौता किये बिना) जिन्होंने योजना के तहत उपचार का लाभ उठाया है।

 दावा की प्रक्रिया पूर्णत: 'फेसलेस' है (व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं)।

# 'एंटी फ्रॉड यूनिट':

- योजना में एक राष्ट्रीय धोखाधड़ी-रोधी इकाई (National Anti-Fraud Unit- NAFU) शामिल है जो धोखाधड़ी-रोधी पहलों को डिजाइन करती है, इन्हें कार्यान्वित करती है और इनकी निगरानी करती है।
  - राज्य स्तर पर भी धोखाधड़ी-रोधी इकाइयाँ स्थापित की गई हैं।
- NAFU संदिग्ध लेनदेन या संभावित धोखाधड़ी के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।
  - NAFU दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिये डेस्क और फील्ड ऑडिट (जिसमें बिना पूर्व-सूचना के अचानक ऑडिट करना शामिल है) भी आयोजित करता है।
  - धोखाधड़ी या कदाचार के लिये 210 से अधिक अस्पतालों को पैनल से हटाया गया है।

## • कॉल सेंटर:

- योजना में एक कॉल सेंटर शामिल है जिसके द्वारा उपचार की मात्रा और गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिये अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 48 घंटे के भीतर उपचार का लाभ उठाने वाले प्रत्येक लाभार्थी को कॉल किया जाता है।
  - प्रोग्नोसिस (prognosis) के बारे में जानने के लिये
     15 दिनों के बाद एक और कॉल की जाती है।

# AB-PMJAY की उपलब्धियाँ:

#### कवरेजः

- AB-PMJAY के पाँच वर्ष पूरे होने के साथ इसने अब तक 15.5 करोड़ से अधिक परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों) को दायरे में लिया है जिन्हें माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल भर्ती स्वास्थ्य देखभाल के लिये प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा रहा है।
  - 11 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी-अपनी आबादी के 100% कवरेज पर बल दिया है।

#### • बचतः

- योजना ने पिछले पाँच वर्षों में 66,284 करोड़ रुपए मूल्य के
   5.39 करोड़ से अधिक प्रवेश कार्यक्रमों को पूरा किया है।
- यदि लाभार्थियों ने AB-PMJAY के दायरे से बाहर सदृश देखभाल सेवा का लाभ उठाया होता तो उपचार की कुल लागत इससे लगभग दो गुना अधिक होती।

 इससे लाभार्थियों को 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है।

#### • प्रभावः

- योजना ने लाभार्थियों के जेब के खर्च (OOPE) को 60%
   तक कम कर दिया है और तृतीयक देखभाल तक उनकी पहुँच
   65% तक बढ़ा दी है।
  - इस योजना से लाभार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार और संतुष्टि में भी सुधार आया है।

## गुणवत्ता और दक्षताः

- योजना ने पैनल में शामिल अस्पतालों के लिये मानक उपचार प्रोटोकॉल, गुणवत्ता प्रमाणन और प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन का आरंभ कर देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणालियों की गुणवत्ता एवं दक्षता को बढ़ाया है।
  - योजना से सार्वजिनक अस्पतालों के बिस्तर अधिभोग दर (bed occupancy rate) और राजस्व सृजन

में भी वृद्धि हुई है।

## नवाचार और पहल:

- इस योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच को बढ़ाने के लिये कई नवाचारों एवं पहलों की शुरुआत की है।
- इनमें से कुछ हैं: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM), आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (ABHIM), AB-PMJAY स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज, AB-PMJAY अवार्ड्स आदि।

#### समावेशिताः

- यह योजना ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को लाभार्थियों की सूची में जोडकर समावेशिता के अपने वादे पर खरी उतरी है।
- लगभग 50 पैकेज विशेष रूप से इस समुदाय के लिये डिजाइन किये गए हैं, जिनमें सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी (SRS) पर पैकेज भी शामिल हैं।



# AB-PMJAY के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ:

#### जागरूकता की कमी:

- इस योजना को संभावित लाभार्थियों के बीच, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, कम जागरूकता स्तर की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।
  - कई पात्र लाभार्थियों को अपने अधिकारों/पात्रता के बारे में या उनका लाभ कैसे उठाया जाए, इस बारे में जानकारी नहीं है।
  - अधिक जागरूकता और मांग पैदा करने के लिये योजना के आउटरीच और संचार प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

## • आपूर्ति पक्ष की बाधा:

- देश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और मानव संसाधनों के असमान वितरण एवं उपलब्धता के कारण इस योजना को आपूर्ति पक्ष की बाधा का सामना करना पड़ रहा है।
- कई राज्यों में पैनलबद्ध अस्पतालों की कमी है, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों और आदिवासी इलाकों में।

## प्रतिपूर्ति संबंधी मुद्देः

- इस योजना के समक्ष पैनल में शामिल अस्पतालों, विशेषकर निजी अस्पतालों के दावों की समय पर और पर्याप्त प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने की चुनौती है।
- कई अस्पतालों ने भुगतान में देरी, कम पैकेज दरों, उच्च अस्वीकृति दरों (denial rates) और बोझिल प्रक्रियाओं की शिकायत की है।
  - योजना की संवहनीयता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये दावा निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और त्वरित करने तथा पैकेज दरों को समय-समय पर संशोधित करने की आवश्यकता है।

# • धोखाधड़ी और दुरुपयोगः

- इस योजना के समक्ष बेईमान तत्वों द्वारा धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने तथा उनका पता लगा सकने की चुनौती है जो व्यक्तिगत लाभ के लिये योजना का गलत लाभ उठाने की कोशिश करते हैं।
- हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने खुलासा किया है कि लगभग 7.5 लाख लाभार्थी एक ही सेल फोन नंबर (999999999) से जुड़े हुए थे।
  - धोखाधड़ी-रोधी तंत्र (anti-fraud mechanisms) को सुदृढ़ करने और योजना के तहत धोखाधड़ी या कदाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

# AB-PMJAY से जुड़ी भविष्य की संभावनाएँ:

#### • रूपांतरण

- इस योजना में भारत की आधी आबादी को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करके देश के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को आमूलचूल रूप से रूपांतरित कर सकने क्षमता है।
- यह योजना सतत् विकास लक्ष्य 3.8 की प्राप्ति में भी योगदान दे सकती है, जहाँ वर्ष 2030 तक सभी के लिये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की परिकल्पना की गई है।

## • एकीकरणः

- यह योजना देश में प्राथिमक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को माध्यिमक और तृतीयक देखभाल प्रणाली से जोड़कर सुदृढ़ करने के लिये उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य कर सकती है।
- यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, वहनीयता/सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार के लिये डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों की क्षमता का भी लाभ उठा सकती है।

#### • विकास:

- यह योजना गरीबी को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के रूप में देश के सामाजिक-आर्थिक विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
- यह योजना रोजगार के अवसर भी सृजित कर सकती है और स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रेरित कर सकती है।

# AB-PMJAY में सुधार के लिये कुछ प्रमुख अनुशंसाएँ:

# • आयुष्मान कार्ड का प्रावधान:

- योजना प्रत्येक संभावित लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य चुन सकती है, जो 5 लाख रुपए के प्री-पेड कार्ड के रूप में कार्य कर सकता है और जिसका उपयोग किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में नि:शुल्क इलाज के लिये किया जा सकता है।
  - इससे लाभार्थी की पहचान और सत्यापन में होने वाली जटिलता और देरी को कम किया जा सकता है।

#### दायराः

- योजना को अपने दायरे में अधिक स्वास्थ्य दशाओं, प्रक्रियाओं एवं सेवाओं को शामिल करते हुए अपने स्कोप और कवरेज का विस्तार करना चाहिये।
  - योजना में बाह्य रोगी देखभाल, निदान (diagnostics), दवाओं आदि को भी शामिल करने पर विचार करना चाहिये, जो कई लाभार्थियों के लिये जेब के खर्च का एक प्रमुख भाग होता है।

#### • अभिसरणः

- योजना को दोहराव, विखंडन एवं भ्रम से बचने के लिये केंद्र और राज्य स्तर पर अन्य स्वास्थ्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ समन्वय और अभिसरण बढ़ाना चाहिये।
- इस योजना को विभिन्न हितधारकों—जैसे कि नागरिक समाज संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी क्षेत्र की संस्थाओं आदि के साथ सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिये ताकि उनकी विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाया जा सके।

# लैंगिक उत्तरदायी शहरी नियोजन

लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन (Gender Responsive Urban Planning) एक ऐसा दृष्टिकोण है जो शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और अनुभवों को चिह्नित करता है तथा उनका समाधान करता है। इसका लक्ष्य ऐसे शहरों का निर्माण करना है जो सभी लिंगों के लिये समावेशी, सुरक्षित, सुलभ और संवहनीय हों। लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन इस बात पर विचार करता है कि शहर में अवसरों और संसाधनों तक लोगों की पहुँच को आकार देने के लिये लिंग, आयु, वर्ग, जाति, नृजातीयता, विकलांगता और यौन उन्मुखता जैसे अन्य कारकों के साथ कैसे अंतः क्रिया करता है।

भारत में—जहाँ शहरीकरण सामाजिक और आर्थिक ताने-बाने को नया आकार दे रहा है, लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन की अवधारणा और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है। इस दृष्टिकोण में लिंग-विशिष्ट चुनौतियों (gender-specific challenges) का समाधान करने और घरेलू एवं व्यावसायिक उत्तरदायित्वों के संतुलन के लिये पारंपरिक शहरी डिजाइन रणनीतियों एवं नीतियों पर पुनर्विचार करना शामिल है। शहरी नियोजन में लैंगिक दृष्टिकोण को एकीकृत करके, भारत ऐसे वातावरण का निर्माण कर सकता है जो महिलाओं को सशक्त बनाता है, शहरी कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाता है और उनके समग्र कल्याण में योगदान देता है।

# भारत के लिये लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन की महत्ता:

- हिंसा और भय की उपस्थिति:
  - महिलाएँ सड़कों, बाजारों, पार्कों, बसों, ट्रेनों जैसे सार्वजिनक स्थलों/सुविधाओं में विभिन्न प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न का अनुभव करती हैं।
    - इससे शहर में उनकी गतिशीलता, स्वतंत्रता और भागीदारी प्रभावित होती है।

- ORF द्वारा 140 भारतीय शहरों में आयोजित किये गए वर्ष 2021 के एक अध्ययन के अनुसार 52% महिलाओं ने सुरक्षा की कमी के कारण शिक्षा और रोज्ञगार के अवसरों को ठुकरा दिया।
- Ola द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित एक अध्ययन से खुलासा हुआ कि 11 शहरों की केवल 9% महिलाएँ मानती थीं कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना सुरक्षित है।

#### अवैतनिक देखभाल कार्यः

- मिहलाएँ घरेलू कामकाज, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल जैसे अवैतिनक देखभाल कार्यों का असंगत बोझ उठाती हैं।
- यह शिक्षा, अवकाश और नागरिक सहभागिता के लिये उनके समय एवं ऊर्जा को सीमित करता है।
- वर्ष 2018 का ILO का शोध बताता है कि भारतीय महिलाएँ घरेलू कार्य पर प्रतिदिन 297 मिनट खर्च करती हैं, जबिक पुरुष मात्र 31 मिनट खर्च करते हैं।
- वर्ष 2021 की ऑक्सफैम (Oxfam) रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय महिलाएँ और बालिकाएँ संयुक्त रूप से प्रतिदिन
   3.26 बिलियन घंटे अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं।

## • लैंगिक नीतियों और अभ्यासों का अभाव:

- शहरी नियोजन और प्रबंधन प्राय: शहर में महिलाओं और पुरुषों की विविध वास्तविकताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखता है।
- उदाहरण के लिये, संभव है कि सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ महिलाओं के लिये सस्ती, सुलभ या सुरक्षित नहीं हों।
  - संभव है कि महिलाओं के लिये सार्वजनिक शौचालय
     पर्याप्त संख्या में या पर्याप्त साफ-सुथरे नहीं हों।
  - संभव है कि सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के आराम और सुरक्षा के अनुरूप अभिकल्पित या व्यवस्थित नहीं किया गया हो।
- इन लैंगिक असमानताओं का महिलाओं के हित या सेहत, सशक्तीकरण और मानवाधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- वे शहर और देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी बाधा डालते हैं।
  - इस प्रकार शहरी नियोजन में लैंगिक रूप से उत्तरदायी दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है जो सभी लिंग वर्गों के लिये समान अवसर एवं परिणाम सुनिश्चित करे।

## संबंधित पहलें:

- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन/अमृत (AMRUT)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0
- ट्यूलिप-द अर्बन लर्निंग इंटर्निशिप प्रोग्राम (TULIP)
- आत्मनिर्भर भारत अभियान

# लैंगिक रूप से उत्तरदायी नियोजन की चुनौतियाँ:

- लिंग-विघटित डेटा (Gender-Disaggregated Data) का अभावः
  - कई शहरी योजनाकारों और निर्णय-निर्माताओं के पास ऐसे विश्वसनीय एवं प्रासंगिक डेटा तक पहुँच नहीं होती जो शहर में महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं एवं अनुभवों को परिलक्षित करते हों।
    - इससे शहरी अवसरों और संसाधनों तक मिहलाओं की पहुँच को प्रभावित करने वाले अंतराल और असमानताओं की पहचान करना तथा उनका समाधान करना कठिन हो जाता है।
- विविधतापूर्ण भागीदारी का अभावः
  - शहरी नियोजन और डिजाइन प्रक्रियाओं से महिलाओं तथा हाशिये पर स्थित अन्य समूहों को प्राय: बाहर रखा जाता है या उन्हें कम प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
  - शहर को आकार देने में उनकी आवाज और दृष्टिकोण को सुना या महत्त्व नहीं दिया जाता है।

- इससे ऐसी शहरी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण होता है जो उनकी वास्तविकताओं एवं आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते या उन पर ध्यान नहीं देते।
- लैंगिक जागरूकता और क्षमता का अभाव:
  - कई सरकारी प्राधिकरणों और समुदायों में शहरी नियोजन एवं डिजाइन में लैंगिक समावेशन के महत्त्व के बारे में जागरूकता का अभाव पाया जाता है।
  - उनके पास लैंगिक रूप से उत्तरदायी रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये कौशल, उपकरण और संसाधनों का भी अभाव होता है।
    - इसके परिणामस्वरूप ऐसे शहरी हस्तक्षेप उत्पन्न होते हैं जो लैंगिकता की अनदेखी करने वाले (genderblind) या यहाँ तक कि लैंगिक रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण (gender-biased) होते हैं।
- राजनीतिक इच्छाशिक और प्रतिबद्धता का अभाव:
  - लौंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन के लिये शासन और नेतृत्व के सभी स्तरों से मजबूत राजनीतिक इच्छाशिक्त और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
  - इसके कार्यान्वयन और प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त धन, समन्वय, निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र की भी आवश्यकता है।
    - हालाँकि कई संदर्भों में इनकी प्राय: कमी या अपर्याप्तता की स्थिति पाई जाती है, विशेषकर वहाँ जहाँ लैंगिक समानता एक प्राथमिकता नहीं है या जहाँ इसे प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।



# भारत में लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन लागू करने के उपाय:

- लिंग-विघटित डेटा का सृजन करना:
  - शहर में विभिन्न समूहों के लोगों की स्थित और आवश्यकताओं को समझने के लिये डेटा आवश्यक है।
  - हालाँिक, अधिकांश शहरी डेटा लिंग या अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर विघटित/विभाजित नहीं है।
    - इस प्रकार, ऐसा डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना महत्त्वपूर्ण है जो शहरी आबादी और उनके अनुभवों की विविधता को दर्शाता हो। इससे लैंगिक रूप से उत्तरदायी हस्तक्षेपों के लिये अंतराल, चुनौतियों, प्राथमिकताओं और अवसरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
- विविध हितधारकों को शामिल करना:
  - लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन सहभागितापूर्ण होना चाहिये और इसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाना चाहिये, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें प्राय: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से वंचित या बाहर रखा जाता है।
  - इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि, आयु, योग्यता और पहचान का प्रतिनिधित्व करने वाले महिला-पुरुष शामिल हैं।
  - उनकी आवाज और दृष्टिकोण को शहरी नीतियों और कार्यक्रमों के डिजाइन निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और निगरानी में शामिल किया जाना चाहिये।
- लैंगिक असमानता के विभिन्न आयामों को संबोधित करना:
  - लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन में न केवल शहर के भौतिक पहलुओं बिल्क लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिये।
    - इसका अभिप्राय है पितृसत्तात्मक मानदंडों, रूढ़िवादिता,
       भेदभाव और हिंसा जैसे लैंगिक असमानता के मूल कारणों से निपटना।
  - इसका अभिप्राय शहरी समुदायों के बीच लैंगिक जागरूकता,
     सशक्तीकरण और एकजुटता जैसे सकारात्मक बदलावों को
     बढावा देना भी है।
- रूपांतरणकारी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना:
  - लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन का लक्ष्य शहर में ऐसे ठोस बदलाव लाना होना चाहिये जिससे सभी लिंग के लोगों के लिये जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो।

- इसमें निम्नलिखित नीतियाँ और कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं:
  - महिलाओं के लिये सुरक्षित, सस्ती, सुलभ और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करना।
  - महिलाओं के लिये पर्याप्त, स्वच्छ और लैंगिक रूप से अनुकूल (gender-sensitive) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करना।
  - महिलाओं के लिये सुरक्षित, समावेशी और जीवंत सार्वजनिक स्थान का निर्माण करना।
  - रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना।
  - शहरी शासन, नेतृत्व और नागरिक सहभागिता में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करना।
  - सार्वजनिक स्थानों पर लिंग आधारित हिंसा को रोकना और उस पर प्रतिक्रिया देना।
  - अवैतिनिक देखभाल कार्य को चिह्नित करना, उन्हें कम करना और पुरस्कृत करना।
- कुछ अच्छे अभ्यासों को अपनाना:
  - भोपाल में 'पिंक बस' पहल, जो महिलाओं और बालिकाओं
     के लिये मुफ्त और सुरक्षित बस सेवा प्रदान करती है।
  - जेंडर इनक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम (GICP), जो महिलाओं के लिये सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित और अधिक समावेशी बनाने के लिये दिल्ली, दार अस सलाम (तंजानिया), पेट्रोजावोस्क (रूस) और रोजारियो (अर्जेंटीना) में स्थानीय सरकारों एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर कार्य करता है।
  - सियोल (दक्षिण कोरिया) में वुमन-फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट' जो जेंडर बजिंटेंग, लैंगिक प्रभाव मूल्यांकन, लैंगिक रूप से अनुकूल डिजाइन और लैंगिक शिक्षा जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से महिलाओं के लिये आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक शहर का निर्माण करने का लक्ष्य रखता है।

# अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चौथी वर्षगाँठ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370—जिसने पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य (अब केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित) को अस्थायी रूप से विशेष दर्जा प्रदान किया था, को निरस्त किये जाने की चौथी वर्षगाँठ पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 ने केवल भ्रष्टाचार और अलगाववाद को बढ़ावा दिया था तथा जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करने के लिये इसे निरस्त करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण था।

# भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है ?

- परिचय: 17 अक्तूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को एक 'अस्थायी उपबंध' (temporary provision) के रूप में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष छूट प्रदान की थी, इसे अपने स्वयं के संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमित प्राप्त हुई थी और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को नियंत्रित रखा गया था।
  - इसे एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 306A के रूप में पेश किया गया था।
  - अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर राज्य की संविधान सभा को यह अनुशंसा करने का अधिकार दिया गया था कि भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद राज्य पर लागू होंगे।
  - राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के बाद जम्मृ-कश्मीर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा भारत के राष्ट्रपति को इसके उपबंधों और दायरे में संशोधन कर सकने की शक्ति प्रदान की गई थी।
- अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 से व्युत्पन्न हुआ था जिसे इसे जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की अनुशंसा पर वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश (Presidential Order) के माध्यम से पेश किया गया था।
  - अनुच्छेद 35A जम्मु-कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों (special rights and privileges) को परिभाषित करने का अधिकार देता था।

5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 'संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019' जारी किया। इसके माध्यम से भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में संशोधन किया (उल्लेखनीय है कि इसे रद्द नहीं किया)।

# अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति और सुरक्षा की वर्तमान स्थिति

- पथराव की घटनाओं और उग्रवाद में कमी:
  - सुरक्षा बलों की उपस्थिति में वृद्धि और NIA जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से पथराव की घटनाओं (stone pelting) में कमी आई।
  - पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी: जनवरी-जुलाई 2021 में पथराव की 76 घटनाएँ दर्ज हुईं, जबिक इसी अविध में वर्ष 2020 में 222 और 2019 में 618 घटनाएँ दर्ज हुई थीं।
  - सुरक्षा बलों को लगी चोटों में गिरावट आई और यह 64 (2019) से घटकर 10 (2021) रह गया।
  - पेलेट गन और लाठीचार्ज से नागरिकों को लगी चोटों की घटना 339 (2019) से घटकर 25 (2021) रह गई।
  - जम्मू-कश्मीर में बेहतर कानून-व्यवस्था स्थिपत हुई जहाँ वर्ष 2022 में विधि-व्यवस्था भंग होने की केवल 20 घटनाएँ दर्ज हुईं।

# **REDUCTION IN MILITANT ACTIVITY SINCE 2019**

	Acts of Terror	Deaths of civilians	Deaths of Security Personnel	Admission of Terrorists
2 October 2016- 4 August 2019	959	137	267	459
5 August 2019- 6 June 2022	654	118	127	394
% reduction	32%	14%	52%	14%

- उग्रवादियों और ओवर-ग्राउंड वर्कर्स ( OGWs ) की गिरफ़्तारियाँ:
  - ♦ उग्रवादी समूहों के OGWs की गिरफ्तारियाँ 82 (2019) से बढ़कर 178 (2021) हो गईं।

 आतंकवादी कृत्यों में गिरावट: अगस्त 2019 से जून 2022 के बीच इसके पिछले 10 माह की तुलना में आतंकवादी कृत्यों में 32% की गिरावट दर्ज की गई।

# इन चार वर्षों में कौन-सी विकास पहलें की गई?

# केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विकास:

## विकास परियोजनाएँ:

- भारत सरकार ने सड़क एवं रेल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा अवसंरचना, पर्यटन एवं विरासत को प्रोत्साहन, खेल एवं युवा सशक्तीकरण आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है।
  - सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिये प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP) के तहत 54 परियोजनाओं को मंज़री दी है।
- सरकार ने जम्मू-कश्मीर में केंद्र सरकार की विभिन्न प्रमुख योजनाओं—जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि को भी लागू किया है।
  - आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में 21 लाख से अधिक लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है और 1.5 लाख से अधिक लाभार्थियों ने निशुल्क चिकित्सा का लाभ उठाया है।
- पर्यटन और निवेश के लिये एक गंतव्य के रूप में जम्मू-कश्मीर की क्षमता को प्रदर्शित करने के लिये सरकार ने श्रीनगर में G20 पर्यटन कार्यसमह की बैठक आयोजित की।
  - यह जम्मू-कश्मीर में इस क्षेत्र को देश और दुनिया के शेष भागों के साथ एकीकृत करने वाला पहला महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था।
- सरकार ने निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये जम्मू-कश्मीर में अन्य व्यावसायिक बैठकों की भी मेजबानी की है।
  - जून 2022 में सरकार ने जम्मू-कश्मीर में एक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (Global Investors Summit) का भी आयोजन किया, जिसमें 200 से अधिक घरेलू और विदेशी कंपनियों की भागीदारी देखी गई।
  - इस शिखर सम्मेलन में जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिये कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, पर्यटन, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रों एवं अवसरों को चिह्नित किया गया।

इन घटनाक्रमों ने जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था और आजीविका को बढ़ावा देने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। इन्होंने जम्मू-कश्मीर के एक संघर्षग्रस्त क्षेत्र होने की वैश्विक धारणा को बदलने और एक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध गंतव्य के रूप में इसकी क्षमता को उजागर करने में भी मदद की है।

## • राजनीतिक सुधारः

- जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली: सरकार ने दिसंबर 2020 में जम्मू-कश्मीर में पहली बार जिला विकास परिषद (DDC) के चुनाव कराए, जिसमें 51.42% का उच्च मतदान स्तर दर्ज किया गया।
- सरकार ने जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में भी संशोधन किया है जहाँ पंचायतों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिये सीटों को आरक्षित किया गया।
- सरकार ने नवीनतम जनगणना आँकड़ों के आधार पर जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने के लिये परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू की है।

## • सुरक्षा उपाय:

 सुरक्षा बलों ने पिछले चार वर्षों में 800 से अधिक आतंकवादियों
 को मार गिराया है और आतंकवादी संगठनों के 5,000 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया है।

# केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में विकास:

 अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में भी आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज्जगार और शासन में सुधार के लिये विभिन्न विकास पहलों की शुरुआत की गई है। इनमें से कुछ प्रमुख पहलें हैं:

#### अवसंरचना

- सरकार ने निम्नलिखित आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर कार्य की गित तेज कर दी है:
  - जोजिला सुरंग, श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है, जिससे यात्री क्षमता में वृद्धि होगी और लद्दाख से आने-जाने के लिये अधिक उड़ानों की सुविधा प्राप्त होगी।
- सरकार ने दूरदराज के गाँवों तक इंटरनेट और मोबाइल सेवाएँ प्रदान करने के लिये फाइबर-ऑप्टिक केबल बिछाकर और सौर ऊर्जा संचालित टावर स्थापित कर लद्दाख के दूरसंचार नेटवर्क में सुधार का प्रयास किया है।

#### • शिक्षा

- लद्दाख के 75,000 से अधिक युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- लद्दाख में एक नया मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है।

#### स्वास्थ्य

- लेह और कारिगल में दो नए एम्स (AIIMS) जैसे संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं।
- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के तहत लद्दाख के सभी निवासियों के लिये एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है।

#### • रोजुगार

- यात्रा प्रतिबंधों में ढील देकर और पर्यटकों एवं ऑपरेटरों को प्रोत्साहन प्रदान कर पर्यटन एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- िकसानों और सहकारी सिमितियों को सिब्सिडी और बाजार संपर्क प्रदान कर जैविक खेती एवं बागवानी क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।

#### • शासन

- स्थानीय प्रतिनिधित्व और स्वायत्तता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कारगिल जिले के लिये एक 'हिल काउंसिल' का गठन किया गया है।
- जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये पंचायतों
   और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित कराये गए
   हैं।

# जम्मू-कश्मीर और लहाख केंद्रशासित प्रदेश अभी भी किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?

# जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ:

- चुनौतियाँ और चिंताएँ:
- लक्षित हत्याओं, विशेष रूप से कश्मीरी हिंदुओं और गैर-कश्मीरियों (प्रवासी मजदूरों) की हत्याओं में वृद्धि देखी गई।
  - 5 अगस्त, 2019 के बाद से हुई नागरिक हत्याओं के आधे से अधिक पिछले आठ माह में दर्ज किये गए।
- सीमा पार से सस्ते किस्म के ड्रोन द्वारा गिराये गए छोटे हथियारों का इस्तेमाल इन हत्याओं में किया गया।
- मिहलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि देखी गई है।

#### नज़रबंदी और अभिव्यक्ति का दमनः

- 5 अगस्त और 9 अगस्त, 2019 की निरस्तीकरण की कार्रवाई के विरुद्ध उभरे विरोध प्रदर्शन के दमन के लिये 5,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया था।
- असहमत राय व्यक्त करने के लिये पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

#### • उग्रवाद का पुनरुत्थान:

- पीर पंजाल क्षेत्र में उग्रवाद का फिर से उभार हुआ जहाँ पिछले 15 वर्षों में इसमें गिरावट देखी गई थी।
- CRPF जवानों के हताहत होने की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि
   देखी गई।

#### • राजनीतिक अभिव्यक्तियों का दमनः

- शांति और सुरक्षा के नाम पर कई वर्षों से जम्मू-कश्मीर में नेताओं की नजरबंदी की कार्रवाई जारी रही है।
  - राजनीतिक नेताओं को शांतिपूर्वक विरोध करने की अनुमित नहीं दी गई और उनके कार्यालय सील कर दिये गए।
- भूमि हस्तांतरण, सीमा-पार व्यापार की समाप्ति और स्थानीय व्यवसायों में गिरावट निरंतर बनी रही समस्याएँ हैं।
- विधानसभा चुनाव पाँच वर्ष के लिये स्थिगित कर दिये गए (अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से)।

#### • बेरोजगारी और भ्रष्टाचार:

 बेरोजगारी चिंताजनक रूप से 23.1% के स्तर पर है, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ऊपर है। हालाँकि सरकारी नौकरियों में नियुक्तियाँ हुई हैं, फिर भी बड़ी संख्या में रिक्तियाँ बनी हुई हैं।

## लद्दाख के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ:

- सीमा विवादः लद्दाख पाकिस्तान और चीन के साथ विवादित सीमाएँ रखता है। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प अस्थिरताकारी और अप्रत्याशित रही थी, जिससे लद्दाख की शांति और सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न हो गया था।
  - लद्दाख में भारतीय पशुपालकों को वास्तिवक नियंत्रण रेखा
     (LAC) के पास चीनी सेना द्वारा अवरोधों का सामना करना
     पड़ता है।
- विकास अंतराल: अवसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शासन के मामले में लद्दाख भारत के अन्य भागों से पिछड़ा हुआ है। यह क्षेत्र कमजोर कनेक्टिविटी, निम्न साक्षरता, उच्च मृत्यु दर, सीमित अवसरों और कमजोर संस्थानों जैसी समस्याओं से ग्रस्त है।

#### केंद्रशासित प्रदेश के रूप में गठन के बाद उत्पन्न हुई चिंताएँ:

- चार सूत्री एजेंडा: प्रमुख संगठन (कारिगल डेमोक्रेटिक अलायंस और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन) केंद्र सरकार से सिमिति के लिये चार सूत्री अधिदेश की मांग रखते हैं:
- लद्दाख को राज्य का दर्जा (केंद्रशासित प्रदेश में एक निर्वाचित विधानसभा की आवश्यकता)
- लद्दाख के पर्यावरण और स्वदेशी अधिकारों की रक्षा के लिये संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय
- लद्दाख के युवाओं के लिये नौकरी में आरक्षण
- लेह और कारिंगल के लिये अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण।

## छठी अनुसूची

- अनुच्छेद 244 विधायी और प्रशासिनक स्वायत्तता के साथ स्वायत्त जिला परिषदों (ADCs) के गठन का प्रावधान करता है।
- ADCs: 30 व्यक्तियों तक की सदस्यता के साथ ADCs
   भूमि, जल, कृषि, पुलिस व्यवस्था आदि का प्रबंधन करते हैं।
- वर्तमान अनुप्रयोगः यह व्यवस्था वर्तमान में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है।
- राज्य के दर्जे की मांग: लद्दाख के लोग पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं और उनका मानना है कि केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करता है। वे जनसांख्यिकीय परिवर्तन, भूमि हस्तांतरण और सांस्कृतिक क्षरण का भी भय रखते हैं।
- क्षेत्रीय विभाजन: लेह (मुख्य रूप से बौद्ध) और कारगिल (मुख्य रूप से मुस्लिम) दो ऐसे जिले हैं जो भिन्न धार्मिक, जातीय, भाषाई संरचना रखते हैं, साथ ही भिन्न-भिन्न राजनीतिक संबद्धताएँ और आकांक्षाएं भी रखते हैं।
- सांस्कृतिक पहचान: लद्दाख के लोगों की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है जो तिब्बती, बाल्टी, दार्दी, मंगोलॉयड और इंडो-आर्यन तत्वों से प्रभावित है। उनकी अपनी भाषाएँ, लिपियाँ, रीति-रिवाज, त्यौहार, कलाएँ और शिल्प हैं। वे आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के सामने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और उन्हें संवर्द्धित करने की इच्छा रखते हैं।
- स्थानीय विरोध: लद्दाख से संबंधित प्रसिद्ध इंजीनियर और शिक्षाविद सोनम वांगचुक वृहत स्वायत्तता और क्षेत्रीय मांगों के लिये मुखर रहे हैं। उन्होंने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जम्मू-कश्मीर के दर्जे को तरजीह देने का आरोप लगाया है।

### सोनम वांगचुकः

- SECMOL के संस्थापक: वह स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख (SECMOL) के सह-संस्थापक हैं।
- हिम स्तूप के आविष्कारक: उन्हें हिम स्तूप (Ice Stupa) के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है जो जल को हिम स्तूप के रूप में भंडारित करने का एक अभिनव दृष्टिकोण है।
- रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता: उन्हें शिक्षण प्रणालियों और सामुदायिक सहभागिता में सुधार के लिये वर्ष 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

#### आगे की राह

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में धारा 370 की समाप्ति के बाद के परिदृश्य में कुशलता से आगे बढ़ना आवश्यक है। इसलिये लिये निम्नलिखित उपाय करने होंगे-

- सामान्य स्थिति और विश्वास बहाल करनाः
  - विश्वास-निर्माण के लिये सामान्य स्थिति बहाल की जाए।
  - राजनीतिक बंदियों को रिहा करें, बातचीत को बढ़ावा दें,
     स्थानीय नेताओं को संलग्न करें।
- समावेशी शासन और भागीदारी:
  - विविध आकांक्षाओं की पूर्ति के लिये समावेशी शासन को बढ़ावा दिया जाए।
  - स्थानीय चुनावों का शीघ्र आयोजन हो, राजनीतिक मंचों के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाया जाए।
- आर्थिक विकास और निवेश:
  - अवसंरचना, पर्यटन, प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाए।
  - ♦ विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs), प्रोत्साहन (incentives), SME का समर्थन।
- सुरक्षा और शांति को सुदृढ़ करनाः
  - विकास के लिये सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित की जाए।
  - उग्रवाद का मुकाबला करें, स्थानीय कानून प्रवर्तन को सशक्त करें।
- सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करनाः
  - सांस्कृतिक भिन्नताओं को स्वीकार करें और उनका सम्मान करें।
  - 🔶 संस्कृति का संरक्षण करें, क्षेत्रीय हितों को संतुलित करें।
- अवसंरचना और कनेक्टिविटी:
  - 🔶 व्यापार, पर्यटन आदि के विकास लिये कनेक्टिविटी बढ़ाएँ।
  - डिजिटल अवसंरचना, शिक्षा, व्यवसाय को बढावा दें।

#### अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिः

- स्पष्ट रुख के साथ बाह्य धारणाओं का प्रबंधन किया जाए।
- सीमा विवादों को सुलझाएँ, पड़ोसी देशों के साथ संलग्नता बढ़ाई जाए।

सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें आर्थिक विकास, समावेशी शासन, सुरक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और प्रभावी कूटनीति का संयोजन हो, तािक क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखते हुए इसके नागरिकों के लिये एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

# भारतीय कृषि में प्रौद्योगिकी

कृषि और संबद्ध क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये केंद्रीय महत्त्व के क्षेत्र हैं। इस तथ्य को और एक सतत् भिवष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उचित ही अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान प्राकृतिक, पुनर्योजी और जैविक प्रणालियों सिहत विभिन्न प्रौद्योगिकी-सक्षम सतत् कृषि को बढ़ावा दे रही है।

हालाँकि भारत के समक्ष अपने कृषि क्षेत्र में अभी भी कई चुनौतियाँ और अवसर मौजूद हैं, जैसे कि कुछ फसलों के मामले में मांग एवं सामर्थ्य/वहनीयता की पूर्ति करना, अपनी कृषि उपज की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं पोषण में सुधार करना, उत्पादन लागत को कम करना और कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के साथ ही जलवायु परिवर्तन एवं कृषि पर इसके प्रभावों से निपटना। बीज प्रौद्योगिकी (technology) को अपनाकर इन चुनौतियों और अवसरों को संबोधित किया जा सकता है।

भारत में बीज प्रौद्योगिकी का एक समृद्ध इतिहास और परंपरा रही है, जो 1960 के दशक से चली आ रही है जब राष्ट्रीय बीज निगम (National Seeds Corporation) की स्थापना हुई थी। तब से भारत ने विभिन्न बीज प्रौद्योगिकियों—जैसे संकरण (hybridization), ऊतक संवर्द्धन (tissue culture), मॉलिक्यूलर मार्कर (molecular markers), ट्रांसजेनिक (transgenics) आदि को विकसित करने और अपनाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।

बीज प्रौद्योगिकी विभिन्न शस्य दशाओं में बीजों की क्षमता या प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये उनकी आनुवंशिक एवं भौतिक गुणवत्ता में सुधार करने के विज्ञान और कला को संदर्भित करती है। बीज प्रौद्योगिकी कम अतिरिक्त लागत पर सतत् कृषि के लिये महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है। G20 देशों के लिये बीज केंद्र (seed hub) बन सकने की अप्रयुक्त क्षमता के साथ भारतीय बीज बाजार का आकार लगभग 4 से 6 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।

# भारतीय कृषि के लिये बीज प्रौद्योगिकी क्यों महत्त्वपूर्ण

है ?

#### उच्चतर उत्पादकताः

- बीज प्रौद्योगिकी ऐसे उन्तत किस्मों को विकसित करके फसलों की उपज क्षमता को बढ़ा सकती है जिनमें उच्च अनाज या फल की गुणवत्ता, कीटों एवं रोगों के प्रति प्रतिरोध, सूखे या लवणता के प्रति सहनशीलता जैसे वांछनीय गुण होते हैं।
- बीज प्रौद्योगिकी प्राइमिंग या फिजियोलोजिकल एडवांसमेंट प्रोटोकॉल (priming or physiological advancement protocols) का उपयोग कर अंकुरण दर (germination rate), अंकुरण शक्ति (seedling vigour) और बीज के पादप स्थापन (plant establishment) में सुधार कर सकती है।

#### • उच्च इनपुट उपयोग दक्षताः

- बीज प्रौद्योगिकी फिल्म कोटिंग, पेलेटिंग या बीज उपचार (seed treatments) का उपयोग कर उर्वरकों, कीटनाशकों और जल जैसे इनपुट की मात्रा एवं लागत को कम कर सकती है जो इन इनपुट को इष्टतम मात्रा में सीधे बीज या पौधों तक पहुँचा सकती है।
- बीज प्रौद्योगिकी जैव-उत्तेजक और पोषक तत्वों (biostimulants and nutrients) का उपयोग कर पौधों के पोषक तत्वों के अवशोषण एवं उपयोग को भी बढ़ा सकती है जो पौधों के विकास और चयापचय को तेज कर सकते हैं।


#### • उच्च प्रत्यास्थताः

- ♦ बीज प्रौद्योगिकी आनुवंशिक हेरफेर (genetic manipulation), गित प्रजनन (speed breeding), जीन-संपादन उपकरण (gene-editing tools) या AI-उत्तरदायी सेंसर या पदार्थों (AI-responsive sensors or substances) का उपयोग करके लगातार बदलती और अप्रत्याशित जलवायु परिस्थितियों में फसलों की अनुकूलन क्षमता एवं स्थिरता में सुधार कर सकती है जो बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति पौधों की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकती हैं।
- जीव प्रौद्योगिकी जैविक या माइक्रोबियल इनोकुलम (biologicals or microbial inoculum) का उपयोग कर फसलों की विविधता और स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकती है जो पौधों की प्रतिरक्षा तथा मृदा की उर्वरता को बढा सकती है।

# भारत में उपयोग या विकसित की जा रही बीज प्रौद्योगिकियों के कुछ उदाहरण

- मोटे अनाज के बीज:
  - मोटे अनाज (Millets) पोषक तत्व से समृद्ध, प्रतिकूलता के प्रति सहनशील और लघु-चक्रीय फसलें हैं जो सतत् कृषि के लिये उपयुक्त हैं।
    - भारत मोटे अनाज के उत्पादन में वैश्विक अग्रणी स्थिति रखता है और मोटे अनाज, विशेष रूप से गौण मोटे अनाज (minor millets) की उन्नत किस्मों के गुणवत्ता-आश्वस्त बीज का उत्पादन कर वैश्विक बीज बाजार पर कब्जा करने की क्षमता रखता है।
  - भारत ने पारंपरिक प्रजनन और आणिवक तकनीकों का उपयोग करके मोटे अनाज की कई उच्च उपज देने वाली और जलवायु-प्रत्यास्थी किस्में विकसित की हैं।
    - भारत ने मोटे अनाज के बीजों के अंकुरण, उद्भव,
       एकरूपता और सुरक्षा में सुधार के लिये प्राइमिंग और
       फिल्म कोटिंग तकनीक भी शरू की है।
- कपास के बीज:
  - कपास भारत के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और लाखों किसानों के लिये आय का एक प्रमुख स्रोत है।
    - भारत ने वर्ष 2002 में बीटी कपास संकर (Bt cotton hybrids) पेश कर कपास उत्पादन में उल्लेखनीय

- सफलता प्राप्त की है।
- बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक फसल है जो बैसिलस थुरिंगिएंसिस (Bacillus thuringiensis-Bt) नामक मृदा जीवाणु के एक जीन को शामिल करती है, जो एक ऐसे प्रोटीन का उत्पादन करती है जो कुछ कीटों को मार देती है।
- बीटी कपास ने कीट द्वारा होने वाली क्षित और कीटनाशकों के उपयोग को कम करके कपास की उपज में वृद्धि की है।
- भारत ने आणिवक प्रजनन और जीन-संपादन उपकरणों का उपयोग कर भी कपास की कई नई किस्में विकसित की हैं, जिनमें फाइबर की गुणवत्ता, सूखा सहनशीलता, शाकनाशी प्रतिरोध जैसे गुणों में सुधार हुआ है।
- सब्जी के बीज:
  - भारत में विभिन्न प्रकार की सब्जी फसलों की कृषि की जाती है जिनके लिये विभिन्न प्रकार के बीजों की आवश्यकता होती है।
  - भारत ने पारंपिरक प्रजनन और जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके सिब्जियों की कई उन्नत किस्में और संकर विकसित किये हैं।
  - भारत ने सब्जी बीजों की गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार के लिये विभिन्न बीज संवर्द्धन तकनीकों—जैसे फिल्म कोटिंग, पेलेटिंग, प्राइमिंग, बायो-स्टिमूलस, न्यूट्रीएंट्स, बायोलॉजिकल्स आदि की भी शुरुआत की है।



# भारत में बीज प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने वाली कुछ प्रमुख नीतियाँ और विनियमन

- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV&FR Act), 2001:
  - यह अधिनियम पौधा प्रजनकों और किसानों को उनकी किस्मों एवं नवाचारों के लिये बौद्धिक संपदा अधिकार (intellectual property rights) संरक्षण प्रदान करता है।
  - यह पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और सतत् उपयोग को भी प्रोत्साहित करता है।
- बीज अधिनियम, 1966 और बीज नियम, 1968:
  - ये अधिनियम और नियम भारत में बीजों के गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणीकरण को नियंत्रित करते हैं। ये बीज परीक्षण, लेबलिंग और विपणन के लिये मानक एवं प्रक्रियाएँ भी निर्धारित करते हैं।
- उर्वरक ( अजैविक, जैविक या मिश्रित ) ( नियंत्रण ) संशोधन आदेश, 2021:
  - यह आदेश जैव-उत्तेजक (bio-stimulants) को उर्वरकों की श्रेणी के रूप में शामिल करने के लिये उर्वरक (अजैविक, जैविक या मिश्रित) (नियंत्रण आदेश, 1985) में संशोधन करता है।
    - जैव-उत्तेजक ऐसे पदार्थ या सूक्ष्मजीव हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास को बढ़ाते हैं।
    - यह आदेश भारत में जैव-उत्तेजक के पंजीकरण और उपयोग की सुविधा प्रदान करेगा।

## भारतीय कृषि के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ

- जल आपूर्ति में अनिश्चितताः
  - भारत में कृषि व्यापक रूप से मानसून की वर्षा पर निर्भर है,
     जो प्राय: अनियमित, अविश्वसनीय और अपर्याप्त होती है।
    - इसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न और अन्य फसलों के उत्पादन में साल-दर-साल उतार-चढ़ाव होता रहता है।
    - प्रचुर उत्पादन वाले वर्ष के बाद प्राय: भारी कमी वाले वर्ष की वापसी होती है।
  - इसके अलावा, भारत में फसली क्षेत्र का केवल एक-तिहाई हिस्सा ही सिंचाई के अंतर्गत शामिल है और सिंचाई अवसंरचना प्राय: अपर्याप्त, अकुशल एवं अपर्याप्त रखरखाव से ग्रस्त है।
  - जल की कमी और सूखा भारतीय कृषि के लिये बड़े खतरे हैं,
     विशेष रूप से अर्द्ध-शृष्क और शृष्क क्षेत्रों में।

#### पारिश्रमिक आय का अभाव:

- भारत में अधिकांश किसान निर्वाह कृषि (subsistence farming) करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मुख्य रूप से स्वयं के उपभोग के लिये फसलें उगाते हैं और बाज़ार में बेचने के लिये उनके पास बहुत कम या कोई अधिशेष नहीं बचता है।
  - कृषि उपज की कीमतें प्राय: कम और अस्थिर होती हैं तथा उत्पादन की लागत को भी कवर नहीं कर पाती हैं।
  - िकसानों को बिचौलियों, व्यापारियों और साहूकारों द्वारा शोषण का सामना करना पड़ता है, जो उच्च ब्याज दरों और कमीशन की वसुली करते हैं।
- िकसान औपचारिक ऋण और बीमा तक सीमित पहुँच रखते
   हैं जो उन्हें ऋण जाल और फसल विफलता के प्रति
   संवेदनशील बनाती है।
  - किसानों के पास उचित मूल्य और नीतियों की मांग करने के लिये सौदेबाजी की शक्ति और सामूहिक कार्रवाई का भी अभाव है।

#### • भूमि जोत का विखंडनः

- जनसंख्या वृद्धि और संयुक्त पिरवार प्रणाली के विखंडन के कारण, कृषि भूमि का लगातार छोटे भूखंडों या भूमि जोत में विभाजन हो रहा है।
  - भारत में भूमि जोत का औसत आकार 2 हेक्टेयर से भी कम है और लगभग 86% किसान छोटे एवं सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है।
- भूमि जोत के विखंडन से कृषि की दक्षता और उत्पादकता कम हो जाती है, साथ ही मशीनीकरण और विविधीकरण की गुंजाइश भी कम हो जाती है।
- 🔶 इससे कृषि और प्रबंधन की लागत भी बढ़ जाती है।
- गुणवत्तापूर्ण बीजों और आगतो तक पहुँच का अभावः
  - बीज कृषि में सबसे महत्त्वपूर्ण इनपुट हैं, क्योंकि वे ही फसलों की उपज क्षमता और गुणवत्ता निर्धारित करते हैं।
  - हालाँिक, भारत में कई किसानों के पास उन्नत किस्मों के ऐसे गुणवत्तापूर्ण बीजों तक पहुँच नहीं है, जिनमें उच्च उपज, कीटों एवं रोगों के प्रति प्रतिरोध, सूखे या लवणता के प्रति सहनशीलता जैसे वांछनीय गुण होते हैं।
    - बीज प्रतिस्थापन दर (Seed Replacement Rate-SRR)—जो किसी फसल के लिये बोए गए कुल क्षेत्र में प्रमाणित बीजों के साथ बोए गए क्षेत्र के प्रतिशत को निरूपित करता है, भारत में कई फसलों के लिये कम है।

- उदाहरण के लिये, चावल के लिये SSR केवल 39.8%
   है, जबिक गेहूँ के लिये यह 40.3% है।
- किसानों के पास उर्वरक, कीटनाशक, जैव-उत्तेजक, पोषक तत्व जैसे अन्य इनपुट तक पहुँच की भी कमी है, जो विभिन्न शस्य दशाओं में बीजों के प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं।

### मशीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का अभावः

- जुताई , बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई, मड़ाई और फसलों के परिवहन में मशीनों का बहुत कम उपयोग किया जाता है या बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है।
  - मशीनीकरण की कमी से कृषि की दक्षता और उत्पादकता कम हो जाती है, साथ ही कठिन परिश्रम की आवश्यकता और श्रम लागत भी बढ़ जाती है।
- परिशुद्ध कृषि (precision agriculture), जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल कृषि जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के बारे में बहुत से किसान जागरूक या प्रशिक्षित नहीं हैं, जो कृषि उपज की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार कर सकते हैं।

#### संबद्ध अवसंरचना का अभाव:

- भारत में किसानों को बाजार पहुँच, भंडारण सुविधाओं, प्रसंस्करण इकाइयों, परिवहन नेटवर्क जैसी संबद्ध अवसंरचना की कमी के कारण भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी उपज का मूल्यवर्द्धन कर सकते हैं और उनकी आय बढा सकते हैं।
- बाजार की जानकारी, प्रतिस्पर्द्धा, विनियमन आदि के अभाव के कारण किसानों को प्राय: अपनी उपज कम कीमत पर बेचनी पडती है।
  - ऐसे उचित भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को फसल के बाद के नुकसान (postharvest losses) का भी सामना करना पड़ता है, जो उनकी उपज को खराब होने और क्षित से बचा सकता है।
- िकसानों के पास अपनी उपज को मूल्यवर्द्धित उत्पादों में संसाधित करने के ऐसे सीमित अवसर मौजूद हैं जो बाजार में उच्च कीमतें प्राप्त कर सकते हैं।
- खराब सड़क संपर्क और उच्च पिरवहन लागत के कारण किसानों को अपनी उपज को खेत से बाज़ार तक ले जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

#### आगे की राह

#### आय अधिकतम करना, जोखिम न्यूनतम करनाः

- किसानों को अपनी फसलों, बाजारों, इनपुट, प्रौद्योगिकियों और संगठनात्मक रूपों के बारे में सूचना-संपन्न विकल्प चुनने के लिये सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- उन्हें मूल्य अस्थिरता, जलवायु आघात, कीटों एवं बीमारियों और अन्य अनिश्चितताओं से बचाने की आवश्यकता भी है।
- इसे मौजूदा संस्थानों और तंत्रों—जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), फसल बीमा, विस्तार सेवाओं, सहकारी सिमितियों आदि को सुदृढ़ करने के साथ-साथ अनुबंध कृषि,
   e-NAM, किसान उत्पादक संगठन जैसे नए तंत्र बनाकर हासिल किया जा सकता है।

#### उदारीकृत कृषिः

- िकसानों को अपने खेतों के लिये संसाधनों, भूमि, इनपुट,
   प्रौद्योगिकी और संगठनात्मक रूपों का सर्वोत्तम मिश्रण
   िनधीरित कर सकने के लिये स्वतंत्र किया जाना चाहिये।
  - उन्हें अपनी उपज के लिये देश के भीतर और बाहर
     विविध और प्रतिस्पर्द्धी बाजारों तक पहुँच भी मिलनी चाहिये।
- इसे उन बाधाओं और विकृतियों को दूर करके सुगम बनाया जा सकता है जो कृषि वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह में बाधा डालती हैं, जैसे प्रतिबंधात्मक व्यापार नीतियाँ, अत्यधिक विनियमण, अकुशल मध्यस्थ/बिचौलिये आदि।
  - कृषि में निजी क्षेत्र के निवेश और नवाचार के लिये एक सक्षम वातावरण का निर्माण कर भी इसका समर्थन किया जा सकता है।

### 🕨 सतत् कृषिः

- किसानों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने, मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जैव विविधता में सुधार करने वाली सतत् कृषि पद्धितयों को अपनाने के लिये प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - जैविक कृषि, एकीकृत कीट प्रबंधन, कृषि वानिकी आदि कृषि-पारिस्थितिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के साथ-साथ परिशुद्ध कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल कृषि जैसी नई प्रौद्योगिकियों को अपना कर ऐसा किया जा सकता है।
- उपभोक्ताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच सतत् कृषि उत्पादों के लिये जागरूकता और मांग सृजित कर भी इसमें सहायता की जा सकती है।

# भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

भारत एक बडी और जटिल अर्थव्यवस्था है जिसके समक्ष वृद्धि और विकास की अपनी यात्रा में कई चुनौतियाँ और अवसर मौजूद हैं। देश ने अपनी चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिये विभिन्न सुधार किये हैं। 1.3 बिलियन से अधिक की आबादी और 2.7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से विकास करती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालाँकि देश के समक्ष कई आर्थिक चुनौतियों भी मौजूद हैं और उनसे निपटने के लिये कई सुधार किये गए हैं। यदि भारत अपनी आर्थिक चुनौतियों को दूर कर सके और अपने आर्थिक सुधारों को बनाये रख सके तो वह 21वीं सदी में वैश्विक नेता बनने की क्षमता रखता है।

# भारत के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियाँ:

#### कमज़ोर मांगः

निम्न आय वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और कोविड-19 महामारी के प्रभाव जैसे विभिन्न कारकों के कारण भारत में वस्तुओं और सेवाओं की मांग गतिहीन रही है या घट रही है।

इससे अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश का स्तर प्रभावित हुआ है तथा सरकार के लिये कर राजस्व कम हो गया है।

#### बेरोजगारी:

तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

कोविड-19 महामारी ने स्थिति को और बदतर कर दिया है, क्योंकि कई व्यवसाय बंद हो गए हैं या उनके परिचालन स्तर में कमी आई है, जिससे नौकरियों की हानि हुई है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार, अप्रैल और जुलाई 2020 के बीच 1.8 करोड़ से अधिक वेतन भोगी नौकरियाँ चली गई।

अगस्त 2020 में बेरोजगारी दर 7.4% थी, जबिक अगस्त 2019 में यह 5.4% रही थी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में 4.1% की बेरोजगारी दर दर्ज की गई।

#### कमजोर अवसंरचनाः

भारत में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसे पर्याप्त अवसंरचना का अभाव है, जो इसके आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बाधित करता है।

विश्व बैंक के अनुसार भारत का अवसंरचनात्मक अंतराल (infrastructure gap) लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर के होने का अनुमान है। कमज़ोर अवसंरचना लोगों के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में।

## भुगतान संतुलन का बिगड़नाः

भारत चालु खाता घाटे से लगातार जुझता रहा है, जिसका अर्थ है कि इसका आयात इसके निर्यात से अधिक है।

यह विदेशी वस्तुओं और सेवाओं, विशेषकर तेल एवं सोने पर इसकी निर्भरता तथा इसकी निम्न निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को परिलक्षित करता

वर्ष 2022 में भारत के निर्यात और आयात में क्रमश: 6.59% और 3.63% की कमी आई।

#### निजी ऋण का उच्च स्तर:

आसान ऋण उपलब्धता और निम्न ब्याज दरों के कारण भारत में निजी ऋण में, विशेष रूप से कॉर्पोरेट और घरेल क्षेत्रों में, वृद्धि देखी गई

हालाँकि इससे डिफ़ॉल्ट और वित्तीय अस्थिरता का खतरा भी उत्पन हुआ है, विशेष रूप से यदि आय वृद्धि की गति मंद हो जाए या ब्याज दरों में वृद्धि हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार मार्च 2020 में गैर-वित्तीय क्षेत्र का कुल ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 167% था, जो मार्च 2016 में 151% रहा था।

#### असमानताः

भारत में आय और धन असमानता का उच्च स्तर पाया जाता है, जिसमें समय के साथ वृद्धि हुई है।

'वर्ल्ड इंइक्वलिटी डेटाबेस' के अनुसार, वर्ष 2019 में राष्ट्रीय आय में शीर्ष 10% आय अर्जकों की हिस्सेदारी 56% थी, जो वर्ष 1980 में 37% रही थी।

इसी तरह, वर्ष 2019 कुल धन में शीर्ष 10% धन-धारकों की हिस्सेदारी 77% पाई गई, जो वर्ष 2000 में 66% रही थी।

असमानता के उच्च स्तर से सामाजिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता और निम्न आर्थिक विकास जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं।

# भारत में किये गए प्रमुख आर्थिक सुधार:

## उदारीकरण (Liberalization):

भारत ने उदारीकरण की अपनी प्रक्रिया वर्ष 1991 में शुरू की, जब उसे भुगतान संतुलन संकट का सामना करना पड़ा और सहायता के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से सहायता लेनी पड़ी।

इन सुधारों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों—जैसे उद्योग, व्यापार, वित्त और विदेशी निवेश में सरकारी हस्तक्षेप एवं विनियमन को कम करना था।

सुधारों में लाइसेंस-परिमट-कोटा प्रणाली को समाप्त करना भी शामिल था, जो निजी कंपनियों के प्रवेश और विस्तार को प्रतिबंधित करती थी।

उदारीकरण ने भारत को उच्च विकास दर प्राप्त करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने में मदद की है।

## निजीकरण (Privatization):

भारत ने सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) का भी निजीकरण किया है।

निजीकरण का उद्देश्य है सार्वजनिक उपक्रमों की दक्षता, लाभप्रदता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार करना; राजकोषीय बोझ कम करना; और विकास के लिये संसाधनों का सृजन करना।

निजीकरण के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे विनिवेश (निजी निवेशकों को शेयर बेचना), रणनीतिक बिक्री (प्रबंधन नियंत्रण निजी खरीदारों को हस्तांतरित करना) या बंद करना (घाटे में चल रही इकाइयों को बंद करना)।

वर्ष 1991 के बाद से भारत ने 60 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया है, जिससे 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक जुटाये गए हैं।

## वैश्वीकरण (Globalization):

भारत ने भी वैश्वीकरण को भी अपनाया है, जिसका अर्थ है विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अपने खुलेपन और एकीकरण को बढ़ाना।

वैश्वीकरण में व्यापार प्रवाह (निर्यात एवं आयात), पूंजी प्रवाह (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं पोर्टफोलियो निवेश), प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (पेटेंट एवं लाइसेंस), और प्रवासन प्रवाह (कामगारों और छात्रों के रूप में) को बढ़ाना शामिल है।

वैश्वीकरण नए बाजारों तक पहुँच, सस्ते इनपुट, विदेशी मुद्रा, प्रौद्योगिकी और कौशल जैसे लाभ ला सकता है। हालाँकि यह प्रतिस्पर्द्धा, अस्थिरता, निर्भरता और असमानता जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर सकता है।

# नई आर्थिक नीति ( New Economic Policy ):

भारत ने कोविड-19 महामारी और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव के जवाब में वर्ष 2020 में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की।

इस नीति में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और खंडों को समर्थन प्रदान करने के लिये 20 लाख करोड़ रुपए (सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर) का प्रोत्साहन पैकेज शामिल है।

नीति में कृषि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, खनन, बिजली और कराधान जैसे क्षेत्रों में सुधारों की एक शृंखला भी शामिल है।

इस नीति का लक्ष्य भारत को पोस्ट-कोविड विश्व में आत्मनिर्भर (self-reliant) और प्रत्यास्थी (resilient) बनाना है।

# दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code-IBC):

यह कॉर्पोरेट देनदारों, वित्तीय ऋणदाताओं और परिचालन ऋणदाताओं के दिवाला एवं शोधन अक्षमता के मामलों को हल करने के लिये एक समयबद्ध एवं बाजार-आधारित तंत्र प्रदान करता है।

इसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और कारोबार सुगमता (ease of doing business) में सुधार करना है।

भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 तक IBC के तहत 4541 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रियाएँ शुरू की गईं, जिनमें से 2029 मामलों का समाधान (resolution), परिसमापन (liquidation) या प्रत्याहरण (withdrawal) द्वारा सुलझा लिया गया है।

### श्रम संहिता ( Labour Codes ):

इनमें चार कोड या संहिताएँ शामिल हैं जिनका उद्देश्य केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रेणियों में समेकित एवं सरलीकृत करना है: वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा एवं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य।

ये कोड नियोक्ताओं को कामगारों को नियोजित करने एवं कार्यमुक्त करने में लचीलापन प्रदान करने, व्यवसायों के लिये पंजीकरण एवं अनुपालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अनौपचारिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने और ट्रेड यूनियनों एवं सामूहिक सौदेबाजी की भूमिका को बढ़ावा देने की मंशा रखते हैं।

## उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (Productionlinked Incentive- PLI) योजनाः

भारत ने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2020 में एक PLI योजना शुरू की।

यह योजना पात्र विनिर्माताओं को पाँच वर्षों की अवधि में उनकी वृद्धिशील बिक्री और निवेश के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

इस योजना का कुल परिव्यय 1.46 लाख करोड़ रुपए है और इससे रोजगार सृजन, विदेशी निवेश आकर्षित करने, प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढाने और आयात निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

# आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिये कुछ सुझाव:

## उपभोग और निवेश मांग को बढ़ावा देना:

सरकार को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों और खंडों को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिये जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जैसे कि MSMEs, अनौपचारिक कामगार, ग्रामीण परिवार और निम्न-आय समूह।

वित्तीय प्रोत्साहन का उद्देश्य उनकी आय, क्रय शक्ति और ऋण तक पहँच को बढाना होना चाहिये।

सरकार को सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में भी निवेश करना चाहिये, जिससे रोजगार सुजित हो सकते हैं, उत्पादकता में सुधार हो सकता है और मानव पूंजी की वृद्धि हो सकती है।

## निर्यात प्रतिस्पर्ब्धात्मकता को बढ़ानाः

सरकार को वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी, कर छूट और अवसंरचना समर्थन प्रदान करने के माध्यम से विनिर्माण, सेवाओं और कृषि जैसे निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों को बढावा देना चाहिये।

सरकार को नए बाजारों तक पहुँच बनाने और अपनी निर्यात टोकरी में विविधता लाने के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और आसियान जैसे रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार समझौते भी संपन्न करने चाहिये।

सरकार को गुणवत्ता मानक, लॉजिस्टिक्स लागत और व्यापार सुविधा के मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिये जो भारत के निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।

## वित्तीय क्षेत्र में सुधार:

सरकार को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) की समस्या का समाधान करके, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पृंजीकरण, प्रशासन एवं विनियमन में सुधार और वित्तीय समावेशन एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को सुदृढ़ करना चाहिये।

सरकार को बॉण्ड बाजार, बीमा बाजार और पेंशन बाजार का विकास भी करना चाहिये, जो अवसंरचना के लिये दीर्घकालिक वित्त और वृद्ध जनों के लिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

## व्यावसायिक माहौल में सुधार करनाः

सरकार को लालफीताशाही, भ्रष्टाचार और नीतिगत अनिश्चितता को कम करके भारत में व्यापार करने के लिये नियामक ढाँचे को सरल बनाना चाहिये।

सरकार को श्रम कानूनों, भूमि अधिग्रहण कानूनों, अनुबंध प्रवर्तन कानूनों और दिवालियापन कानूनों में सुधारों को भी लागू करना चाहिये जो श्रम बाजार, भूमि बाजार, ऋण बाजार और कानूनी प्रणाली के लचीलेपन एवं दक्षता में सुधार कर सकते हैं।

नवाचार और उद्यमिता को बढावा देना:

सरकार को अनुसंधान एवं विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप और इनक्यूबेटरों का समर्थन करके भारत में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिये।

सरकार को एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की सुविधा भी प्रदान करनी चाहिये जो नए विचारों, उत्पादों, प्रक्रियाओं और समाधानों का सुजन कर सके।

सरकार को बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहिये और पेटेंटिंग एवं लाइसेंसिंग को प्रोत्साहित करना चाहिये।

#### असमानता और गरीबी को संबोधित करना:

सरकार को ऐसी प्रगतिशील कराधान नीतियों को लागू करके भारत में असमानता और गरीबी को संबोधित करना चाहिये जो आय और धन को अमीरों से गरीबों की ओर पुनर्वितरित कर सके।

सरकार को सामाजिक कल्याण योजनाओं के कवरेज और गुणवत्ता का भी विस्तार करना चाहिये जो समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को बुनियादी आय सहायता, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा छात्रवृत्ति, आवास सब्सिडी और कौशल विकास प्रदान कर सके।

सरकार को महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और हाशिये पर स्थित अन्य समूहों को उनके लिये समान अधिकार, अवसर और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करके सशक्त बनाना चाहिये।

# जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण को कम

सरकार को जलवाय परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिये हरित नीतियाँ अपनानी चाहिये जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHGs) को कम कर सकती हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे सकती हैं, ऊर्जा दक्षता बढ़ा सकती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकती हैं, जैव विविधता की रक्षा कर सकती हैं और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार कर सकती हैं।

सरकार को ऐसे अनुकूलन उपायों को भी लागू करना चाहिये जो बाढ़, सुखा, चक्रवात, ग्रीष्म लहर जैसे जलवायु आघातों के प्रति प्रत्यास्थता को बढा सकें।

# महिला कृषक और जलवायु चुनौतियाँ

बढ़ते तापमान, बदलते मौसम पैटर्न और चरम घटनाओं की बढ़ती तीव्रता से चिह्नित जलवायु परिवर्तन विभिन्न क्षेत्रों के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा उत्पन्न कर रहा है, जहाँ कृषि सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। जैसे-जैसे ये प्रभाव तीव्र होते जा रहे हैं, यह विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है कि इससे हाशिये पर स्थित समूह कैसे प्रभावित हो रहे हैं, विशेष रूप से कृषि से संलग्न महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड रहा है।

जलवायु परिवर्तन और कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों एवं आजीविका के बीच एक जटिल संबंध पाया जाता है, जहाँ इस समस्या से उल्लेखनीय आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

इस लेख में बदलते मौसम पैटर्न एवं चरम मौसमी घटनाओं से उत्पन्न इन चुनौतियों का परीक्षण करने, लैंगिक भूमिकाओं पर सांस्कृतिक प्रभावों की चर्चा करने, अनुकूली रणनीतियों पर विचार करने और कृषि अनुकूलन प्रयासों के भीतर लिंग-विशिष्ट नतीजों को संबोधित करने की तात्कालिकता को रेखांकित किया गया है।

## कृषि में महिलाओं की भूमिका की महत्ता:

- कृषि श्रमिकों का प्रतिशत और भूमिका: वैश्विक कृषि में महिलाएँ एक महत्त्वपूर्ण शक्ति हैं, जो कुल कृषि श्रमिकों के लगभग 43% भाग का निर्माण करती हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ निर्वाह खेती (subsistence farming) की प्रमुखता है, महिलाएँ 33% कार्यबल का निर्माण करती हैं और स्वतंत्र या स्वरोजगार किसानों की कुल संख्या में लगभग आधे भाग की हिस्सेदारी रखती हैं।
  - NSSO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 18% कृषक परिवारों में महिलाएँ ही मुखिया होने की स्थिति रखती हैं।
- कृषि का बढ़ता नारीकरण: बेहतर रोजगार अवसरों की तलाश में ग्रामीण पुरुषों के बढ़ते प्रवासन/पलायन के कारण कृषि क्षेत्र का नारीकरण (Feminisation of Agriculture) हो रहा है, जहाँ कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है।
  - महिलाएँ रोपण और देखभाल से लेकर कटाई और कटाई बाद की गतिविधियों (जैसे थ्रेसिंग, फसलों की सफाई, प्रसंस्करण एवं भंडारण) तक सिक्रय रूप से फसल उत्पादन से संलग्न हैं।
  - उनकी भूमिका फसलों की खेती और पशुधन पालन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य प्रसंस्करण और विपणन तक विस्तृत है।
- महिलाएँ और पारंपरिक ज्ञानः महिलाएँ पारंपरिक कृषि ज्ञान और अभ्यासों का जीवंत भंडार होने की स्थिति भी रखती हैं। वे प्रायः आगे की पीढ़ियों में खेती, हर्बल चिकित्सा और संसाधन प्रबंधन से संबंधित कौशल का प्रसार करने में अहम् भूमिका निभाती हैं।
  - वे प्राय: स्थानीय फसल किस्मों और कृषि अभ्यासों का पारंपरिक ज्ञान रखती हैं तथा कटाई के बाद के नुकसान को न्यूनतम करने और प्राप्त उपज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- नवाचार और संवहनीयता की प्रेरक: महिलाएँ अभिनव कृषि तकनीकों एवं रणनीतियों के विकास और अंगीकरण में योगदान देती हैं, जो भूमि से उनके घनिष्ठ संबंध और बदलती परिस्थितियों के अनुकुल ढलने की उनकी निहित क्षमता से प्रेरित होती है।
  - कृषि में महिलाओं की भूमिका प्राय: संवहनीय एवं पुनर्योजी अभ्यासों के साथ संरेखित होती है, क्योंकि वे अपने परिवारों और समुदायों की दीर्घकालिक भलाई को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति रखती हैं।

नोट: कृषि में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हर साल 15 अक्टूबर को 'महिला किसान दिवस' (Women Farmer's Day) के रूप में घोषित किया है।

## महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ( MKSP ):

- MKSP 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (DAY-NRLM) का एक उप-घटक है, जिसका उद्देश्य कृषि में महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार करना और उन्हें सशक्त बनाने के लिये उपलब्ध अवसरों की वृद्धि करना है।
- MKSP 'महिला' की 'किसान' के रूप में पहचान को चिह्नित करता है और कृषि संबंधी पारिस्थितिकी संवहनीय अभ्यासों के क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता का निर्माण करने का प्रयास करता है।
- इसका उद्देश्य निर्धनतम परिवारों तक पहुँच बनाना और वर्तमान में 'महिला किसान' द्वारा संचालित गतिविधियों के दायरे का विस्तार करना है।

## जलवायु परिवर्तन का महिला किसानों पर प्रभावः

- चरम मौसमी घटनाओं से खेती कार्यों में बाधाः बदलते मौसम पैटर्न और चरम घटनाएँ कृषि में महिलाओं की भूमिकाओं पर गहरा प्रभाव डालती हैं। परिवर्तनशील वर्षा और दीर्घकालिक सूखे के कारण फसल की पैदावार कम हो जाती है, जिससे खेती पर निर्भर परिवारों के लिये खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।
  - महिलाएँ परंपरागत रूप से खेत में होने वाले कार्य (onfarm operations) में अभिन्न भूमिका निभाती रही हैं और वे ही प्राय: फसलों की देखभाल एवं घरेलू खाद्य आपूर्ति के प्रबंधन के लिये जिम्मेदार होती हैं और परिणामस्वरूप इन व्यवधानों का खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ता है।
- आर्थिक निहितार्थ: कृषि से संलग्न महिलाओं के लिये जलवायु
   परिवर्तन के आर्थिक निहितार्थ विपुल हैं।

- बाढ़ और चरम मौसमी घटनाएँ फसलों एवं अवसंरचना को तबाह कर सकती हैं, जिससे महिलाओं को परिवार की देखभाल और वैकल्पिक आय सृजन को प्राथमिकता देने के लिये विवश होना पड़ता है।
- चरम मौसमी घटनाओं के कारण फसल की पैदावार में कमी से आय में कमी आती है, जिससे मौजूदा लैंगिक असमानताएँ और बढ़ जाती हैं।
- संसाधनों की कमी के कारण अधिक असुरक्षितः सांस्कृतिक मानदंड और भेदभावपूर्ण प्रथाएँ महिलाओं की भूमि स्वामित्व तक पहुँच में बाधा डालती हैं, जो कृषि में एक महत्त्वपूर्ण संपत्ति होती है।
  - संपत्ति पर महिलाओं के नियंत्रण की कमी के कारण साख,
     ऋण और बीमा तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है, जिससे वे जलवायु-प्रेरित हानियों के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं।
  - UN FAO के अनुसार, यदि महिलाओं को पुरुषों के समान उत्पादक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो तो वे अपने खेतों में पैदावार को 20-30% तक बढ़ा सकती हैं।
- जल की कमी और पहुँच: कई समुदायों में महिलाएँ घरेलू उद्देश्यों और सिंचाई के लिये जल की प्राथमिक उपयोगकर्ता होती हैं। जल की कमी, जो कि जलवायु परिवर्तन का परिणाम है, उन महिलाओं को असंगत रूप से प्रभावित करती है जो प्राय: जल संग्रहण की जिम्मेदारी उठाती हैं।
  - इसके अलावा, जल की सीमित उपलब्धता कृषि उत्पादकता को कम कर सकती है, जिससे खाद्य सुरक्षा और आय दोनों पर असर पड सकता है।
- स्वास्थ्य जोखिमों के प्रित संवेदनशीलताः चरम मौसमी घटनाएँ
   और जलवायु पिरवर्तन से संबद्ध रोगों के बदलते पैटर्न कृषि से संलग्न महिलाओं के लिये स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं।
  - खेती संबंधी गितिविधियों के दौरान चरम मौसम के संपर्क में
     आने से 'हीट स्ट्रेस' या मौसम-संबंधी अन्य स्वास्थ्य समस्याएँ
     उत्पन्न हो सकती हैं।
  - स्वास्थ्य जोखिम में वृद्धि गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों
     पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिनके लिये प्रायः
     महिलाएँ ही प्राथमिक देखभालकर्ता होती हैं।

# जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में महिला किसानों की सहायता के लिये क्या किया जा सकता है?

- महिला किसानों के लिये अनुकूली रणनीतियाँ:
  - जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिये महिला किसानों
     को आय विविधीकरण और जलवायु-प्रयास्थी फसलों की

- खेती सहित अनुकूली रणनीतियों (adaptive strategies) को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
- महिलाओं को उभरते आर्थिक अवसरों के अनुरूप नए कौशल विकसित करने में मदद करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश से उभरते कृषि परिदृश्य के सामने उनकी प्रत्यास्थता में वृद्धि होगी।

#### प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मौसम की सूचनाः

- कृषि वानिकी, फसल विविधीकरण, जल-कुशल सिंचाई और मृदा संरक्षण अभ्यासों जैसी जलवायु-प्रत्यास्थी कृषि तकनीकों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि महिला किसानों को बुवाई एवं कटाई के बारे में सूचना-संपन्न निर्णय लेने में मदद करने के लिये समयबद्ध और सटीक मौसम पूर्वानुमान तक पहुँच प्राप्त हो।

#### वित्तीय समावेशनः

- एक अन्य विवेकपूर्ण दृष्टिकोण यह होगा कि महिलाओं को सूक्ष्म-वित्त सेवाओं और बीमा उत्पादों तक पहुँच प्रदान की जाए जो जलवायु संबंधी जोखिमों को कवर करें, जहाँ यह सुनिश्चित होगा कि उनके पास जलवायु आघातों के प्रति अनुकुलन और उनसे उबरने की वित्तीय क्षमता मौजूद है।
- महिला बचत समूहों की स्थापना की जानी चाहिये जो फसल विफलता या आर्थिक तनाव के समय सुरक्षा जाल के रूप में कार्य कर सकते हैं।

#### • संसाधनों तक पहँच:

- पारंपरिक और स्वदेशी ज्ञान पर जोर देते हुए बदलती जलवायु
   परिस्थितियों के अनुकूल जलवायु-प्रत्यास्थी फसल किस्मों
   तक महिलाओं की पहुँच को सुविधाजनक बनाया जाए।
- जलवायु परिवर्तन से प्रेरित जल की कमी से निपटने के लिये जल-बचत प्रौद्योगिकियों और कुशल सिंचाई विधियों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाई जाए।

## संसाधन उपलब्धता में नीति निर्माताओं की भूमिकाः

- सरकारों और विभिन्न संगठनों द्वारा मिहलाओं के लिये समान संसाधन पहुँच, ऋण उपलब्धता और निर्णय लेने की शिक्त सुनिश्चित की जानी चाहिये।
- महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता देने वाले भूमि स्वामित्व सुधार और महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप बीमा तंत्र जलवायु-प्रेरित जोखिमों के विरुद्ध उनकी प्रत्यास्थता को बढ़ा सकते हैं।

#### सामाजिक सुरक्षाः

- कृषि से संलग्न सभी महिलाओं के लिये पर्याप्त सामाजिक कवर सुनिश्चित करना आधुनिक संवहनीय खेती में एक अन्य अपिरहार्य कारक है।
- एक सामाजिक सुरक्षा आवरण का होना यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं के पास कार्य का प्रबंधन करने के साथ-साथ घरेलू जिम्मेदारियों, बच्चों के पालन-पोषण और वित्तीय बोझ को संभालने के लिये एक सुदृढ़ सहायता प्रणाली मौजूद है।

#### निष्कर्षः

- कृषि से संलग्न महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लैंगिक रूप से उत्तरदायी रणनीतियों (genderresponsive strategies) को अपनाना अनिवार्य है। इसमें साख, प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी जैसे संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित करना, निर्णयन प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और ऐसी नीतियाँ विकसित करना शामिल हैं जो समतामूलक अनुकूलन और प्रत्यास्थता-निर्माण प्रयासों को बढ़ावा दें।
- कृषि क्षेत्र से संलग्न महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभावों को चिह्नित करना और उनका समाधान करना अधिक संवहनीय एवं प्रत्यास्थी कृषि प्रणालियों के निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण है।

# देश की आपराधिक न्यायिक प्रणाली में सुधार

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में तीन नए विधेयक पेश किये जो देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में संपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव करते हैं जैसे:

- भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, जो IPC, 1860 को प्रतिस्थापित करेगा
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023, जो CrPC, 1898 को प्रतिस्थापित करेगा
- भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023, जो साक्ष्य अधिनियम, 1872 को प्रतिस्थापित करेगा

#### टिप्पणी:

- भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जिसे चार्टर अधिनियम, 1833 के तहत वर्ष 1834 में स्थापित प्रथम विधि आयोग के मद्देनजर वर्ष 1860 में तैयार किया गया था।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिये प्रक्रियाएँ प्रदान करती है। यह वर्ष 1973 में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 1974 को प्रभावी हुआ।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था, में भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और संबद्ध मुद्दों का समृह शामिल है।

#### आपराधिक न्याय प्रणालीः

- आपराधिक न्याय प्रणाली कानूनों, प्रक्रियाओं और संस्थानों का समूह है जिसका उद्देश्य सभी व्यक्तियों के अधिकारों तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अपराधों को रोकना, पता लगाना, दोषियों पर मुकदमा चलाना व दंडित करना है।
- इसमें पुलिस बल, न्यायिक संस्थान, विधायी निकाय और फोरेंसिक एवं जाँच एजेंसियों जैसे अन्य सहायक संगठन शामिल हैं।

## भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तनः

- भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023 में प्रस्तावित परिवर्तन:
  - यह विधेयक आतंकवाद एवं अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह, देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों को परिभाषित करता है, जिनका पूर्व में कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत उल्लेख किया गया था।
  - यह राजद्रोह के अपराध को रोकने पर केंद्रित है, जिसकी औपनिवेशिक विरासत के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई थी जो स्वतंत्र भाषण और असहमित पर अंकुश लगाता है।
  - यह मॉब लिंचिंग के लिये अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है, जो हाल के वर्षों में एक खतरा रहा है।
  - इसमें विवाह के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के लिये 10 वर्ष की कैद का प्रस्ताव है, जो धोखे और शोषण का एक सामान्य रूप है।
  - यह विधेयक विशिष्ट अपराधों के लिये सजा के रूप में सामुदायिक सेवा का पिरचय देता है, जो अपराधियों को सुधारने और जेलों में भीड़भाड़ को कम करने में मदद कर सकता है।
  - इस विधेयक में चार्जशीट दाखिल करने के लिये अधिकतम 180 दिनों की सीमा तय की गई है, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और अनिश्चितकालीन देरी को रोका जा सकता है।
  - इस विधेयक में कहा गया है कि पुलिस को शिकायत की स्थिति के विषय में 90 दिनों में सूचित करना होगा, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ सकती है।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 में प्रस्तावित परिवर्तन:
  - यह परीक्षणों, अपीलों और गवाही की रिकॉर्डिंग के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे कार्यवाही के लिये वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमित मिलती है।
    - यह विधेयक यौन हिंसा के व्यक्तियों के बयान की वीडियो-रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है, जो सबूतों को संरक्षित करने और बलपूर्वक या हेरफेर को रोकने में मदद कर सकता है।
  - इस विधेयक में यह आवश्यक है कि पुलिस सात वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श करे, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय से समझौता या उसे अस्वीकार नहीं किया जाए।
  - CrPC की धारा 41A को धारा 35 के रूप में पुन: क्रमांकित किया जाएगा। इस परिवर्तन में एक अतिरिक्त सुरक्षा शामिल है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम पुलिस उपाधीक्षक (DSP) रैंक के किसी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, खासकर 3 वर्ष से कम सजा वाले दंडनीय अपराधों के लिये या 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिये।
  - यह फरार अपराधियों के संबंध में न्यायलय को उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने और सजा सुनाने की अनुमित देता है, जो भगोड़ों को न्याय से बचने से रोक सकता है।
  - यह मिजस्ट्रेटों को ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप संदेशों आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार देता है, जिससे साक्ष्य संग्रह और सत्यापन की सविधा मिल सकती है।
  - मृत्युदण्ड के मामलों में दया याचिका राज्यपाल के पास 30 दिन के अंतर्गत और राष्ट्रपति के पास 60 दिन के अंतर्गत दाखिल की जानी चाहिये।
    - राष्ट्रपति के निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी।

## भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 में प्रस्तावित परिवर्तनः

- यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को किसी भी उपकरण या सिस्टम द्वारा उत्पन्न या प्रसारित किसी भी जानकारी के रूप में परिभाषित करता है जो किसी भी माध्यम से संग्रहित या पुनर्प्राप्त करने में सक्षम है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता जैसे प्रमाणिकता, अखंडता,
   विश्वसनीयता आदि के लिये विशिष्ट मानदंड निर्धारित करता है,
   जो डिजिटल डेटा के दुरुपयोग या छेड़छाड़ को रोक सकता है।

- यह DNA साक्ष्य जैसे सहमित, हिरासत की श्रृंखला आदि की स्वीकार्यता के लिये विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जो जैविक साक्ष्य की सटीकता और विश्वसनीयता को बढा सकता है।
- यह विशेषज्ञ की राय को मेडिकल राय, लिखावट विश्लेषण आदि जैसे साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है, जो किसी मामले से संबंधित तथ्यों या परिस्थितियों को स्थापित करने में सहायता कर सकता है।
- यह आपराधिक न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांत के रूप में निर्दोष होने की धारणा का परिचय देता है, जिसका अर्थ है कि अपराध के आरोपी प्रत्येक व्यक्ति को उचित संदेह से परे दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है।

#### भारत की वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली:

- लंबित मामलों की संख्याः राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार, भारतीय न्यायालयों में न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर
   4.7 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इससे न्याय देने में देरी होती है, त्विरत सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन होता है और इस व्यवस्था में लोगों का विश्वास कम होता है।
- संसाधनों और बुनियादी ढाँचे का अभाव: आपराधिक न्याय प्रणाली अपर्याप्त धन, जनशक्ति और सुविधाओं से ग्रस्त है।
   न्यायाधीशों, अभियोजकों, पुलिस कर्मियों, फोरेंसिक विशेषज्ञों और कानूनी सहायता वकीलों की कमी है।
  - 135 मिलियन लोगों के देश में, प्रति दस लाख जनसंख्या पर (फरवरी 2023 तक) केवल 21 न्यायाधीश हैं।
  - उच्च न्यायालयों में लगभग 400 रिक्तियाँ हैं। वहीं निचली न्यायपालिका में करीब 35% पद खाली पड़े हैं।
- जाँच और अभियोजन की खराब गुणवत्ताः जाँच और अभियोजन एजेंसियाँ अक्सर संपूर्ण, निष्पक्ष और पेशेवर जाँच करने में विफल रहती हैं। उन्हें राजनीतिक और अन्य प्रभावों के हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी का सामना करना पड़ता है।
- मानवाधिकारों का उल्लंघनः आपराधिक न्याय प्रणाली पर अधिकतर आरोपियों, पीड़ितों, गवाहों और अन्य हितधारकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है। हिरासत में यातना, न्यायेत्तर हत्याएँ, झूठी गिरफ्तारियाँ अवैध हिरासत, जबरन बयान, अनुचित परीक्षण और कठोर दंड इसके उदाहरण हैं।
- पुराने कानून और प्रक्रियाएँ: आपराधिक न्याय प्रणाली उन कानूनों और प्रक्रियाओं पर आधारित है जो 1860 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। ये कानून पुराने हैं और समकालीन समय के अनुरूप

- नहीं हैं। ये साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग आदि जैसे अपराधों के नए रूपों को हल नहीं करते हैं।
- सार्वजनिक धारणाः द्वितीय ARC ने नोट किया है कि भारत में पुलिस-जनता के संबंध असंतोषजनक हैं क्योंकि लोग पुलिस को भ्रष्ट, अक्षम और अनुत्तरदायी मानते हैं और अक्सर उनसे संपर्क करने में संकोच करते हैं।

## भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु समितियाँ और उनकी सिफारिशों:

- वोहरा सिमिति, 1993: राजनीति के अपराधीकरण और राजनेताओं, नौकरशाहों, अपराधियों तथा असामाजिक तत्त्वों के बीच साँठगाँठ की बढ़ती समस्या से निपटान हेतु इस सिमिति का गठन किया गया।
  - इसने सिफारिश की कि विभिन्न स्रोतों से खुिफया जानकारी एकत्र करके तथा ऐसे तत्त्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई करके इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटान के लिये एक संस्थान स्थापित किया जाना चाहिये।
- मिलमथ समिति, 2003: आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार हेतु
   इसने विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए सिफारिशें कीं। कुछ
   प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थीं:
  - छोटे-मोटे उल्लंघनों के लिये अपराधों की एक नई श्रेणी
    'सामाजिक कल्याण अपराध (Social Welfare
    Offences)' कहलाती है, जिससे जुर्माना लगाकर या
    सामुदायिक सेवा द्वारा निपटा जा सकता है।
  - प्रतिकूल प्रणाली को एक 'मिश्रित प्रणाली' से बदलना जिसमें तार्किक प्रणाली के कुछ तत्त्व शामिल हैं जैसे न्यायाधीशों को साक्ष्य एकत्र करने तथा गवाहों की जाँच करने में सिक्रय भूमिका निभाने की अनुमति देना।
  - दोषिसिद्धि के लिये आवश्यक साक्ष्य के मानक को 'उचित संदेह से परे' से घटाकर 'स्पष्ट और ठोस साक्ष्य' करना।
  - वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई स्वीकारोक्ति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाना।
- माधव मेनन सिमिति, 2007: इस सिमिति की स्थापना आपराधिक न्याय पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने के लिये की गई थी। इसने सुधार प्रक्रिया को निर्देशित करने के लिये विभिन्न सिद्धांतों और रणनीतियों का सुझाव दिया जैसे:
  - आपराधिक न्याय के हर चरण में मानवीय गरिमा तथा मानवाधिकारों के लिये सम्मान सुनिश्चित करना।
  - पुनर्स्थापनात्मक न्याय को बढ़ावा देना जो सजा देने के बजाय अपराध से होने वाले नुकसान को ठीक करने पर केंद्रित है।

- आपराधिक न्याय में शामिल विभिन्न एजेंसियों जैसे पुलिस,
   न्यायपालिका, अभियोजन आदि के बीच समन्वय एवं सहयोग में सधार करना।
- पुलिस सुधार पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, 2006: दो पूर्व पुलिस अधिकारियों प्रकाश सिंह और एन.के. सिंह द्वारा दायर एक जनिहत याचिका के जवाब में, भारत में पुलिस सुधारों की मांग करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस बल की कार्यात्मक स्वायत्तता, जवाबदेही और व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिये सात निर्देश जारी किये। कुछ निर्देश इस प्रकार थे:
  - पुलिस कार्यप्रणाली के लिये नीतियाँ बनाने, प्रदर्शन का मूल्यांकन करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये राज्य सुरक्षा आयोग की स्थापना करना कि राज्य सरकारें पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव न डालें।
  - पुलिस महानिदेशक के लिये एक निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करना, जिसका चयन वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर एक पैनल के तहत किया जाना चाहिये न कि राजनीतिक कार्यपालिका की अनुशंसा के आधार पर।
  - त्विरत जाँच, बेहतर विशेषज्ञता तथा लोगों के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिये पुलिस की जाँच और वैधानिक कार्यों को अलग करना।
  - पुलिस कर्मियों द्वारा गंभीर कदाचार और अधिकारों के दुरुपयोग के आरोपों की जाँच हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण की स्थापना करना।

## प्रस्तावित सुधारों का महत्त्व:

- इन सुधारों का उद्देश्य आपराधिक कानूनों को आधुनिक और सरल बनाना है, जो पुराने और जिटल हैं। यह सुधार कानूनों को भारतीय भावना और लोकाचार के अनुरूप बनाने में सहायक होंगे।
- यह सुधार IPC की धारा 124A के तहत कठोर राजद्रोह कानून को निरस्त कर देगा, जिसकी सरकार के आलोचकों के खिलाफ दुरुपयोग हेतु व्यापक रूप से आलोचना की जाती है।
  - इन सुधारों से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध जैसे नए अपराध भी शामिल होंगे, जो मौजूदा कानूनों द्वारा पर्याप्त रूप से कवर नहीं किये गए हैं।
- यह सुधार कुछ यौन अपराधों को लिंग तटस्थ बना देगा, जिसमें महिलाओं के अलावा पुरुषों और ट्रांसजेंडरों को संभावित पीड़ितों और अपराधियों के रूप में शामिल किया जाएगा।
- इन सुधारों से जाँच, अभियोजन और निर्णय के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा फोरेंसिक का उपयोग बढ़ेगा।

 यह सुधार नागरिकों को किसी भी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की अनुमित देकर सशक्त बनाएगा, चाहे अपराध किसी भी स्थान पर हुआ हो। यह सुधार नागरिकों के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता, गिरमा, गोपनीयता और निष्पक्ष सुनवाई जैसे संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा भी प्रदान करेंगे।

आपराधिक न्याय प्रणाली में वर्तमान प्रस्तावित सुधारों से संबंधित

#### मुद्दे

- परामर्श एवं पारदर्शिता का अभाव: विधेयकों का प्रारूप आपराधिक कानून सुधार समिति, 2020 द्वारा तैयार किया गया था।
- इसमें न्यायपालिका, बार, नागरिक समाज या हाशिये पर रहने वाले समुदायों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। इस समिति ने व्यापक परामर्श एवं प्रतिक्रिया के लिये अपनी रिपोर्ट अथवा मसौदा विधेयक भी सार्वजनिक नहीं किया।
- मानवाधिकारों का संभावित उल्लंघन: विधेयक की आलोचना अस्पष्ट और व्यापक शब्दों का उपयोग करने के लिये की गई है जो आरोपियों, पीड़ितों, गवाहों के साथ अन्य हितधारकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।
- उदाहरण के लिये, BNS ने धारा 150 के अंर्तगत "भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों" को अपराध घोषित किया है, जो IPC की धारा 124A के अंर्तगत राजद्रोह के निरस्त अपराध के समान है। इसका प्रयोग असहमति और स्वतंत्र भाषण को दबाने के लिये किया जा सकता है।
- इसी प्रकार से, BSB धारा 27A के अंर्तगत एक पुलिस अधिकारी के समक्ष किये गए बयानों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होने की अनुमित देता है, जिससे हिरासत में यातना तथा दबाव का खतरा बढ सकता है।
- BNSS, पुलिस को बिना किसी न्यायिक निगरानी या सुरक्षा उपायों के गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती एवं हिरासत में लेने की व्यापक शक्तियाँ भी प्रदान करता है।
- सुसंगति एवं एकरूपता का अभाव: इसे अन्य व्याप्त कानूनों के साथ-साथ एक-दूसरे के साथ विरोधाभासी होने का आरोप लगाया गया है। उदाहरण के लिये.
- इसके अतिरिक्त, BSB दोषिसद्धि के लिये सबूत के मानक "उचित संदेह" को "स्पष्ट और ठोस सबूत" से बदल देता है, जिसे विधेयक में परिभाषित नहीं किया गया है और न ही समझाया गया है।
- BNSS अपराधों की एक नई श्रेणी भी निर्मित करता है जिसे "सामाजिक कल्याण अपराध" कहा जाता है, जिसे जुर्माना अथवा

सामुदायिक सेवा लगाकर समाधान किया जा सकता है, लेकिन यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कौन से अपराध इस श्रेणी में आते हैं।

## क्या किये जाने की आवश्यकता है?

प्रस्तावित सुधारों में चुनौतियों और संभावित किमयों का समाधान करने के लिये अधिक समावेशी एवं व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- समावेशी परामर्श: किसी भी सुधार को लागू करने से पहले विविध दृष्टिकोणों को समायोजित करने के लिये सामान्य जनता सिंहत सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया प्रारंभ करना।
- मानवाधिकारों की रक्षाः मानवाधिकार सिद्धांतों और सुरक्षा
   उपायों को शामिल करना, संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिये
   अस्पष्ट शर्तों को परिभाषित करना और उन्हें सीमित करना।
- सुसंगत कानूनी ढाँचाः प्रस्तावित अध्यादेशों और मौजूदा कानूनों
   में स्थिरता और सुसंगतता सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी एकीकरणः आपराधिक न्याय प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना, जिसमें डिजिटल साक्ष्य संग्रह, ऑनलाइन कार्यान्वयन और त्वरित सुनवाई हेतु वीडियो-रिकॉर्ड किये गए बयान, बैकलॉग कम करना और पारदर्शिता बढ़ाना शामिल है।
- क्षमता निर्माण: कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायपालिका और कानूनी सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिये प्रशिक्षण, भर्ती और बुनियादी ढाँचे में निवेश करना, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त संसाधनों द्वारा न्याय प्रशासन अधिक कुशल और निष्पक्ष हो सकेगा।
- पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice): पुनर्स्थापनात्मक न्याय सिद्धांतों को अपनाना जो अपराध के मूल कारणों को हल करते हैं, अपराध की पुनरावृत्ति को कम करना और पीड़ितों को समाधान प्रदान करने के लिये सुलह, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करना।

जन-जागरूकता: पुलिस-जन संपर्कों को बेहतर बनाने के लिये आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत जनता को उनके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में शिक्षित करने के लिये जागरूकता अभियान संचालित करना।

इन प्रगतिशील कदमों को आगे बढ़ाकर एक राष्ट्र के रूप में हम एक आपराधिक न्याय प्रणाली की दिशा में कार्य कर सकते हैं जो विधि के शासन को कायम रखती है, मानवाधिकारों की रक्षा करती है और सामान्य जन की विविध आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूर्ण करती है।

# तमिलनाडु में NEET विरोधी आंदोलन

हाल ही में तिमलनाडु सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (National Eligibility and Entrance Test-NEET) से छूट देने के लिये तिमलनाडु अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रम प्रवेश विधेयक, 2021 (Tamil Nadu Admission to Undergraduate Medical Degree Courses Bill, 2021) पारित किया, लेकिन तिमलनाडु के राज्यपाल ने इस पर अपनी सहमित देने से इनकार कर दिया है। इससे राज्य और केंद्र के बीच एक गितरोध उत्पन्न हो गया है और तिमलनाडु में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हुई हैं।

वर्ष 2017 में NEET को अनिवार्य बनाए जाने के बाद से ही तिमलनाडु द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। इस परीक्षा को राज्य की स्वायत्तता, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, सामाजिक न्याय और शैक्षिक गुणवत्ता के लिये खतरे के रूप में देखा जाता है। इस संदर्भ में NEET के लाभ और हानियों पर विस्तार से चर्चा करना प्रासंगिक होगा।

## राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा ( NEET ):

- NEET, जिसे पूर्व में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल परीक्षा (AIPMT) के रूप में जाना जाता था, भारतीय मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कार्यक्रमों के लिये पात्रता परीक्षा है।
- इसे वर्ष 2013 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा पेश किया गया था और अब इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा संचालित किया जाता है।
   NEET परीक्षा के लाभ:
- एकल प्रवेश परीक्षाः NEET परीक्षा भारत में मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये एकल प्रवेश परीक्षा है। यह पूर्व में आयोजित की जातीं विभिन्न राज्य-स्तरीय और निजी परीक्षाओं को प्रतिस्थापित करती है। इससे छात्रों और कॉलेजों के लिये समय, धन और श्रम की बचत होती है। छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं के लिये आवेदन करने और अलग-अलग शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। कॉलेजों को अलग-अलग परीक्षा और काउंसलिंग सत्र आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है।
- निष्पक्षता और पारदर्शिताः NEET परीक्षा कुछ राज्य-आधारित और स्वतंत्र परीक्षाओं में प्रचलित भ्रष्टाचार, कदाचार और प्रश्न पत्रों के लीक होने की संभावना को कम कर देती है। यह निजी कॉलेजों में सीटें सुरक्षित करने के लिये डोनेशन या कैपिटेशन शुल्क की आवश्यकता को भी समाप्त कर देती है। अब NEET परीक्षा में छात्रों के मेरिट और रैंक के आधार पर कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है।

- भमान अवसर: NEET परीक्षा देश भर के सभी छात्रों को एकसमान अवसर प्रदान करती है। इसका राज्यों या केंद्र सरकार की आरक्षण नीतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राज्य NTA द्वारा तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर अपनी आरक्षण प्रणाली लागू कर सकते हैं। छात्र अपनी प्राथमिकता और पात्रता के आधार पर राज्य कोटा या अखिल भारतीय कोटा के तहत प्रवेश के लिये आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों के छात्र भी शहरी या महानगरीय क्षेत्रों के छात्रों के साथ एकसमान स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं।
- भाषा विकल्पः NEET परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है, जिनमें अंग्रेजी, हिंदी, असिमया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तिमल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। इससे छात्रों को परीक्षा के लिये अपनी पसंदीदा भाषा चुनने का विकल्प प्राप्त होता है। इससे उन्हें भाषा की बाधा को दूर करने और बेहतर प्रदर्शन करने में भी मदद मिलती है।

## NEET परीक्षा से संबद्ध प्रमुख मुद्दे:

- उच्च जोखिम कारकः NEET परीक्षा एक अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी परीक्षा है जिसमें हर साल लाखों छात्र उपस्थित होते हैं। छात्रों के पास एक वर्ष के अंदर परीक्षा पास करने और अपने पसंदीदा कॉलेज में सीट सुरक्षित करने का केवल एक अवसर होता है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें एक और वर्ष तक प्रतीक्षा करनी होती है या अन्य पाठ्यक्रमों का विकल्प चुनना होता है। यह उन छात्रों में तनाव, दुश्चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है जिनकी स्वयं से या उनके माता-पिता की उनसे बहुत उम्मीदें हैं।
- CBSE पाठ्यक्रमः NEET परीक्षा CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो सभी छात्रों के लिये उपयुक्त नहीं भी हो सकता है। जिन छात्रों ने विभिन्न राज्य बोर्डों के तहत अध्ययन किया है, उन्हें पाठ्यक्रम और परीक्षा की कठिनाई के स्तर का सामना करना जटिल लग सकता है।
- लागत कारक: NEET परीक्षा सभी छात्रों के लिये लागत अनुकूल नहीं है। परीक्षा शुल्क सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 1500 रुपए और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 800 रुपए है। इसके अलावा, छात्रों को कोचिंग फीस, अध्ययन सामग्री, यात्रा व्यय आदि अन्य खर्च भी वहन करने पड़ते हैं। गरीब या ग्रामीण पृष्ठभूमि के कुछ छात्रों के लिये यह लागत वहनीय नहीं भी हो सकती है। उन्हें फिर शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता करना पड़ सकता है या वित्तीय बाधाओं के कारण अपने स्वप्न को छोड़ना पड़ सकता है।

- भाषाई बाधा: चूँिक NEET केवल 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है, इसलिये कुछ छात्रों को प्रश्नों को समझने या अपने उत्तरों को उस भाषा में व्यक्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है जो उनकी मातृभाषा या शिक्षा का माध्यम नहीं है। इससे उनकी समझ और सटीकता प्रभावित हो सकती है।
- सामाजिक और आर्थिक कारक: कुछ छात्रों को अपनी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कोचिंग, संसाधनों या मार्गदर्शन तक पहुँच की कमी। ये कारक NEET में उनकी तैयारी और प्रदर्शन में बाधा डाल सकते हैं।

# तमिलनाडु द्वारा NEET प्रवेश परीक्षा का विरोध करने के कारण:

- संघवाद का उल्लंघनः NEET ने सरकारी क्षेत्र में मेडिकल स्नातकों के लिये राज्य के इन-सर्विस कोटा को भी समाप्त कर दिया है, जिसके बारे में आलोचक मानते हैं कि इसने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को कमजोर कर दिया है।
  - राज्य की अपनी प्रवेश प्रणाली है जो 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित है और इसे NEET की तुलना में अधिक समावेशी एवं न्यायसंगत माना जाता है।
  - दूसरी ओर, NEET को राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना केंद्र द्वारा लागू किया गया है और यह विभिन्न क्षेत्रों की विविधता एवं आवश्यकताओं की उपेक्षा करता है।
- वंचित छात्रों के लिये अवसरों की हानि:
  - ए.के. राजन सिमित (तिमिलनाडु में मेडिकल प्रवेश पर NEET के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये वर्ष 2021 में तिमलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त) के अनुसार, NEET परीक्षा उन गरीब और वंचित छात्रों के अधिकारों एवं हितों को नुकसान पहुँचाती है जो डॉक्टर बनने का स्वप्न रखते हैं।
  - सिमिति की रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया गया है कि NEET ने रिपीटर्स (वर्ष 2021 में 71%) और कोचिंग की मदद लेने वाले छात्रों (वर्ष 2020 में 99%) को असंगत रूप से लाभान्वित किया है, जबिक पहली बार आवेदन करने वाले छात्रों के साथ भेदभाव किया है।
- कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा: रिपोर्ट में NEET को लर्निंग के बजाय कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, भाषाई एवं सामाजिक-आर्थिक पूर्वाग्रहों का पोषण करने का दोषी बताया गया है जो वंचित समूहों के विरुद्ध है।
  - आरोप लगाया गया है यह CBSE के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त उन छात्रों के पक्ष में झुका हुआ है जो कोचिंग कक्षाओं की मदद लेते हैं, निजी अंग्रेजी-माध्यम स्कूलों में पढ़े हैं और समृद्ध शहरी पृष्ठभूमि रखते हैं।

छात्रों की आत्महत्याः NEET को तिमलनाडु में छात्र आत्महत्या के कई मामलों से भी जोड़ा गया है, जिससे राज्य भर में आक्रोश की वृद्धि हुई है और विरोध प्रदर्शन किये गए हैं। कई छात्र जिन्होंने अपनी बोर्ड परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है या चिकित्सा के प्रति जुनून रखते हैं, NEET में असफल होने के बाद उम्मीद और आत्मविश्वास खो दिया है।

# NEET परीक्षा के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में हालिया याचिका:

- फरवरी 2023 में तिमलनाडु सरकार ने NEET की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और आरोप लगाया कि NEET संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करती है जो संविधान के मल ढाँचा का अंग है।
- तिमलनाडु सरकार ने यह दावा भी किया है कि NEET व्यवस्था शिक्षा के संबंध में निर्णय ले सकने की राज्यों की स्वायत्तता का हरण करती है।
- यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर की गई है,
   जो सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्य/राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने की अनुमित देता है।
- याचिका में आरोप लगाया गया कि NEET संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है क्योंकि यह ''ग्रामीण क्षेत्रों और राज्य बोर्डों के छात्रों के साथ भेदभाव करती है।''
- राज्य ने कहा है कि NEET CBSE/NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिससे ग्रामीण छात्रों को नुकसान होता है।
  - राज्य ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के पास कोचिंग कक्षाओं का खर्च उठाने के लिये आर्थिक संसाधनों की कमी होती है, जो राज्य बोर्डों में अच्छे स्कोर के बावजूद उन्हें नुकसान की स्थिति में रखती है।
- तिमलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 14 को कई आधारों पर संविधान के तहत अधिकारातीत (ultra vires) घोषित करने की मांग की है।

## आगे की राहः

 शिक्षा को राज्य सूची में ले जाना: शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे राज्यों को अपनी प्रवेश नीतियों और मानदंडों को तय करने के लिये अधिक स्वायत्तता और लचीलापन प्राप्त होगा।

- इससे राज्य अपनी शिक्षा प्रणाली को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार डिजाइन करने में सक्षम होंगे तथा NEET जैसी साझा प्रवेश परीक्षाओं पर केंद्र के साथ टकराव से बच सकेंगे।
- समानता और गुणवत्ता को संतुलित करनाः एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि एक अधिक समावेशी और समग्र प्रवेश प्रक्रिया तैयार की जाए जो NEET स्कोर और बारहवीं कक्षा के अंक के साथ ही पात्रता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, क्षेत्रीय विविधता एवं ग्रामीण सेवा जैसे अन्य कारकों पर विचार करे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योग्यता और सामाजिक न्याय से समझौता नहीं किया जाएगा तथा विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को डॉक्टर बनने के अपने स्वप्न को पूरा करने के लिये समान अवसर प्राप्त होंगे।
- इसके साथ ही, कम प्रतिनिधित्व रखने वाले समुदायों के लिये आरक्षण एक संवैधानिक रूप से स्थापित लक्ष्य है जिसे हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिये।

## निर्वाचन पैनल की स्वतंत्रता की रक्षा

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्ते और पदाविध) विधेयक, 2023 पेश किया गया, जिस पर विवाद छिड़ गया है। जारी चर्चा का एक बड़ा भाग इस तथ्य पर केंद्रित है कि यह विधेयक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) के चयन के लिये स्थापित उस तंत्र को प्रतिस्थापित करता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में अभी कुछ माह पूर्व ही निर्धारित किया था।

# अनूप बरनवाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण:

- इस मामले में जारी आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का चयन एक तीन-सदस्यीय समिति द्वारा किया जाना चाहिये जिसमें शामिल होंगे:
  - प्रधानमंत्री
  - लोकसभा में विपक्ष के नेता
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश

हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा था कि यह अस्थायी व्यवस्था होगी, जब तक कि संसद इस संबंध में कोई कानून पारित नहीं कर देती।

### इस संबंध में संविधान में उल्लिखित प्रावधान:

अनुच्छेद 324 का खंड 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और अन्य निर्वाचन आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन है।

- हालाँकि संसद ने ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया है जो CEC और ECs की नियुक्ति के लिये राष्ट्रपित की (यानी कार्यपालिका की) शक्तियों को प्रभावी ढंग से स्थायी बनाता हो।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में पाया कि कार्यकारी को
     CEC की नियुक्ति करने की शक्ति सौंपना वस्तुत: भारत
     निर्वाचन आयोग (ECI) की स्वतंत्रता के साथ असंगत था।
  - इसका कारण स्पष्ट है: संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका सत्तारूढ़ दल से आकार ग्रहण करती है और इसलिये यह चुनावी खेल में एक खिलाड़ी की हैसियत रखती है।
    - इसलिये कार्यपालिका को CEC की नियुक्ति की शिक्त सौंपना एक खिलाड़ी को रेफरी की नियुक्ति करने की शिक्त सौंप देने के समान है।

## निर्वाचन आयुक्त विधेयक से संबद्ध मुद्देः

- कार्यकारी सर्वोच्चता प्रदान करनाः निर्वाचन आयुक्त विधेयक में भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री को रखने का प्रस्ताव किया गया है जो फिर कार्यपालिका को निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के विषय में स्पष्ट बहुमत और इस प्रकार निर्णायक अधिकार प्रदान करती है।
  - इस विधेयक के अनुसार चयन सिमित में शामिल होंगे:
    - प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
    - लोकसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य)
    - प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (सदस्य)

## संविधान निर्माताओं की इच्छा के विरुद्धः

- संविधान निर्माताओं को मंशा ECI की स्वतंत्रता को सुरक्षित और गारंटीकृत करने की थी। यही कारण था कि उन्होंने राष्ट्रपति (कार्यकारी) को एक तदर्थ व्यवस्था (stopgap arrangement) के रूप में ECs की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की थी, जहाँ उम्मीद की गई थी कि संसद एक ऐसा कानून बनाएगी जो ECI की स्वतंत्रता को सुरक्षित और गारंटीकृत करेगी।
  - यह विधेयक कार्यपालिका को अधिक शक्ति प्रदान करता है और इस प्रकार संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पित एक स्वतंत्र ECI के विचार को बाधित करता है।

- एक अंपायर जो टीम कैप्टन के अधीनस्थ है: एक पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि नए विधान का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि निर्वाचन आयुक्तों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्थिति को सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के समकक्ष होने से घटाकर कैबिनेट सचिव के स्तर का कर दिया गया है।
  - उन्होंने यह भी कहा कि कैबिनेट सचिव प्रत्यक्षत: सरकार के अधीन होता है। इसिलये निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था, जिससे अपेक्षा है कि आवश्यकता पड़ने पर वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों से भी अनुशासन की मांग कर सकता है, उसे कैबिनेट सचिव के स्तर का कैसे बनाया जा सकता जो स्पष्ट रूप से सरकार के अधीन होता है?

### भारत में निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता की आवश्यकताः

- निष्पक्षता और न्यायः निर्वाचन आयुक्त संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की देखरेख के लिये जिम्मेदार होता है, जिसमें चुनाव का आयोजन, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता पंजीकरण जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं। यह महत्त्वपूर्ण है कि यह पद निष्पक्ष और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहे तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का समान एवं निष्पक्ष अवसर प्राप्त हो।
  - जैसा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपित बराक ओबामा ने कहा था, "मत देने का अधिकार पिवत्र अधिकार है। इसी के माध्यम से हम अपने नेताओं को चुनते हैं और अपना भाग्य निर्धारित करते हैं।" इसलिये, लोकतंत्र में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण चुनाव अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।
- हेरफेर की रोकथामः एक स्वतंत्र निर्वाचन आयुक्त चुनावी प्रिक्रया में किसी भी हेरफेर या पूर्वाग्रह को रोकने में मदद करता है। यदि यह सत्तारूढ़ दल या किसी अन्य राजनीतिक इकाई से प्रभावित होगा तो इससे चुनावी कदाचार की स्थिति बन सकती है, जैसे मतदाता का दमन, चुनाव-क्षेत्र के सीमा परिवर्तन (gerrymanderin) या चुनाव परिणामों के साथ छेड़छाड़।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2018 में पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग को धाँधली और सैन्य प्रतिष्ठान के हस्तक्षेप को स्वीकार करने के आरोपों का सामना करना पड़ा, जिससे चुनाव परिणामों की वैधता पर संदेह उत्पन्न हुआ।
- लोगों का विश्वास: एक स्वतंत्र निर्वाचन आयुक्त चुनावी प्रक्रिया
   में जनता के विश्वास का निर्माण करने और इसे बनाए रखने में

- मदद करता है। जब लोग मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित किये जा रहे हैं तो उनकी भागीदारी की और परिणामों को स्वीकार करने की संभावना बढ़ जाती है, भले ही उनका पसंदीदा उम्मीदवार या दल न जीते।
- उदाहरण के लिये वर्ष 2007 में केन्या में एक विवादित राष्ट्रपति चुनाव के बाद (जिसमें व्यापक धाँधली और अनियमितता देखी गई थी) हिंसा भड़क गई, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और 6,00,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए।
- विधि का शासन: निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता विधि के शासन के सिद्धांत को कायम रखती है। यह सुनिश्चित करती है कि चुनावी प्रक्रियाएँ मनमाने निर्णयों या राजनीतिक दबाव के अधीन होने के बजाय स्थापित विधियों और विनियमों के अनुसार संपन्न की जा रही हैं।
- नियंत्रण और संतुलनः लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण और 'नियंत्रण एवं संतुलन' की उपस्थिति आवश्यक है। एक स्वतंत्र निर्वाचन आयुक्त सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं की शक्तियों पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, जहाँ सुनिश्चित होता है कि राजनीतिक लाभ के लिये चुनावों में हेरफेर नहीं की जा रही है।
- दीर्घकालिक स्थिरताः एक स्वतंत्र निर्वाचन आयुक्त, चुनावी प्रक्रिया की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। यदि यह पद बार-बार परिवर्तन या राजनीतिक हस्तक्षेप के अधीन होगा तो यह चुनावों की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है और अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये टीएन शेषन—जिन्होंने वर्ष 1990 से 1996 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य किया था, को भारत में चुनाव सुधारों का आरंभ करने का व्यापक रूप से श्रेय दिया जाता है जिसने भारतीय चुनावों का चेहरा बदल दिया।
    - उन्होंने संविधान में निर्धारित शक्तियों के अनुरूप निर्वाचन आयोग की अधिकारिता स्थापित की और चुनावों के दौरान प्रचलित 150 कदाचारों की एक सूची पेश की, जैसे शराब का वितरण, मतदाताओं को रिश्वत देना, दीवार-लिखाई से चुनाव प्रचार, चुनावी भाषणों में धर्म का उपयोग आदि।
    - उन्होंने निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों को भी चुनौती दी और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की।

- एक स्वतंत्र और निडर निर्वाचन आयुक्त के रूप में उनकी विरासत ने कई अन्य लोगों को उनके पदिचह्न पर चलने तथा भारत में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता एवं स्थिरता को बनाए रखने के लिये प्रेरित किया है।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकः एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में बरकरार रखा गया है। कई लोकतांत्रिक देशों ने चुनावों की निगरानी के लिये स्वतंत्र निकाय स्थापित किये हैं और भारत निर्वाचन आयोग भी इन वैश्विक मानकों के साथ तालमेल रखने पर लक्षित है।

#### आगे की राहः

- सरकार को चयन सिमित की संरचना की समीक्षा करनी चाहिये
   और इसे अधिक संतुलित बनाने पर विचार करना चाहिये। इसमें
   निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये विपक्ष
   को अधिक संतुलित शक्ति सौंपना शामिल हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये, विपक्ष को चयन सिमित में समान सीटें, वीटो शक्ति या रोटेशनल अध्यक्षता सौंपी जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि चयन प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण या सत्तारूढ़ दल से प्रभावित नहीं होगी।
- चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये सरकार को स्वतंत्र विशेषज्ञों, न्यायविदों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को खोज सिमित (search committee) में या चयन सिमित में पर्यवेक्षकों के रूप में शामिल करना चाहिये। उनकी उपस्थिति प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने में मदद कर सकती है।
  - सरकार इन हितधारकों को शामिल कर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास की वृद्धि कर सकती है। वे उम्मीदवारों की गुणवत्ता और उपयुक्तता में सुधार के लिये मूल्यवान अंतर्दृष्टि, प्रतिक्रिया और अनुशंसाएँ भी प्रदान कर सकते हैं।
- नवीन विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले सरकार को विपक्षी दलों, विधि विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ गहन परामर्श करना चाहिये ताकि विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल किया जा सके और निहित चिंताओं को उपयुक्त रूप से हल किया जा सके।

# चीन की आर्थिक मंदी के परिदृश्य में भारत की संवृद्धि

चीन द्वारा पिछले तीन वर्षों से क्रियान्वित शून्य कोविड नीति (Zero Covid Policy) के बाद इस वर्ष उम्मीद की जा रही थी कि उसकी अर्थव्यवस्था में पुन: सुधार आएगा। लेकिन नवीनतम आर्थिक आँकड़ों से पता चलता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी

अर्थव्यवस्था अपस्फीति की स्थिति में है। खुदरा बिक्री और औद्योगिक उत्पादन, दोनों ही अनुमानित अपेक्षाओं से कम रहे हैं। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि घरेलू मांग घटती जा रही है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-आधारित मुद्रास्फीति (Consumer Price Index-based inflation) में गिरावट के साथ अपार्टमेंट और कई अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के मृल्यों में गिरावट आई है।

### इस मंदी हेत् उत्तरदायी कारण:

- भून्य कोविड रणनीति: अपनी सीमाओं के भीतर कोविड-19 मामलों के उन्मूलन के लिये चीन द्वारा अपनाई गई नीति से बार-बार लॉकडाउन एवं यात्रा प्रतिबंध की स्थिति बनी। इसने वैश्विक आपूर्ति शृंखला में भी एक उथल-पुथल पैदा कर दी। इस परिदृश्य के साथ ही भू-राजनीतिक तनावों ने विनिर्माण स्थानांतरण (विदेशी कंपनियों द्वारा अपने विनिर्माण का चीन से बाहर अन्य देशों में स्थानांतरण) को प्रेरित किया, जिससे घरेलू विकास एवं उपभोक्ता व्यय में और गिरावट आई।
  - औद्योगिक उत्पादन में गिरावट: जुलाई 2023 में मूल्यवर्द्धित औद्योगिक उत्पादन में (Y-O-Y) 3.7% की वृद्धि दर्ज की गई, जो जून माह में 4.4% की वृद्धि दर की तुलना में मंद थी।
  - गिरता निर्यात: जुलाई 2023 में चीन के निर्यात में एक वर्ष पहले की तुलना में 14.5% की गिरावट आई, जबिक आयात में 12.4% की गिरावट आई।
  - बढ़ती बेरोजगारी: जबिक जुलाई 2023 में कुल बेरोजगारी दर बढ़कर 5.3% हो गई, जून माह में युवा बेरोजगारी रिकॉर्ड 21.3% के स्तर पर पहुँच गया।
- आवास क्षेत्र का पतनः चीन की अर्थव्यवस्था इस समय विश्वास के संकट का सामना कर रही है। कई कारकों के योग से यह परिदृश्य बना हुआ है। इनमें से एक प्रमुख कारक है दशकों से ऋण से समर्थित आवास क्षेत्र (Housing Sector) का लगभग पतन हो जाना, जो चीन के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान देता है।
- ऋण का बोझ: चीन की तेज आर्थिक वृद्धि को कुछ हद तक भारी उधारी से बढ़ावा मिला था। इससे अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में ऋण जमा हो गया है, जिसका यदि सावधानी से प्रबंधन नहीं किया गया तो संभावित रूप से भविष्य के विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
  - चीन का ऋण वर्तमान में इसके सकल घरेलू उत्पाद का 282% होने का अनुमान है, जो कि अमेरिका से अधिक है।
- टेक उद्योग पर नियंत्रणकारी कड़ी कार्रवाई: चीन की सरकार ने अपने जीवंत टेक सेक्टर (वीडियो गेमिंग, एडटेक, ई-कॉमर्स

आदि) पर इस आधार पर नियंत्रणकारी कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी कि टेक कंपनियाँ विशाल और शक्तिशाली होती जा रही थीं। इसके परिणामस्वरूप राजस्व और रोज्जगार का भारी नुकसान हुआ, क्योंकि इनमें से कई कंपनियों को अपना आकार छोटा करना पड़ा या अपना संचालन बंद करना पड़ा।

- निवंश और उपभोक्ता व्यय में गिरावट: गिरावटपूर्ण और अनिश्चित आर्थिक माहौल के बीच, चीन के निवंशक अपने व्यय में कटौती कर रहे हैं, जिससे अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
  - चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (NBS) के अनुसार, जुलाई 2023 में खुदरा बिक्री 2.5% (Y-O-Y) की दर से बढ़ी, जबिक जून माह में यह 3.1% रही थी।
- संरचनात्मक बदलावः चीन अपनी अर्थव्यवस्था को निर्यात एवं निवेश पर निर्भरता से एक अधिक संतुलित मॉडल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है जहाँ घरेलू व्यय एवं नवाचार पर अधिक बल दिया गया है। यह संक्रमण चुनौतीपूर्ण रहा है और इसके परिणामस्वरूप विकास दर कम हुई है, साथ ही ऋण एवं वित्तीय जोखिम भी बढे हैं।
- अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध: चीन और अमेरिका के बीच व्यापार तनाव वर्ष 2018 से बढ़ गया है जिसके परिणामस्वरूप टैरिफ, प्रतिबंध और डिकम्प्लिंग जैसे उपाय किये गए हैं, जिसने दोनों ही पक्षों को नुकसान पहुँचाया है। इस व्यापार युद्ध (Trade War) ने चीन के निर्यात, निवेश और प्रमुख प्रौद्योगिकियों एवं बाजारों तक उसकी पहुँच को प्रभावित किया है।
  - इसने उपभोक्ताओं और व्यवसायों के भरोसे को कम किया है,
     साथ ही चीन की मुद्रा के मृत्य को भी कमज़ोर कर दिया है।

## इस मंदी को लेकर वैश्विक बाज़ार में चिंताएँ:

- IMF ने पूर्व में अनुमान लगाया था कि इस वर्ष वैश्विक विकास में चीन की हिस्सेदारी 35% होगी, लेकिन अब यह दूर की कौड़ी लग रही है।
- नवीनतम आँकड़ों से उजागर होता है कि चीन को इस वर्ष के लिये
   निर्धारित लगभग 5% के विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है।
  - चीन में मंदी का असर वैश्विक मांग पर पड़ेगा।
  - चीन न केवल विश्व की सबसे बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्था है बिल्क यह प्रमुख वस्तुओं का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है।
    - यह विश्व के धातु उपभोग में लगभग 50% की हिस्सेदारी रखता है।

#### भारत के लिये उपलब्ध अवसर:

- वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लानाः कई देश और कंपनियाँ कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं तैयार उत्पादों—विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में, के स्रोत के रूप में चीन के किसी विकल्प की तलाश कर रहे हैं।
  - अपने विशाल घरेलू बाजार, कुशल कार्यबल, निम्न श्रम लागत और अवसंरचना में सुधार के साथ भारत में इन उद्योगों के लिये एक पसंदीदा गंतव्य बन सकने की क्षमता है।
  - भारत वैश्विक बाजारों तक अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिये अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ जैसे देशों/ संघों के साथ अपने मौजूदा व्यापार समझौतों और रणनीतिक साझेदारियों का भी लाभ उठा सकता है।
- विदेशी निवेश को आकर्षित करनाः चीन की आर्थिक मंदी ने विदेशी पूंजी के लिये निवेश स्थल के रूप में भी इसके आकर्षण को कम कर दिया है। भारत एक स्थिर एवं अनुकूल कारोबारी माहौल प्रदान कर, नियामक बाधाओं को कम कर, कर प्रोत्साहन प्रदान कर और भूमि अधिग्रहण एवं श्रम सुधारों को सुविधाजनक बनाकर इस अवसर का लाभ उठा सकता है।
  - भारत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये आईटी, डिजिटल सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और रक्षा उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भी अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकता है।
- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देनाः चीन की आर्थिक मंदी ने नवाचार और अनुसंधान एवं विकास के मामले में भी इसकी कमजोरियों को उजागर किया है, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रों में।
  - भारत अपने स्वयं के नवाचार और अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक निवेश कर शिक्षा जगत, उद्योग एवं सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर और उद्यमिता एवं जोखिम लेने की संस्कृति का निर्माण कर इस अवसर का लाभ उठा सकता है।
  - भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और समाधानों को विकसित करने के लिये अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के प्रतिभा पूल का भी लाभ उठा सकता है जो वैश्विक मंच पर चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकते हैं।
- भारत के निर्माताओं के लिये लाभ: कमोडिटी बाजार, चीन की मांग के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। यदि चीन सुस्त मांग के कारण

बेस मेटल और अन्य वस्तुओं का कम मूल्यों पर निर्यात करना शुरू कर देता है तो इससे हमारे निर्माताओं को लाभ प्राप्त हो सकता है।

### चीन की मंदी का लाभ उठाने के लिये भारत की पहल:

- निर्यात में विविधता लानाः अन्य देशों में अपने निर्यात को बढ़ाना, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ चीन अपनी प्रतिस्पर्द्धात्मकता खो रहा है। उदाहरण के लिये, पिछले कुछ माह में भारत की इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ा निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करनाः उन कंपनियों से अधिकाधिक FDI आकर्षित करना जो चीन के बदले वैकल्पिक गंतव्यों की तलाश कर रहे हैं। भारत ने अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिये अपने FDI मानदंडों को आसान बनाया है, प्रोत्साहन (incentives) की पेशकश की है और अपनी कारोबार सुगमता रैंकिंग में सुधार किया है।
  - निवंश को आकर्षित करने के लिये भारत ने बिजली (जैसे बिजली (संशोधन) नियम, 2023), भूमि (जैसे भूमि बैंक) और श्रम (श्रम कोड को संहिताबद्ध करना) में भी सुधार किये हैं।
- घरेलू विनिर्माण और उपभोग को बढ़ावा देनाः उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना, आत्मिनर्भर भारत अभियान और जीएसटी सुधार जैसी विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के माध्यम से अपने घरेलू विनिर्माण एवं उपभोग को बढ़ावा देना। इन पहलों का उद्देश्य भारत को अधिक आत्मिनर्भर और बाहरी आघातों के प्रति प्रत्यास्थी बनाना है।
- आर्थिक और रणनीतिक गठबंधनों का निर्माण करनाः चीन के प्रभाव एवं आक्रामकता का मुकाबला करने के लिये (विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में) अन्य देशों के साथ अपने रणनीतिक एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ाना। भारत ने क्षेत्रीय सहयोग एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये क्वाड (QUAD) और ब्रिक्स (BRICS) जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों एवं वार्ताओं में भाग लिया है।

### निष्कर्षः

भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखला में एक प्रमुख हितधारक के रूप में और एक 'मैन्युफैक्चरिंग हब' के रूप में चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने की उम्मीद कर रहा है। इसने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये PLI जैसी योजनाओं का अनावरण किया है। यदि चीन के निर्यात में कमी आती है तो भारत की 'चाइना प्लस वन' रणनीति को बढ़ावा मिल सकता है।

# AI व्यवधान संबंधी चुनौतियाँ

वैश्विक जेनरेटिव AI (Generative AI) बाजार में आने वाले वर्षों में व्यापक वृद्धि का अनुमान है, जहाँ वर्ष 2021 से 2028 तक 45% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की जा सकती है। चूँिक AI सेवाओं का पण्यीकरण (commoditization) अधिक व्यापक होता जा रहा है, उद्योगों के बिजनेस मॉडल (सॉफ्टवेयर विकास से लेकर मनोरंजन तक) में भारी बदलाव आएगा। LLMs (Large Language Models) और जेनरेटिव AI ऐसे विभिन्न कार्यों को स्वचालित करने के लिये तैयार हैं जिनके लिये प्राकृतिक भाषा समझ की आवश्यकता होती है, जैसे संक्षेपण, अनुवाद, सवालों के जवाब देना, कोडिंग और यहाँ तक कि संवाद।

### जेनरेटिव AI और LLMs:

- जेनरेटिव AI: जेनेरेटिव AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऐसे सबसेट को संदर्भित करता है जो ऐसे कंटेंट के सृजन में सक्षम प्रणालियों (systems) के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है जो मानव द्वारा उत्पादित किये जा सकने वाले कंटेंट के समान हो।
  - ये प्रणालियाँ पहले से मौजूद डेटा के पैटर्न से सीखती हैं और
     फिर उस ज्ञान का उपयोग नए, मूल कंटेंट के सृजन के लिये
     करती हैं।
  - ये कंटेंट विभिन्न रूप ग्रहण कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज,
     म्युजिक और अन्य।
- लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLMs): LLMs जेनरेटिव AI
   मॉडल का एक विशिष्ट वर्ग हैं जिन्हें मानव की तरह टेक्स्ट की समझ और उसके सुजन के लिये प्रशिक्षित किया जाता है।
  - ये मॉडल गहन शिक्षण तकनीकों, विशेष रूप से न्यूरल नेटवर्क का उपयोग कर बनाये गए हैं।
  - वे प्रांप्ट या इनपुट प्रदान किये जाने पर सुसंगत और सांदर्भिक रूप से प्रासंगिक टेक्स्ट उत्पन्न कर सकते हैं।
  - LLMs के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक OpenAI का GPT (Generative Pre-trained Transformer) है।

## जेनरेटिव AI के अनुप्रयोग:

- स्वास्थ्य देखभाल:
  - लक्षण आकलन और रोग का पता लगाना: 'Ada' जैसे
    AI-संचालित ऐप लक्षणों का आरंभिक आकलन प्रदान कर
    सकते हैं और उपयोगकर्ताओं को उचित चिकित्सा कार्रवाइयों
    के लिये मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।

- अभिगम्यता और रोगी समर्थन: 'Be My Eyes' जैसे ऐप और 'Hyro' जैसे कंवर्सेशनल AI (Conversational AI) समाधान दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिये अभिगम्यता में सुधार कर रहे हैं तथा स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ रोगी अंत:क्रिया को सुव्यवस्थित कर रहे हैं।
- रोग का पता लगाना: इससे रोग का शीघ्र पता लगाने में मदद मिल सकती है। 'SkinVision' दर्शाता है कि जेनेरेटिव AI त्वचा कैंसर का शीघ्र पता लगाने और निदान की गति एवं परिशुद्धता बढ़ाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है।

#### • शिक्षाः

- कंटेंट सृजन और वैयक्तिकरण: जेनरेटिव AI शैक्षिक कंटेंट के सृजन, इसे विभिन्न शैलियों, दायरे या भाषाओं में अनुकूलित करने और इसे किसी छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में शिक्षकों की सहायता कर सकता है।
- मूल्यांकन और प्रतिक्रिया: AI-सृजित कंटेंट रचनात्मक मूल्यांकन में सहायता कर सकते हैं, जिससे छात्रों को उनके कार्य पर तुरंत प्रतिक्रिया/फीडबैक प्राप्त हो सकती है। इससे लर्निंग की प्रक्रिया अधिक गतिशील हो जाएगी।

#### मनोरंजनः

- कला और डिजाइन: जेनरेटिव AI का उपयोग बेहतरीन ग्राफिक्स, डिजाइन एवं आर्टवर्क का सृजन करने और वीडियो गेम, फैशन एवं अन्य रचनात्मक उद्योगों के दृश्य पहलुओं के संवर्द्धन के लिये किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिये, DALL E 2 ऐसा जेनरेटिव AI मॉडल है जो टेक्स्ट विवरण से छिवयों का निर्माण कर सकता है।
- संगीत रचना: AI-सृजित संगीत विभिन्न मूड, जोनरा और शैलियों के लिये संगीत रचनाओं की एक अंतहीन धारा प्रदान कर सकता है।
  - उदाहरण के लिये, AI की मदद से हमारे बीच अब नहीं रहे किसी भी गायक की आवाज में कोई भी गाना तैयार किया जा सकता है।
- फैशन: फैशन उद्योग नए कपड़ों के डिजाइन तैयार करने में जेनेरेटिव AI का लाभ उठा सकता है, जहाँ डिजाइनरों को नवीन अवधारणाओं का पता लगाने में मदद मिलेगी।

#### • कंटेंट डिज़ाइन और कोडिंग:

उत्पाद विकास और नवाचार: प्राकृतिक भाषा इनपुट के आधार पर डिजाइन, कोड और स्कीमैटिक्स (schematics) सृजित करने की जेनरेटिव AI की क्षमता उत्पाद विकास चक्र को तीव्र कर सकती है तथा नवाचार को बढ़ावा दे सकती है।

- GitHub की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में अधिकांश डेवलपर्स ने AI कोडिंग टूल को अपना लिया है और उन्हें पेशेवर एवं व्यक्तिगत, दोनों रूपों में अपने कार्यों में एकीकृत किया है।
- अमेरिका में कार्यरत 92% प्रोग्रामर्स अब अपनी कोडिंग क्षमताओं की पूरकता के लिये AI का लाभ उठा रहे हैं।
- कंटेंटसमराइजेशन(Content Summarization):
   जेनरेटिव AI लंबे लेखों, ईमेल और रिपोर्टों का तुरंत ही सारांश तैयार कर सकते हैं, जिससे सूचना उपभोग अधिक कुशल हो जाता है।
- विजुअल कंटेंट को बढ़ाना: जेनरेटिव AI एनिमेशन, वॉइस-ओवर और अन्य घटकों का संयोग कर प्रदर्श एवं वर्णनकारी वीडियो की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है।

## भारत के समक्ष जेनरेटिव AI से संबंधित चुनौतियाँ:

- मीडिया तकनीकी व्यवधानों के बीच आर्थिक चुनौतियाँ: चूँिक ये प्रौद्योगिकियाँ मीडिया उत्पादों एवं सूचनाओं के उत्पादन एवं उपभोग के तरीके को विघटित कर देती हैं, इसिलये बाजारों के व्यवधान (disruption), असमानताओं के निर्माण, मानव रचनात्मकता एवं नवाचार के लिये प्रेरणा की कमी और श्रमिकों के विस्थापन जैसी महत्त्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी।
- रोज़गार हानिः उपभोक्ता सेवा, अनुसंधान, ब्लू-कॉलर जॉब और विधिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में (जहाँ नियमित सूचना प्रसंस्करण, डेटा एंट्री, फॉर्म फिल-अप जैसे कार्य किये जाते हैं) रोजगार हानि की स्थिति बन सकती है। आंशिक स्वचालन के साथ भी, इन क्षेत्रों में लगभग 5-10% कार्य-भूमिकाएँ निकट भविष्य में समाप्त हो सकती हैं। इससे करोड़ों कुशल और अर्द्ध-कुशल कामगार बेरोजगारी के शिकार होंगे।
  - इसके अलावा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जेनरेटिव AI और संबंधित प्रौद्योगिकियाँ इन रोजगार अवसरों की हानि की भरपाई के लिये नए रोजगार अवसर सृजित करेंगी।
- पर्याप्त तैयारी का अभाव: भारत जेनेरेटिव AI और संबंधित प्रौद्योगिकियों के इस हमले का सामना करने के लिये चीन और अमेरिका की तरह पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। देश में AI चिप हार्डवेयर डिजाइन में कोई बड़ा निवेश नहीं किया गया है। मॉडल्स की ट्रेनिंग और फाइन-ट्यूनिंग के लिये ऑडिटेड डेटा सेट का अभाव एक बड़ी कमी है।

- भारत के पास 'GPT' या 'Wu Dao' जैसा अपना कोई मूलभूत या जेनरेटिव मॉडल भी नहीं है।
- चीन और अमेरिका की तुलना में, भारत में AI से संबंधित क्षेत्रों में पीएचडी स्तर के विशेषज्ञ संख्या में पर्याप्त कम हैं।
- LLMs के प्रशिक्षण की सीमितताएँ: भारत में LLMs के प्रशिक्षण के लिये 'क्लाउड कंप्यूटिंग' तक पहुँच की सीमाएँ हैं और यह महंगा भी है। भारत में ऐसे बड़े निगम नहीं हैं जो इनहाउस AI अनुसंधान में भारी निवेश करते हों।
- 'ब्रेन ड्रेन': अमेरिका और चीन में AI पॉलिसी थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों की संख्या भी बहुत अधिक है। भारत में इन क्षेत्रों की गुणवत्तापूर्ण प्रतिभा जल्द ही इन गंतव्यों की ओर पलायन कर जाएगी।
- व्यापक और समग्र AI रणनीति का अभाव: भारत में सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत और समाज को संयुक्त करने वाली व्यापक एवं समग्र AI रणनीति का गंभीर अभाव है। LLMs की दौड़ तेज होने के साथ भारत में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ ऐसे मूल्यवान डेटा प्राप्त करने की हमारी संभावनाओं को कम कर देंगी जो सुदृढ़ मॉडलों को प्रशिक्षित कर करती हैं।

#### नीतिगत उपायः

- एक व्यापक राष्ट्रीय AI रणनीति विकसित करनाः एक सुपरिभाषित राष्ट्रीय AI रणनीति का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें सरकारी एजेंसियों, उद्योग प्रतिनिधियों, शोधकर्ताओं और नैतिकतावादियों सिहत विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना शामिल है।
  - इस रणनीति में AI विकास, नैतिक दिशानिर्देशों, नियामक ढाँचे और उत्तरदायित्वपूर्ण तैनाती के लिये देश के लक्ष्य सुस्पष्ट किये जाएँ। इसे संभावित जोखिमों (जैसे पूर्वाग्रह एवं गोपनीयता संबंधी चिंताओं) और उन्हें संबोधित करने के तरीके पर भी विचार करना होगा।
- AI पॉलिसी थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थान स्थापित करनाः थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थान नवाचार को बढ़ावा देने तथा AI प्रतिभा का पोषण करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये संस्थान AI रुझानों, नैतिकता और नीतिगत निहितार्थों पर गहन शोध कर सकते हैं। वे नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं को मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें सूचना-संपन्न निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। इन संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग AI अनुसंधान एवं विकास पारितंत्र को उन्नत बना सकता है।

- सहयोग और उत्तरदायित्वपूर्ण AI अनुप्रयोग को बढ़ावा देना: ज्ञान, विशेषज्ञता एवं सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी के लिये शिक्षा जगत, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच सहयोग आवश्यक है। विश्व के देश इन सहयोगों को बढ़ावा देकर उत्तरदायित्वपूर्ण AI अनुप्रयोगों को विकसित कर सकते हैं, जो नैतिक मानकों, गोपनीयता नियमों एवं सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।
- कामगार संक्रमण के लिये नीतिगत और विधिक उपायः कामगारों के लिये एक सुचारु संक्रमण सुनिश्चित करने हेतु उनके अधिकारों एवं आजीविका की रक्षा करने वाले नीतिगत एवं विधिक उपायों को लागू करना आवश्यक है। इन उपायों में सेवेरेंस पेमेंट, स्वचालन की अग्रिम सूचना देना और कार्यस्थल में भेदभावपूर्ण AI प्रणाली को प्रतिबंधित करने वाले विनियमन शामिल हो सकते हैं। ऐसे वातावरण के निर्माण से, जहाँ कामगारों को आसन्न परिवर्तनों के बारे में सूचित किया जाए और उन्हें समर्थन दिया जाए, रोजगार विस्थापन से जुड़ी चिंताओं को कम किया जा सकता है।
- व्यवसाय पुनर्प्रशिक्षण के लिये 'टैक्स ब्रेक' और 'इंसेंटिव' प्रदान करना: व्यवसायों को अपने कामगारों को पुनर्प्रशिक्षित करने हेतु प्रेरित करने के लिये टैक्स ब्रेक, अनुदान या इंसेंटिव जैसे लाभ दिए जा सकते हैं। यह कंपनियों को अपने कार्यबल के कौशल विकास में निवेश हेतु प्रोत्साहित करेगा, जहाँ यह सुनिश्चित होगा कि उनके कामगार उभरते रोजगार परिदृश्य के अनुरूप पूर्ण कौशल से तैयार हैं। ऐसे कार्यक्रम उन कंपनियों को कर लाभ प्रदान कर सकते हैं जो व्यापक प्रशिक्षण और पुन:कौशल के अवसर प्रदान करते हैं।
- सामाजिक सुरक्षा जाल को बढ़ानाः रोजगार विस्थापन का सामना करने वाले कामगारों हेतु सुरक्षा जाल प्रदान करने के लिये सामाजिक सुरक्षा जाल (Social Safety Nets) को बढ़ाना महत्त्वपूर्ण है। इसमें कार्य की बदलती प्रकृति को समायोजित करने के लिये पेंशन, बीमा और नियोजन नियमों में सुधार करना शामिल हो सकता है।
  - बेरोजगारी लाभों को पुनः निर्धारित करने, बेरोजगारी बीमा योजनाओं पर विचार करने और अस्थायी आय पूरकों का सृजन करने से प्रभावित कामगारों को संक्रमण के दौरान अपनी वित्तीय स्थितियों का प्रबंधन करने में मदद मिल सकती है।
- जॉब प्लेसमेंट सेवाएँ और सहायता: रणनीति के एक अंग के रूप में जॉब प्लेसमेंट सेवाओं के सृजन से विस्थापित कामगारों को उनके कौशल एवं आकांक्षाओं के अनुरूप नई भूमिकाओं की

तलाश में सहायता मिल सकती है। इन सेवाओं में करियर परामर्श, जॉब मैंचिंग और उभरते उद्योगों में नियोक्ताओं के साथ संपर्क प्रदान करने की सुविधा शामिल हो सकती है। रोजगार बाजार में अनुकूल कार्यों की तलाश में सहायता प्रदान करने से कामगारों को अधिक प्रभावी ढंग से संक्रमण कर सकने में मदद मिल सकती है।

## AI क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदम:


- वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया भारतीय राष्ट्रीय AI पोर्टल (National AI Portal of India) देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित विकास के लिये वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार से संबद्ध विभिन्न हितधारकों के AI पहलों, संसाधनों, घटनाओं, अनुसंधान एवं नवाचार को प्रदर्शित करता है।
- पोर्टल के साथ लॉन्च किये गए 'रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ' (Responsible AI for Youth) कार्यक्रम का उद्देश्य AI का उपयोग कर सार्थक सामाजिक प्रभाव समाधान का सृजन करने के लिये युवा छात्रों को कौशल एवं ज्ञान के साथ सशक्त करना है।
  - इसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल, परियोजना-आधारित शिक्षा, मेंटॉरशिप और राष्ट्रीय स्तर की परियोजना प्रतियोगिता शामिल हैं।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी (Global Partner-ship on Artificial Intelligence- GPAI)—
  जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, AI के उत्तरदायी
  विकास एवं उपयोग (जो मानवाधिकार, समावेशन, विविधता,
  नवाचार एवं आर्थिक विकास पर आधारित हो) का मार्गदर्शन
  करने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय एवं बहु-हितधारक पहल है।
- भारत की AI रणनीति 'AI for All' के रूप में जानी जाती है, जो समावेशी विकास के लिये AI का लाभ उठाने पर केंद्रित

- है और जो देश के 'सामाजिक भलाई के लिये AI' (AI for Social Good) के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है।
- इसे नीति आयोग (NITI Aayog) द्वारा वर्ष 2018 में तैयार किया गया था और यह AI के अनुप्रयोग के लिये पाँच मुख्य क्षेत्रों दायरे में लेती है: कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्मार्ट सीटीज/अवसंरचना और परिवहन।
- NASSCOM के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा लॉन्च किया गया 'FutureSkills PRIME' कार्यक्रम AI सहित अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में IT पेशेवरों को रि-स्किल/अप-स्किल प्रदान करने के लिये एक बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) ढाँचा है।
  - यह शिक्षार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, प्रमाणन और मान्यता बैज प्रदान करता है।

# भूस्खलन के प्रति अनुकूलन

हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण हाल ही में हुई मौतों और विनाश ने एक बार फिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की भेद्यताओं एवं चुनौतियों को उजागर किया है। हिमालय, जिसे प्राय: विश्व की सबसे नई और ऊबड़-खाबड़ पर्वत शृंखला के रूप में संदर्भित किया जाता है, एक अद्वितीय और जटिल वातावरण है जो इस भूभाग के भूविज्ञान, जलवायु एवं जैव विविधता को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, कई विकासशील देशों में भूस्खलन के कारण होने वाली आर्थिक क्षति उनके सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GDP) के 1-2% तक हो सकती है। देश का लगभग 15% स्थल भाग भूस्खलन के खतरों के प्रति संवेदनशील है। हिमालय (उत्तर-पश्चिम और उत्तर-पूर्वी भारत) और पश्चिमी घाट उच्च संवेदनशीलता रखने वाले दो प्रमुख क्षेत्र हैं।



#### भूस्खलनः

प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

- भूस्खलन (Landslide) एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें शैल, मिट्टी और मलबे के एक भाग का नीचे की ओर खिसकना या संचलन शामिल होता है। यह संचलन छोटे एवं स्थानीय बदलावों से लेकर बड़े एवं विनाशकारी घटनाओं तक भिन्न-भिन्न पैमाने का हो सकता है।
- भुस्खलन प्राकृतिक और मानव-निर्मित, दोनों ही ढलानों पर घटित हो सकते हैं तथा वे प्राय: भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखीय गतिविधि, मानव गतिविधि (जैसे निर्माण या खनन) और भुजल स्तर में परिवर्तन जैसे कारकों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं। भूस्खलन को उनकी गति/संचलन विशेषताओं के आधार पर कई
- स्खलन/स्लाइड (Slides): ये किसी विखंडित सतह (rupture surface) या दुर्बल क्षेत्र (zone of weakness) में मिट्टी या शैल का संचलन हैं। इन्हें आगे रोटेशनल स्लाइड (rotational slides)—जहाँ विखंडित सतह घुमावदार होती है; और ट्रांसलेशनल स्लाइड (translational slides)—जहाँ विखंडित सतह रेखीय होती है, में विभाजित किया जा सकता है।
- प्रवाह/फ्लो (Flows): ये मिट्टी या शैल के ऐसे संचलन हैं जिनमें बड़ी मात्रा में जल भी शामिल होता है, जो इस द्रव्यमान को तरल पदार्थ की तरह प्रवाहित करता है। इन्हें शामिल सामग्री और गति की दर के आधार पर मदा प्रवाह (earth flows). मलबा प्रवाह (debris flows), पंक प्रवाह (mud flow) और क्रीप (creep) में विभाजित किया जा सकता

- फैलाव/स्प्रेड (Spreads): ये मिट्टी या शैल के ऐसे संचलन हैं जिनमें पार्श्व विस्तार और द्रव्यमान का टूटना शामिल होता है। वे आमतौर पर सामग्री के द्रवीकरण (liquefaction) या प्लास्टिक विरूपण (plastic deformation) के कारण घटित होते हैं।
- अग्रपात/टॉपल्स (Topples): ये मिट्टी या शैल के ऐसे संचलन हैं जिनमें ऊर्ध्वाधर या निकट-ऊर्ध्वाधर भृगु या ढलान से द्रव्यमान का आगे की ओर घूमना और मुक्त रूप से गिरना शामिल होता है।
- प्रपात/फॉल्स (Falls): ये मिट्टी या शैलों के ऐसे संचलन हैं जिनमें ये खडी ढलान या भृगु से अलग हो जाते हैं और मुक्त रूप से गिरते हैं तथा लढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं।

## हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के कारण:

- भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र: शैल विरूपण, उत्खनन एवं शैलों के रि-वर्क जैसी कई उपसतह प्रक्रियाओं से संबद्ध टेक्टोनिक या नव-टेक्टोनिक गतिविधियाँ तथा कटाव. अपक्षय एवं वर्षा/हिमपात जैसी सतह प्रक्रियाएँ पारिस्थितिकी तंत्र को स्वाभाविक रूप से भंगुर (fragile) बनाती हैं।
  - भूकंप: हिमालय क्षेत्र में यूरेशियन प्लेट के साथ भारतीय प्लेट के टकराने ने भिमगत तनाव पैदा किया है जो भुकंप के रूप में प्रकट होता है और इसके परिणामस्वरूप यह दरार/फ्रैक्चर का निर्माण करता है तथा पर्वत सतह के निकट लिथो-संरचनाओं को ढीला कर देता है। इससे ढलान के साथ शैलों के संचलन की संभावना बढ़ जाती है।

- मलबे का प्रवाह और भूमिगत जल ढलान को दुर्बल
   बनाते हैं और स्थल खंड इससे नीचे खिसक सकता है।
- जलवायु प्रेरित चरम घटनाएँ: जलवायु-प्रेरित चरम घटनाएँ, जैसे बर्फ़ का जमना/पिघलना और भारी वर्षा/हिमपात के कारण हिमस्खलन, भूस्खलन, मलबा प्रवाह, GLOFs (Glacial Lakes Outburst Floods), LLOFs (Landslide Lakes Outburst Floods) और 'फ्लैश फ्लड' की स्थिति उत्पन्न होती है। वे पर्वतीय प्रणाली की अनिश्चितता को और बढ़ाते हैं। मानवजनित गतिविधियों से हिमालय पर और अधिक दबाव बनता है।
  - जलवायु परिवर्तन का हिमनदों, नदी प्रणालियों, भू-आकृति विज्ञान और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्वतीय राज्यों में लोगों की भेद्यता/ असुरक्षा बढ़ गई है।
    - भूमि क्षरण से यह समस्या और बढ़ जाती है।
- मानवजित कारक: सड़क निर्माण, सुरंग निर्माण, खनन, उत्खनन, वनों की कटाई, शहरीकरण, कृषि, अत्यधिक पर्यटन और जलविद्युत परियोजना जैसी मानवीय गतिविधियाँ भी हिमालय में भूस्खलन का कारण बन सकती हैं या इसे गंभीर बना सकती हैं। ये गतिविधियाँ वनस्पित आवरण को हटाने, जल निकासी पैटर्न में बदलाव करने, मिट्टी के कटाव को बढ़ाने, कृत्रिम 'कट एंड फिल' का निर्माण करने, शैलों को तोड़ने और कंपन पैदा करने के रूप में ढलानों के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ सकती हैं।
  - ये गतिविधियाँ मानव बस्तियों और अवसंरचना के लिये भूस्खलन के खतरे एवं जोखिम को भी बढ़ा सकती हैं।
  - वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी इस भूभाग में होटल, सड़क, पुल और बाँध जैसी अनियोजित विकास एवं निर्माण गतिविधियों से भी प्रभावित हुई थी, जिसने प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली को बदल दिया था और मृदा का कटाव बढ़ गया था।
- भूवैज्ञानिक संरचनाः हिमालय की कुछ शैलें चूना पत्थर से बनी हैं, जो अन्य प्रकार की शैलों की तुलना में जल एवं भूस्खलन के प्रति अधिक प्रवण होती हैं, क्योंिक यह अम्लीय वर्षा जल या भूजल में घुल सकती हैं। यह प्रक्रिया गुफाओं, सिंकहोल और अन्य कार्स्ट स्थलाकृति का निर्माण करती है जो ढलानों की स्थिरता को कमजोर करती हैं।
- पश्चिमी विक्षोभ और मानसून: पश्चिमी विक्षोभ (जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली और पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए मध्य एशिया एवं उत्तरी भारत में पहुँचने वाली निम्न दाब प्रणाली है)

और दक्षिण-पश्चिम भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के अभिसरण के कारण जम्मू-कश्मीर के कुछ भागों, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अत्यधिक एवं केंद्रित वर्षा होती है जो फिर भूस्खलन एवं फ्लैश फ्लड का कारण बनती है।

## हिमालय क्षेत्र के भूस्खलन की पश्चिमी घाट के भूस्खलन से भिन्नताः

क्षेत्र	कारण
हिमालय	प्लेट टेक्टोनिक गित के कारण उच्च भूकंपीयता आसानी से नष्ट होने वाली अवसादी शैलें उच्च कटाव क्षमता वाली युवा एवं ऊर्जावान
	निदयाँ भारी वर्षा और हिमपात वनों की कटाई, झूम खेती, सड़क निर्माण जैसी मानवजनित गतिविधियाँ।
पश्चिमी घाट	संकेंद्रित वर्षा पहाड़ियों का अतिभार खनन एवं उत्खनन कृषि कार्य, पवनचक्की परियोजनाओं जैसी मानवजनित गतिविधियाँ। पतली मिट्टी पर सघन वनस्पति के साथ वन

## भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिये सरकार द्वारा की गई पहलें:

- राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (National Landslide Risk Management Strategy), 2019: यह एक व्यापक दस्तावेज है जो भूस्खलन आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के सभी घटकों को संबोधित करता है, जैसे कि खतरा मानचित्रण, निगरानी, पूर्व-चेतावनी प्रणाली, जागरूकता कार्यक्रम, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, विनियमन, नीतियाँ, भूस्खलन का स्थिरीकरण एवं शमन आदि।
- भूस्खलन जोखिम शमन योजना (Landslide Risk Mitigation Scheme- LRMS): यह एक तैयार की जा रही एक योजना है जिसमें भूस्खलन प्रवण राज्यों द्वारा अनुशंसित स्थल-विशिष्ट भूस्खलन शमन परियोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता की परिकल्पना की गई है, जिसमें आपदा रोकथाम रणनीति, आपदा शमन और गंभीर भूस्खलन की निगरानी में अनुसंधान एवं विकास के नियोजन को दायरे में लिया गया है; इस प्रकार, पूर्व-चेतावनी प्रणाली और क्षमता निर्माण पहलों के विकास की ओर आगे कदम बढ़ाया गया है।

- बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण योजना (Flood Risk Mitigation Scheme-FRMS): यह एक अन्य योजना है जिसे तैयार किया जा रहा है। इसमें मॉडल बहुउद्देश्यीय बाढ़ आश्रयों के विकास के लिये पायलट परियोजनाओं और नदी बेसिन विशिष्ट बाढ़ पूर्व-चेतावनी प्रणाली के विकास तथा बाढ़ की स्थित में सुरक्षित निकासी के लिये ग्रामीणों को पूर्व-चेतावनी देने हेतु बाढ़ मॉडल्स तैयार करने के लिये डिजिटल एलिवेशन मैप जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
- भूस्खलन और हिमस्खलन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (National Guidelines on Landslides and Snow Avalanches): ये सभी स्तरों पर भूस्खलन से उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिये परिकल्पित गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा तैयार किये गए दिशानिर्देश हैं। ये दिशानिर्देश जोखिम मूल्यांकन, भेद्यता विश्लेषण, जोखिम प्रबंधन, संरचनात्मक एवं गैर-संरचनात्मक उपाय, संस्थागत तंत्र, वित्तीय व्यवस्था, सामुदायिक भागीदारी आदि विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं।
- लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया: लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया (Landslide Atlas of India) एक दस्तावेज है जो भारत के भूस्खलन प्रांतों में मौजूद भूस्खलन स्थलों का विवरण प्रदान करता है और इसमें विशिष्ट भूस्खलन स्थलों का क्षिति आकलन भी शामिल है। इसे इसरो (ISRO) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (National Remote Sensing Centre- NRSC) द्वारा तैयार किया गया है।

## आगे की राहः

- प्रत्यास्थता का निर्माण: इन चुनौतियों से निपटने के लिये प्राकृतिक प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय क्षरण और मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले भू-खतरों के विरुद्ध प्रत्यास्थता (resilience) विकसित करना महत्त्वपूर्ण है। इसमें वास्तविक समय निगरानी और डेटा संग्रह के लिये सेंसर तंत्र (a network of sensors) लागु करना शामिल है।
- प्रभावी निगरानी के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठानाः
  - वेब-आधारित सेंसर—जैसे रेन गेज (rain gauges), पीजोमीटर (piezometers), इनक्लिनोमीटर (inclinometers), एक्सटेंसोमीटर (extensometers), InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar)—और टोटल स्टेशन (total stations) संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी में मदद कर सकते

- हैं। घनी आबादी वाले और निर्मित क्षेत्रों (built-up zones) में निगरानी को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- एकीकृत पूर्व-चेतावनी प्रणाली: AI और मशीन लर्निंग (ML) एल्गोरिदम का उपयोग करके एक एकीकृत पूर्व-चेतावनी प्रणाली (Early Warning System-EWS) का विकास करना महत्त्वपूर्ण है। ऐसी प्रणाली आसन्न खतरों का पूर्वानुमान करने और समुदायों को सचेत करने में मदद कर सकती है, जिससे उन्हें निवारक उपाय करने के लिये बहुमुल्य समय प्राप्त हो सकता है।
- हिमालयी राज्य परिषद का गठनः एक ऐसे सहयोगी मंच की स्थापना करना जो हिमालयी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को एक साथ लाता हो, एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक कदम होगा। यह केंद्रीकृत परिषद भूभाग पर विभिन्न दबावकारी घटकों के प्रभावों का प्रभावी ढंग से आकलन करने और उनका प्रबंधन करने के लिये ज्ञान, अनुभव एवं संसाधनों की साझेदारी को सक्षम बनाएगी।
  - सिमुलेशन और खतरे का आकलनः यह परिषद प्राकृतिक प्रक्रियाओं, पर्यावरणीय क्षरण, जलवायु-प्रेरित घटनाओं और मानवजनित गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले खतरे के परिदृश्यों के सिमुलेशन/अनुकरण एवं आकलन पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। इससे संभावित जोखिमों को समझने और उचित शमन रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी।
  - ज्ञान का प्रसार: जबिक हिमालय क्षेत्र पर्याप्त रूप से विविध और भिन्न है, विभिन्न राज्यों के बीच आकलन के निष्कर्षों को साझा करना आवश्यक है। सहयोगात्मक प्रयासों और साझा ज्ञान से चुनौतियों एवं संभावित समाधानों की अधिक व्यापक समझ का माहौल बन सकता है।
  - पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण: इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना एक प्राथिमक दायित्व है। परिषद संबहनीय अभ्यासों और उत्तरदायी संसाधन उपयोग को बढ़ावा देकर प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा में मदद कर सकती है।
- संवहनीय सामाजिक-आर्थिक विकास: भूभाग में मौजूद मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों (जैसे हिमनद, जलधाराएँ, खनिज, ऊर्जा स्रोत और औषधीय वनस्पित) को चिह्नित करना संवहनीय सामाजिक-आर्थिक विकास की क्षमता प्रदान करता है। हालाँकि, दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये संसाधन दोहन और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाये रखना महत्त्वपूर्ण है।

- पर्यावरण संबंधी विचार: पर्वतीय इलाकों की अनूठी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उचित नगर नियोजन महत्त्वपूर्ण है। भारी निर्माण को प्रतिबंधित करना, प्रभावी जल निकासी प्रणालियों को लागू करना, ढलान-कटाई का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करना और धारक-भित्ति (retaining walls) का उपयोग करना पर्यावरण के प्रति जागरूक विकास के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।
  - धारक भित्ति अपेक्षाकृत सुदृढ़ दीवारें होती हैं जिनका उपयोग मिट्टी को पार्श्व रूप से सहारा देने के लिये किया जाता है ताकि इसे दोनों तरफ भिन्न स्तरों पर बनाए रखा जा सके।
- भवन निर्माण संहिता और आकलनः शहरों की हाई-रिजॉल्यूशन मैपिंग और उनकी भार-वहन क्षमता का आकलन प्रभावी भवन निर्माण संहिता के निर्माण के आवश्यक घटक हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि विशेष रूप से भूस्खलन एवं भूकंप जैसे प्राकृतिक खतरों से प्रवण क्षेत्रों में निर्माण सुरक्षित एवं प्रत्यास्थी है।
- सतत्⁄संबहनीय पर्यटनः सतत् पर्यटन (Sustainable Tourism) पर्यावरण जागरूकता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं सुरक्षा और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति सम्मान को बढ़ावा देकर भूस्खलन को कम कर सकता है।
  - यह स्थानीय समुदायों के लिये आर्थिक प्रोत्साहन एवं सामाजिक लाभ भी प्रदान कर सकता है, जो प्राकृतिक खतरों से निपटने के लिये उनकी प्रत्यास्थता एवं अनुकूलन क्षमता को बढा सकता है।
- संवहनीय सरकारी परियोजनाओं का निर्माण: हिमालयी क्षेत्र में उत्तरदायी विकास सुनिश्चित करने के लिये कुछ प्रमुख उपायों में पर्यावरण आकलन करना, पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना, स्थानीय समुदायों को संलग्न करना, हितधारक जागरूकता की वृद्धि करना और सरकारी क्षेत्रों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना शामिल हैं।

# भारत के सामाजिक सुरक्षा संजाल में सुधार

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में वेतनभोगी कार्यबल के लगभग 53% को कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त नहीं है, जिस पर मीडिया में चर्चा की जा रही है। इसका मूलत: अर्थ यह है कि ऐसे कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और विकलांगता बीमा तक कोई पहुँच प्राप्त नहीं है।

भारत के निर्धनतम 20% कार्यबल में से केवल 1.9% को ही इन लाभों तक पहुँच प्राप्त है। इसके साथ ही, गिंग वर्कर्स (जो भारत के सक्रिय श्रम बल में लगभग 1.3% की हिस्सेदारी रखते हैं) को तो शायद ही किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ तक पहुँच प्राप्त है। भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की रैंकिंग भी बदतर है, जहाँ 'Mercer CFS' ने वर्ष 2021 में 43 देशों की सूची में भारत को 40वाँ स्थान प्रदान किया।

#### सामाजिक सुरक्षाः

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा (Social Security) वह सुरक्षा उपाय है जो कोई समाज व्यक्तियों एवं परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करने और आय सुरक्षा की गारंटी देने के लिये प्रदान करता है, विशेष रूप से वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, कार्य स्थल पर चोट का शिकार होने, मातत्व या आजीविका की हानि के मामलों में।

सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ विभिन्न प्रकार के सामाजिक बीमाओं को दायरे में लेती हैं, जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, विकलांगता लाभ, मातृत्व लाभ और ग्रेच्युटी।

# भारत में क्रियान्वित कुछ प्रमुख सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ:

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (The Code on Social Security, 2020): यह एक व्यापक कानून है जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ पूर्ववर्ती कानूनों को समेकित और सरलीकृत करता है। यह संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों के कर्मचारियों को कवर करता है और सेवानिवृत्ति पेंशन, भविष्य निधि, जीवन एवं विकलांगता बीमा, स्वास्थ्य देखभाल एवं बेरोजगारी लाभ, बीमारी के दौरान वेतन एवं अवकाश (sick pay and leaves) और भुगतानप्राप्त मातृत्व-पितृत्व अवकाश (parental leaves) प्रदान करता है।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organisation- EPFO): यह एक सांविधिक निकाय है जो कर्मचारी भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड बीमा योजना का प्रबंधन करता है। ये योजनाएँ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पेंशन, भविष्य निधि और जीवन एवं विकलांगता बीमा प्रदान करती हैं।
- कर्मचारी राज्य बीमा (Employees' State Insurance- ESI): यह एक स्व-वित्तपोषित सामाजिक सुरक्षा योजना है जो बीमारी, मातृत्व, विकलांगता एवं बेरोजगारी के मामले में कर्मचारियों को चिकित्सा देखभाल और नकद लाभ प्रदान करती है। इसमें संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है जो एक निश्चित सीमा से कम आय अर्जित करते हैं।

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System- NPS): यह एक स्वैच्छिक, परिभाषित योगदान पेंशन योजना है जो व्यक्तियों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिये बचत करने की अनुमित देती है। यह असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों सिहत भारत के सभी नागरिकों के लिये उपलब्ध है। यह विविध निवेश विकल्पों और कर लाभों की पेशकश करती है।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (National Social Assistance Programme- NSAP):
   यह एक सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों से संबंधित वृद्ध जनों, विधवाओं, विकलांग जनों और प्राथमिक अर्जक की मृत्यु पर शोक संतप्त परिवारों को सहायता प्रदान करता है।

# सामाजिक सुरक्षा नीतियों और उनके कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे एवं चुनौतियाँ:

- पर्याप्त बजटीय आवंटन का अभाव: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि (National Social Security Fund) की स्थापना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिये महज 1,000 करोड़ रुपए के आरंभिक आवंटन के साथ की गई थी, जो कि 22,841 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित आवश्यकता से पर्याप्त कम था।
  - इससे पता चलता है कि सरकार ने अपने विकास एजेंडे के प्रमुख घटक के रूप में सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी है और समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त संसाधन आवंटित नहीं किये हैं।
- अकुशल निधि उपयोग और प्रबंधनः सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिये आवंटित धन का प्रभावी ढंग से या कुशलता से उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिये, CAG के ऑडिट से उजागर हुआ है कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना के बाद से इसमें जमा किये गए हुए 1,927 करोड़ रुपए का कोई उपयोग नहीं किया गया है।
  - इसी तरह, दिल्ली में निर्माण श्रिमकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये एकत्र किये गए उपकर (cess) का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया गया और लगभग 94% धन खर्च ही नहीं किया गया।
  - इन उदाहरणों से संकेत मिलता है कि निधि प्रबंधन और निगरानी प्रणालियों में अंतराल मौजूद हैं, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक धन की बर्बादी एवं न्यून उपयोग की स्थिति बनती है।

- भ्रष्टाचार और रिसाव: सामाजिक सुरक्षा नीतियों और उनके कार्यान्वयन से संबंधित एक अन्य चुनौती है भ्रष्टाचार और धन का रिसाव/लीकेज। हरियाणा का उदाहरण लें तो CAG ने पाया कि राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रत्यक्ष लाभ योजना में मृत लाभार्थियों के खातों में 98.96 करोड़ रुपए हस्तांतरित किये गए थे।
  - इससे पता चलता है कि लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा लाभ के वितरण तंत्र में व्यापक खामियाँ मौजूद हैं।
  - इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा निधि के आवंटन और वितरण में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद एवं राजनीतिक हस्तक्षेप के दृष्टांत भी प्राप्त होते हैं।
- अपर्याप्त कवरेज और लाभः भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अपर्याप्त कवरेज और लाभों की समस्या भी लगातार बनी रही है। उदाहरण के लिये, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं में केंद्र का योगदान वर्ष 2006 से 200 रुपए प्रति माह तक गतिहीन बना रहा है, जो दैनिक न्यूनतम वेतन से भी कम है।
  - इसके अलावा, कुछ योजनाओं के लिये पात्रता मानदंड अत्यंत प्रतिषेधात्मक हैं और कई पात्र लाभार्थियों को अपवर्जित कर देते हैं। उदाहरण के लिये, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम उन वृद्ध जनों पर केंद्रित है जिनके परिवार में कोई कार्यसक्षम अर्जंक नहीं है और वे 75 रुपए मासिक पेंशन अर्जित करने के पात्र हैं।
    - इससे ऐसे कई गरीब वृद्ध जन इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं, जिनके घर में भले कुछ आय अर्जक सदस्य हों, लेकिन फिर भी उन्हें आर्थिक कठिनाई एवं असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
- बजटीय कटौती: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के लिये बजटीय आवंटन में कमी करना सामाजिक कल्याण एवं ग्रामीण रोजगार सृजन के लिये प्राथमिकता के अभाव का संकेत देती है।
- प्रौद्योगिकी और 'डिजिटल डिवाइड': कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ पंजीकरण और लाभ के संवितरण के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित हो रही हैं। लेकिन आबादी का एक बड़ा हिस्सा, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक पहुँच की कमी का शिकार हो सकता है, जिससे एक डिजिटल डिवाइड पैदा होता है, जो इन कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बाधित करता है।
- अनौपचारिक श्रम क्षेत्रः भारत का लगभग 91% कार्यबल (लगभग 475 मिलियन लोग) अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है,

- जहाँ प्राय: रोजगार सुरक्षा, लाभ और औपचारिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुँच का अभाव पाया जाता है। भारत द्वारा कदम उठाए जा सकने वाले संभावित कदम:
- सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा (Universal Social Security): समय आ गया है कि भारत अपनी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं/तदर्थ उपायों को सुदृढ़ करे और अपने संपूर्ण श्रम कार्यबल को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। जहाँ रोजगार तेजी से मांग-आधारित बन रहे हैं और नौकरी पर रखने/निकालने की नीतियों का तीव्र प्रसार हो रहा है, भारत के कामगार रोजगार के मोर्चे पर दिनानुदिन असुरक्षित होते जा रहे हैं।
  - सामाजिक सुरक्षा की भावना प्रदान करने के साथ ही देश के विकास का लाभ सभी लोगों तक पहुँचाने के लिये नीति निर्माताओं को पारंपरिक आपूर्ति-पक्षीय आर्थिक सिद्धांतों का त्याग करना होगा और समतामूलक विकास को सक्षम करने वाली नीतियाँ अपनानी होगी।
- EPFO योगदान का विस्तार: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्रणाली में योगदान का विस्तार औपचारिक कामगारों के लिये सामाजिक सुरक्षा की वृद्धि कर सकता है। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों द्वारा ही निधि में योगदान किया जाना शामिल है।
  - अनौपचारिक कामगारों के लिये आंशिक योगदान: सार्थक आय वाले अनौपचारिक कामगार, चाहे वे स्व-रोजगार से संलग्न हों या अनौपचारिक उद्यमों में, आंशिक योगदान दे सकते हैं।
    - अनौपचारिक उद्यमों को औपचारिक बनने और योगदान करने के लिये प्रोत्साहित करना भी इस दृष्टिकोण का एक अंग हो सकता है।
- कमज़ोर कामगारों के लिये सरकारी सहायता: बेरोज्ञगारी, अल्प रोज्ञगार या कम कमाई के कारण योगदान करने में असमर्थ लोगों को सरकारी सब्सिडी या सामाजिक सहायता प्रदान करने से यह सुनिश्चित होगा कि सभी को बुनियादी सामाजिक सुरक्षा सहायता तक पहुँच प्राप्त हो।
- डिजिटलीकरण और ई-श्रम प्लेटफॉर्म (e-Shram):
   डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा सिस्टम में निवेश सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के पंजीकरण, सत्यापन, वितरण, निगरानी एवं मूल्यांकन को सुव्यवस्थित करता है और इस प्रकार दक्षता एवं पारदर्शिता में सधार करता है।
  - ई-श्रम प्लेटफॉर्म के विस्तार और डिजिटलीकरण प्रयासों ने लाखों कामगारों के नामांकन एवं विस्तारित बीमा कवरेज को सक्षम किया है।

- हालाँकि, पंजीकरण का बोझ केवल अनौपचारिक कामगारों पर ही नहीं होना चाहिये; इसमें नियोक्ताओं को शामिल करने से औपचारिकता को बढ़ावा मिल सकता है।
- नियोक्ताओं के लिये अनिवार्य सामाजिक सुरक्षाः कर्मचारियों के लिये उनके नियोक्ताओं द्वारा प्रवर्तित अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को लागू करने से कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों में औपचारिकता एवं जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
- अखिल भारतीय श्रम बल कार्ड ( Pan-India Labour Force Card ): एक राष्ट्रव्यापी श्रम बल कार्ड पेश करने से पंजीकरण प्रक्रिया सरल हो सकती है और निर्माण एवं गिग वर्कर क्षेत्रों से परे भी सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार हो सकता है।
- सफल योजनाओं का विस्तार करनाः कामगारों की व्यापक श्रेणी को कवर करने के लिये भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार योजना जैसी विभिन्न सफल योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है। इसमें बेहतर लाभ सुवाह्यता के लिये कुछ नियंत्रणों (जैसे कूलिंग-ऑफ अविध) पर पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ सकती है।
- विशिष्ट श्रमिक समूहों को संबोधित करनाः घरेलू कामगारों और प्रवासी कामगारों जैसे कमज़ोर कामगार समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। बच्चों की देखभाल जैसी सामाजिक सेवाओं के कवरेज का विस्तार और घरेलू कामगारों के लिये विभिन्न प्रयासों का आयोजन उन्हें अधिक स्थिरता प्रदान कर सकता है।
- मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ करनाः सरकार को मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ करने का भी प्रयास करना चाहिये। उदाहरण के लिये, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI) और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) आदि को बजटीय समर्थन तथा कवरेज के विस्तार के साथ सुदृढ़ किया जा सकता है।
- प्रशासिनक सरलीकरण: सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के प्रशासिनक ढाँचे को सरल बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये, असंगठित कामगारों के लिये मौजूदा सामाजिक सुरक्षा ढाँचा जिंटल हो गया है, जहाँ राज्य और केंद्र के बीच अधिकार के अतिव्यापी क्षेत्र पाए जाते हैं तथा प्लेटफॉर वर्कर, किसी असंगठित क्षेत्र के कामगार और किसी स्व-रोज्ञगारी के बीच अंतर की भ्रामक परिभाषाएँ उपयोग की जा रही हैं।
- जागरूकता बढ़ानाः सामाजिक सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये और अधिक उल्लेखनीय प्रयास किये जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

अधिकाधिक कामगार उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूक हों। स्व-रोजगार महिला सेवा संघ (SEWA) जैसे संगठन, जो शक्ति केंद्र (कार्यकर्ता सुविधा केंद्र) का संचालन करते हैं, उन्हें सरकार की सेवाओं एवं योजनाओं के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा अधिकारों के बारे में वृहत सूचना के प्रसार हेतु अभियान चलाने के लिये (विशेष रूप से महिलाओं के लिये) वित्तपोषित किया जा सकता है।

## भारत दूसरे देशों से क्या सीख सकता है?

- ब्राज़ील: ब्राज़ील में एक व्यापक और उदार सामाजिक सुरक्षा प्रणाली क्रियान्वित है जो 90% से अधिक आबादी को कवर करती है और विभिन्न परिस्थितियों में कामगारों एवं उनके परिवारों के लिये आय प्रतिस्थापन (income replacement) प्रदान करती है।
  - भारत अपनी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के कवरेज और दायरे का विस्तार करने के साथ-साथ अपनी वित्तीय स्थिरता एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिये सुधारों को लागू करने में ब्राजील के अनुभव से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है।
- जर्मनी: जर्मनी में एक सुविकसित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मौजूद है जो सामाजिक बीमा के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ कामगार और नियोक्ता ऐसी विभिन्न योजनाओं में योगदान करते हैं जो पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, बेरोजगारी लाभ, दीर्घकालिक देखभाल और पारिवारिक भत्ते प्रदान करते हैं।
  - भारत जर्मनी के सामाजिक बीमा मॉडल से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है, जिसे जनता द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और भरोसेमंद माना जाता है तथा यह कामगारों के लिये पर्याप्त सुरक्षा एवं प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- सिंगापुर: सिंगापुर में एक अनूठी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली क्रियान्वित है जो व्यक्तिगत बचत के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ कामगारों को अपनी आय का एक हिस्सा केंद्रीय भविष्य निधि में बचत करने की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग फिर सेवानिवृत्ति, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिये किया जा सकता है।
  - भारत व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और संपत्ति संचयन को बढ़ावा देने के साथ-साथ कामगारों को अपनी बचत का प्रबंधन करने के लिये लचीलापन एवं विकल्प प्रदान करने के सिंगापुर के दृष्टिकोण से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है।

#### निष्कर्षः

भारत में सामाजिक सुरक्षा के संबंध में ठोस नीति कार्यान्वयन, धन के उचित आवंटन, संसाधनों के पारदर्शी उपयोग और कुशल निरीक्षण तंत्रों की आवश्यकता है। इन मुद्दों को संबोधित किये बिना सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के इच्छित लाभार्थियों के समक्ष चुनौतियों एवं अपर्याप्त समर्थन की स्थिति बनी रहेगी। सरकार द्वारा वर्ष 2020 में प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security) विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिये (गिग अर्थव्यवस्था और अनौपचारिक क्षेत्रों से संबद्ध कामगारों सहित) सामाजिक सुरक्षा हेतु एक सांविधिक ढाँचा प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

## AI के नैतिक निहितार्थों का अन्वेषण

निर्णय प्रक्रिया में, विशेष रूप से शासन (governance) के मामले में, मानवों की सहायता के लिये मशीनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) का उपयोग दिनानुदिन बढ़ता ही जा रहा है। नतीजतन, कई देश अब AI विनियमन लागू कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियाँ और नीति निर्माता जटिल पैटर्न का विश्लेषण करने, भविष्य के परिदृश्यों का पूर्वानुमान लगाने और अधिक सूचना-संपन्न अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये AI-संचालित टूल्स का लाभ उठा रहे हैं।

हालाँकि, निर्णय लेने में AI के उपयोग के साथ कई चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। AI में इसके द्वारा लर्न किये गए डेटा या इसके क्रिएटर्स के दृष्टिकोण से प्रभावित अंतर्निहित पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप अनुचित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, जो शासन में AI का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में एक महत्त्वपूर्ण बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

## कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( AI ) क्या है ?

- परिचयः
  - AI किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट की उन कार्यों को कर सकने की क्षमता है जो आम तौर पर मानवों द्वारा किये जाते हैं, क्योंकि उनके लिये मानव बुद्धि एवं विवेक की आवश्यकता होती है।
    - हालाँकि ऐसा कोई AI नहीं है जो एक सामान्य मानव द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकें, लेकिन कुछ AI कुछ विशिष्ट कार्यों में मानवों की बराबरी कर सकते हैं।
- विशेषताएँ एवं घटकः
  - AI की आदर्श विशेषता है इसकी तर्कसंगतता और ऐसी कार्रवाई कर सकने की क्षमता जिससे किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर प्राप्त होता है। मशीन लर्निंग (Machine Learning- ML) AI का एक सबसेट या उपसमृह है।

- डीप लर्निंग तकनीक (Deep Learning- DL)
  टेक्स्ट, इमेज या वीडियो जैसे बड़ी मात्रा में असंरचित
  डेटा के अवशोषण के माध्यम से इस स्वचालित लर्निंग
  को सक्षम बनाती है।
- विभिन्न श्रेणियाँ:
  - वीक AI/ नैरो AI
  - स्ट्रॉन्ग AI

## AI कुछ दार्शनिक विचारों से कैसे संबंधित है?

- कांटवादी नैतिक दर्शनः
  - इमैनुएल कांट (Immanuel Kant) का नैतिक दर्शन तीन प्रमुख सिद्धांतों पर बल देता है:
    - स्वायत्तता (Autonomy)—स्वयं का निर्णय ले सकने की क्षमता,
    - तर्कसंगतता (Rationality)—विकल्प के चयन के लिये तर्क एवं कारण का उपयोग करना, और
    - नैतिक कर्तव्य (Moral Duty)—नैतिक दायित्वों का पालन करना।
  - शासन में AI का अनुप्रयोग: निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को AI प्रणालियों को सौंपने का कार्य सूक्ष्म नैतिक तर्क की क्षमता को नष्ट करने का जोखिम रखता है। मानवों के बजाय मशीनों को निर्णयन का कार्य सौंपना कांटवादी नैतिकता के महत्त्वपूर्ण विचारों को कमजोर कर सकता है।
- आबद्ध नैतिकताः
  - वर्ष 2022 में दो शोधकर्त्ताओं ने डेल्फ़ी (Delphi)—जो मानव नैतिक निर्णयों के मॉडलिंग के लिये एक प्रोटोटाइप है, का उपयोग कर आबद्ध नैतिकता (Bounded Ethicality) पर शोध किया। उन्होंने पाया कि डेल्फ़ी जैसी मशीनें अनैतिक रूप से कार्य कर सकती हैं यदि पिरदृश्य इस तरह से तैयार किया गया हो जो नैतिकता को स्वयं कार्यकरण से पृथक रखता हो।
    - इससे पता चलता है कि आबद्ध नैतिकता का मशीनी संस्करण वैसे ही कार्य करता है जैसे मानव कई बार बिना ग्लानि अनुभव किये और प्राय: औचित्य (justification) का उपयोग करते हुए अपनी नैतिकता के विरुद्ध कार्य करते हैं।

नोट: आबद्ध नैतिकता लोगों की नैतिक विकल्प चुनने की क्षमता है जो आंतरिक एवं बाह्य दबावों के कारण प्राय: सीमित या प्रतिबंधित होती है।

#### असिमोव के 'रोबोटिक्स के तीन नियम' के समानांतर:

असिमोव (Issac Asimov) के 'रोबोटिक्स के तीन नियम' (Three Laws of Robotics) रोबोटों को नैतिक रूप से व्यवहार करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये प्रस्तुत किये गए थे। हालाँकि, असिमोव के काल्पनिक परिदृश्यों में इन नियमों के परिणामस्वरूप प्राय: अप्रत्याशित और विरोधाभासी परिणाम सामने आये, जो नैतिक रूप से कार्य करने के लिये डिजाइन की गई मशीनों में भी नैतिक निर्णय लेने की जटिलता को प्रदर्शित कर रहे थे।

#### कांट और असिमोव का अंतर्संबंध:

तर्कसंगत नैतिक एजेंसी (Rational Moral Agency) पर कांट का जोर और रोबोट के लिये नैतिक दिशानिर्देशों की असिमोव की काल्पनिक खोज आपस में संबद्ध हैं। यह संयोजन उन नैतिक कठिनाइयों और जटिलताओं को प्रकट करने का कार्य करता है जो तब उत्पन्न होती हैं जब मानवीय जिम्मेदारियाँ और कार्य कृत्रिम संस्थाओं को सौंप दिये जाते हैं।

#### असिमोव के नियम:

- प्रथम नियमः एक रोबोट किसी मानव (human being)
   को आघात नहीं पहुँचाए अथवा अक्रियता के माध्यम से किसी
   मानव को आघात पहुँचने की अनुमित नहीं दे;
- द्वितीय नियमः एक रोबोट को मानवों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिये, सिवाय इसके कि ऐसे आदेश प्रथम नियम के साथ टकराव की स्थिति में न हों;
- तृतीय नियम: एक रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा तब तक करनी चाहिये जब तक कि ऐसी रक्षा प्रथम या द्वितीय नियम के साथ टकराव की स्थिति में न हो।
- असिमोव ने बाद में एक और नियम जोड़ा, जिसे चतुर्थ या शून्यवाँ (zeroth) नियम कहा जाता है, जो अन्य तीनों नियमों पर अधिभावी है। इसमें कहा गया है कि ''एक रोबोट मानवता (Humanity) को आघात नहीं पहुँचाए अथवा अक्रियता से मानवता को आघात पहुँचने की अनुमति नहीं दे।''

## AI से संबद्ध नैतिक चुनौतियाँ

रोज़गार विस्थापन और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: AI द्वारा संचालित स्वचालन (Automation) से कुछ उद्योगों में रोजगार विस्थापन की स्थिति बन सकती है। बेरोजगारी और आय असमानता सहित परिणामी सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, इन परिणामों को संबोधित कर सकने में सरकारों और संगठनों की जिम्मेदारियों के बारे में नैतिक प्रश्न खड़ा करता है।

- नैतिक तर्क के लिये खतराः जब परंपरागत रूप से मनुष्यों द्वारा लिये जाने वाले निर्णय एल्गोरिदम और AI को सौंप दिए जाते हैं तो इससे जोखिम उत्पन्न होता है कि नैतिक तर्क की क्षमता कमज़ोर पड़ेगी। इसका तात्पर्य यह है कि केवल AI पर निर्भर रहने से विचारशील नैतिक मनन में संलग्न होने की मानवीय क्षमता कम हो सकती है।
- नैतिकता को संहिताबब्द करने की चुनौतियाँ: नैतिकता को रोबोट या AI-संचालित सरकारी निर्णयों के लिये स्पष्ट नियमों में रूपांतिरत करने का प्रयास एक चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में उजागर किया गया है। मानवीय नैतिकताएँ अत्यंत जटिल प्रकृति रखती हैं और इन जटिल विचारों को कंप्यूटर निर्देशों में सुसंगत करना कठिन है।
- जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव: AI प्रणाली में कुछ गड़बड़ी होने पर जिम्मेदारी का निर्धारण करना कठिन सिद्ध हो सकता है, विशेष रूप से जब इसमें जटिल एल्गोरिदम और निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल हो।
  - कई AI प्रणालियों की आंतिरक कार्यप्रणाली प्राय: अपारदर्शी होती है, जिससे यह समझना कठिन हो जाता है कि निर्णय किस प्रकार लिये जा रहे हैं। पारदर्शिता की इस कमी से उपयोगकर्त्ताओं के बीच अविश्वास और संदेह उत्पन्न हो सकता है।
- सूचना-संपन्न सहमितः AI सिस्टम का उपयोग संलग्न व्यक्तियों की जानकारी या सहमित के बिना व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिये किया जा सकता है। इससे सूचना-संपन्न सहमित (informed consent) और निजता के अधिकार (right to privacy) के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं।

# क्या मशीनें या AI नैतिक निर्णय-निर्माता / कृत्रिम नैतिक एजेंट ( AMAs ) की स्थिति प्राप्त कर सकती हैं ?

- कुछ शोध दावा करते हैं कि मशीनें, एक तरह से, नैतिक दृष्टि से अपने कार्यों के लिये जिम्मेदार ठहराई जा सकती हैं। डार्टमाउथ कॉलेज के प्राध्यापक जेम्स मूर (James Moore) ने नैतिकता से संबंधित मशीन एजेंटों को चार समूहों में वर्गीकृत किया है:
  - नैतिक प्रभाव एजेंट (Ethical Impact Agents): ये मशीनें रोबोट जॉकी (robot jockeys) की तरह स्वयं नैतिक विकल्प का चयन नहीं करती हैं, लेकिन उनके कार्यों का नैतिक प्रभाव उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिये, वे किसी खेल (sport) के तरीके को बदल सकती हैं।

- अंतर्निहित नैतिक एजेंट (Implicit Ethical Agents): इन मशीनों में विमानों के ऑटोपायलट की तरह अंतर्निहित सुरक्षा या नैतिक नियम शामिल होते हैं। वे, सिक्रिय रूप से यह तय किये बिना कि नैतिक क्या है, निर्धारित नियमों का पालन करते हैं।
- स्पष्ट नैतिक एजेंट (Explicit Ethical Agents): ये निश्चित नियमों से परे जाते हैं। ये विकल्पों के नैतिक मूल्य का पता लगाने के लिये विशिष्ट तरीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिये, ऐसी प्रणालियाँ जो धन निवेश को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ संतुलित करती हैं।
- पूर्ण नैतिक एजेंट (Full Ethical Agents): ये मशीनें नैतिक निर्णय ले सकती हैं और उन्हें समझा सकती हैं। अच्छी नैतिक समझ वाले वयस्क और उन्नत AI इस श्रेणी में आते हैं।

## ज़िम्मेदार AI के नैतिक विचार



## निष्कर्ष

वर्तमान में कई मशीनी पूर्वानुमान निर्णयन प्रक्रिया में मदद करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी मानव द्वारा ही लिया जाता है। भविष्य में सरकारें मशीनों को सरल निर्णय लेने की अनुमित दे सकती हैं। लेकिन तब क्या किया जाएगा यदि मशीन द्वारा लिया गया निर्णय गलत या अनैतिक हो? कौन उत्तरदायी होगा? AI प्रणाली उत्तरदायी होगी या वह व्यक्ति/संस्था जिसने AI का निर्माण किया या वह व्यक्ति जिसने इसके डेटा का उपयोग किया?

ये ऐसे कुछ कठिन प्रश्न हैं जिनका सामना विश्व को करना पड़ेगा। मशीनों में नैतिकता का अधिरोपण कठिन है और हर किसी को आगे बढ़ने में सतर्कता बरतनी होगी।

# भारत और अफ्रीकी स्थिरता संबंधी चुनौतियाँ

इन दिनों अफ्रीका किसी दूरवासी जमींदार की तरह ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका), G-20 और संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) जैसे विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर अपनी मांगों को प्रकट कर रहा है। 54 देशों वाले इस महाद्वीप (जिसमें 'ग्लोबल साउथ' के लगभग एक-चौथाई देश भी शामिल हैं) का दक्षिण अफ्रीका द्वारा ब्रिक्स और G-20 जैसे मंचों पर प्रतिनिधित्व किया जा रहा है जिसने अफ्रीका महाद्वीप के लिये लगभग अप्रतिनिधिक प्रतिनिधि (an atypical representative) की हैसियत प्राप्त कर ली है।

# अफ्रीकी देशों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ और व्यवधानः

- कुशासनः कई अफ्रीकी देश कुशासन, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और जवाबदेही की कमी जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं। ये समस्याएँ राज्य संस्थानों की वैधता एवं प्रभावशीलता को कमज़ोर करती हैं और जनता में असंतोष एवं अविश्वास की भावना पैदा करती हैं।
- अनियोजित विकास: कई अफ्रीकी देश तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, पर्यावरण क्षरण और संसाधनों की कमी की चुनौतियों का सामना करते हैं। इन मुद्दों को सतत विकास एवं सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिये सतर्क योजना-निर्माण और प्रबंधन की आवश्यकता है।
- शासक जनजातियों का प्रभुत्वः कई अफ्रीकी देश जातीय और जनजातीय विविधता की विशेषता रखते हैं, जो समृद्धि और बहुलवाद का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन ये संघर्ष और हिंसा का कारण भी बनते हैं। कुछ शासक जनजातियाँ या कुलीन वर्ग सत्ता और संसाधनों पर एकाधिकार जमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अन्य समूहों को हाशिए की ओर धकेल देते हैं या उनका दमन करते हैं और इस प्रकार आक्रोश एवं विद्रोह को बढ़ावा देते हैं।
  - अंतर-जनजातीय संघर्षः कई अफ्रीकी देशों में भूमि, जल, मवेशी या अन्य संसाधनों को लेकर विभिन्न जनजातियों या समुदायों के बीच प्रायः झड़पें होती रहती हैं। जलवायु परिवर्तन, सूखा, अकाल या विस्थापन जैसे परिदृश्यों के कारण ये संघर्ष और बढ जाते हैं।
    - इनके परिणामस्वरूप जीवन की हानि, संपत्ति के विनाश
       और मानवीय संकट की स्थिति उत्पन्न होती है।

- आतंकवादः कई अफ्रीकी देश इस्लामी चरमपंथ और आतंकवाद (जो प्रायः अल-क़ायदा या ईसीस जैसे वैश्विक नेटवर्क से जुड़े होते हैं) के खतरे से प्रभावित हैं। ये चरमपंथी समूह स्थानीय आबादी की शिकायतों एवं कमजोरियों का लाभ उठाते हैं, लड़ाकों की भर्ती करते हैं, हमले करते हैं और क्षेत्र की सुरक्षा एवं स्थिरता को प्रभावित करते हैं।
- जलवायु परिवर्तनः कई अफ्रीकी देश बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़, सूखा, मरुस्थलीकरण और बीमारियों जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं। ये प्रभाव लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रत्यास्थता के लिये और पारिस्थितिक तंत्रों के लिये गंभीर चुनौतियाँ पैदा करते हैं।
- अनियंत्रित खाद्य मुद्रास्फीतिः कई अफ्रीकी देश उच्च खाद्य कीमतों की समस्या का सामना कर रहे हैं, जो आपूर्ति झटकों, मांग दबाव, बाजार विकृतियों, सट्टेबाजी या मुद्रा मूल्यहास जैसे विभिन्न कारकों से प्रेरित होती हैं। ये कारक लाखों लोगों, विशेषकर गरीबों और कमजोर तबकों के लिये क्रय शक्ति और खाद्य तक पहुँच को कम करते हैं।
- शहरीकरण और युवा बेरोज़गारी: कई अफ्रीकी देशों में तीव्र शहरीकरण हो रहा है, जो प्राय: अनियोजित और अप्रबंधित है। इससे मिलन बस्तियों, भीड़भाड़, प्रदूषण, अपराध और सामाजिक अपवर्जन जैसे परिदृश्य का उभार हो रहा है।
- इसके अलावा, कई अफ्रीकी देशों में एक बड़ी और वृद्धिशील युवा आबादी पाई जाती है जो बेरोजगारी, अल्प-रोजगार या अनौपचारिक रोजगार की उच्च दर का सामना कर रही है। ये स्थितियाँ हताशा, निराशा और सामाजिक अशांति की संभावना उत्पन्न करती हैं।
- बाह्य हस्तक्षेप: उग्रवाद पर अंकुश के लिये फ्राँस, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस (वैगनर समूह) के सैन्य हस्तक्षेप से उजागर हुआ है कि वे प्राय: स्थिति को और बिगाड़ते ही हैं। इन हस्तक्षेपों की अपनी लागत भी है, जैसे कि अपने आर्थिक हितों (उदाहरण के लिये नाइजर में यूरेनियम, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सोना और लीबिया में तेल) की रक्षा के लिये तानाशाही को सत्ता में बनाए रखना।
- सैन्य जनरलों की वापसी: पिछले दशक में मिस्र, बुर्किना फासो, माली और नाइजर जैसे देशों में सैन्य नेताओं ने सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया है। इधर दूसरी ओर, लीबिया और सूडान में सशस्त्र बल दो पक्षों में बंट गए हैं और नियंत्रण के लिये प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।

- क्षेत्रीय और महाद्वीपीय गितशीलताः क्षेत्रीय संगठन स्थिरता बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, जब सदस्य देशों में स्वयं सैन्य सरकारें हों तो लोकतांत्रिक मानदंडों और स्थिरता को लागू करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
  - उदाहरण के लिये, हाल ही में जब पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय (Economic Community of West African States- ECOWAS) ने नाइजर की सैन्य सरकार (junta) के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी तो सैन्य सरकारों द्वारा संचालित दो सदस्य राज्यों- माली और बुर्किना फासो द्वारा इसका विरोध किया गया।
- चीन की बदलती भूमिका: अफ्रीका में चीन के बड़े निवेश ने महाद्वीप की आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, चीन को कच्चे माल के निर्यात पर अफ्रीका की भारी निर्भरता ने इसे चीन की आर्थिक प्राथमिकताओं में किसी भी बदलाव के प्रति संवेदनशील बना दिया है। चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी और उसके फोकस शिफ्ट के साथ कमोडिटी निर्यात पर अत्यधिक निर्भर अफ्रीकी देशों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड सकता है।
  - ऋण संबंधी चिंताएँ: यद्यपि चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) ने कई अफ्रीकी देशों में बुनियादी ढाँचे का विकास किया है, इसने कुछ देशों के लिये ऋण के उच्च स्तर का निर्माण भी किया है।
- भू-राजनीतिक तनावः अफ्रीका में विभिन्न वैश्विक शक्तियों की संलग्नता के ऐतिहासिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक आयाम हैं। फ्राँस और ब्रिटेन जैसी पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के साथ-साथ अमेरिका के भी इस महाद्वीप से आर्थिक हित और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। इन शक्तियों के बीच भू-राजनीतिक तनाव अफ्रीका की स्थिरता और विकास को प्रभावित कर सकता है।
- आर्थिक चुनौतियाँ: यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक मंदी अफ्रीका के साथ संलग्नता की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है। इससे विकास सहायता, निवेश और व्यापार संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
  - अफ्रीकी तटों से अवैध प्रवासन को रोकने पर यूरोप के विशेष ध्यान ने अफ्रीकी देशों के साथ उसकी संलग्नता को प्रभावित किया है। हालाँकि प्रवासन की समस्या को संबोधित करना महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इस मुद्दे पर अत्यधिक संकीर्ण दृष्टिकोण व्यापक विकास और स्थिरता संबंधी चिंताओं को प्रभावित कर सकता है।

#### अफ्रीका में अशांति और अस्थिरता का भारत पर प्रभाव:

- आर्थिक प्रभावः भारत के अफ्रीका के साथ महत्त्वपूर्ण व्यापार और निवेश संबंध हैं, जो महाद्वीप में अस्थिरता और असुरक्षा से प्रभावित होते हैं।
  - वर्ष 2022-23 में भारत-अफ्रीका व्यापार 98 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया और भारत अफ्रीका में पाँचवाँ सबसे बड़ा निवेशक है।
  - भारत अफ्रीका में विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये रियायती ऋण सुविधा भी प्रदान करता है; इसने 12.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का रियायती ऋण प्रदान किया है।
  - भारत ने वर्ष 2015 से अब तक 197 परियोजनाओं का कार्य पूरा किया है और 42,000 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की है।
  - सुरक्षा प्रभाव: अफ्रीका में, विशेष रूप से 'हॉर्न ऑफ अफ्रीका' क्षेत्र में (जो एक आवश्यक शिपिंग लेन है और हिंद महासागर को स्वेज नहर से जोड़ता है) शांति और स्थिरता बनाये रखने से भारत के रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं।
    - भारत अफ्रीका में शांति स्थापना मिशनों और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भागीदारी रखता है, साथ ही अफ्रीकी सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण भी प्रदान करता है।
    - अफ्रीका में अशांति भारत के सुरक्षा हितों और उद्देश्यों के लिये खतरा पैदा करती है, क्योंिक वह आतंकवाद, समुद्री डकैती, संगठित अपराध और मानव तस्करी के लिये प्रजनन आधार का निर्माण करती है।



राजनियक प्रभावः भारत की अफ्रीका के साथ दीर्घकालिक साझेदारी रही है, जो परस्पर सम्मान, एकजुटता और सहयोग पर आधारित है। भारत आत्मिनर्भरता, लोकतंत्र और विकास की अफ्रीकी देशों की आकांक्षाओं का समर्थन करता है।

- भारत-अफ्रीका फोरम सिमट (IAFS), अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और राष्ट्रमंडल (Commonwealth) जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से भारत अफ्रीका के साथ संलग्नता रखता है।
- अफ्रीका में अशांति अफ्रीकी संघ (African Union-AU) और अन्य क्षेत्रीय संगठनों की विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता को कमजोर करती है।
  - वे अफ्रीकी देशों के बीच विभाजन और तनाव भी पैदा करते हैं तथा चीन, रूस, फ्राँस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे बाहरी तत्वों से और अधिक हस्तक्षेप को आमंत्रित करते हैं।
- मानवीय प्रभावः अफ्रीका में लगभग 30 लाख भारतीय आप्रवासी निवास करते हैं जो प्रायः व्यापार, वाणिज्य और पेशेवर सेवाओं से संलग्न हैं।
  - भारत संघर्षों, आपदाओं या महामारी से प्रभावित अफ्रीकी देशों को खाद्य, दवा, उपकरण और कर्मियों के रूप में मानवीय सहायता भी प्रदान करता है।

## भारत अफ्रीका की मदद करने के लिये अपनी स्थिति का लाभ कैसे उठा सकता है ?

- राजनीतिक समर्थनः भारत शांति, लोकतंत्र और विकास की तलाश करते अफ्रीकी देशों का समर्थन करने के लिये अपने राजनियक प्रभाव एवं सद्भावना का उपयोग कर सकता है।
  - भारत संयुक्त राष्ट्र, G-20 और विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे वैश्विक मंचों पर अफ्रीकी आवाज और हितों की वकालत कर सकता है।
  - भारत अफ्रीकी संघ (AU) और इसकी पहलों—जैसे अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (African Continental Free Trade Area- AfCFTA) और अफ्रीकी शांति एवं सुरक्षा संरचना (African Peace and Security Architecture-APSA), का समर्थन कर अफ्रीकी देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को बढावा दे सकता है।
- आर्थिक साझेदारी: भारत अधिक बाजार पहुँच, तरजीही टैरिफ (preferential tariffs) और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान कर अफ्रीका के साथ अपने व्यापार और निवेश संबंधों को संवृद्ध कर सकता है।
  - भारत और अधिक रियायती ऋण, अनुदान एवं तकनीकी सहयोग की पेशकश कर अफ्रीका को अपनी विकास सहायता में वृद्धि कर सकता है।

- भारत कृषि, ग्रामीण विकास, सूक्ष्म वित्त, लघु एवं मध्यम उद्यम और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में अपने सर्वोत्तम अभ्यासों एवं अनुभवों को अफ्रीका के साथ साझा कर सकता है।
- भारत अफ्रीका के लिये लिक्षित निवेश और प्रासंगिक एवं उपयुक्त भारतीय नवाचारों [जैसे JAM ट्रिनिटी (जन धन-आधार- मोबाइल), DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण), UPI (Unified Payments Interface), आकांक्षी जिला कार्यक्रम आदि] जैसे बल गुणकों की पेशकश कर सकता है।
- सुरक्षा सहयोगः अफ्रीकी सुरक्षा बलों को अधिक प्रशिक्षण,
   उपकरण और खुिफया जानकारी प्रदान करने के रूप में भारत
   अफ्रीका के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ कर सकता है।
  - भारत और अधिक संख्या में सैनिकों, विशेषज्ञों एवं संसाधनों की तैनाती करने के रूप में अफ्रीका में क्रियान्वित शांति मिशनों और अभियानों में और अधिक योगदान कर सकता है।
  - भारत आतंकवाद, समुद्री डकैती, संगठित अपराध और मानव तस्करी जैसे साझा खतरों का मुक्राबला करने के विषय में भी अफ्रीका के साथ सहयोग कर सकता है।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोगः भारत अफ्रीका में अधिकाधिक वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के रूप में अफ्रीका के साथ अपने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग को बढावा दे सकता है।
  - भारत अफ्रीकी चुनौतियों और अवसरों के लिये वहनीय/ किफायती एवं उचित समाधान प्रदान करने के रूप में अफ्रीका में और अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एवं अनुकूलन की सुविधा भी प्रदान कर सकता है।
  - भारत संपूर्ण अफ्रीका में सहयोग का निर्माण करने के लिये स्टार्ट-अप्स, इंक्यूबेटर्स और हब्स को प्रोत्साहित करने के रूप में अफ्रीका के साथ और अधिक नवाचार आदान-प्रदान एवं सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।

## भारत के राजकोषीय संघवाद पर पुनर्विचार

भारतीय संविधान को एक 'होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन' (holding together federation) के रूप में समझा जा सकता है जो एकजुटता (unity) की ओर कुछ झुकाव रखता है। यह व्यवस्था उन कारकों को संबोधित करने के लिये अपनाई गई जो स्वतंत्रता से पहले देश के लिये विखंडनकारी थे। पिछले 73 वर्षों में यह अत्यंत सुदृढ़ और अनुकूलनीय सिद्ध हुआ है। हालाँकि, वर्तमान समय

में इस पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच धन एवं संसाधनों को किस प्रकार साझा किया जाए। ऐसा इसलिये है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बदल रही है और उसकी आवश्यकताएँ अब अलग हैं।

#### राजकोषीय संघवादः

- राजकोषीय संघवाद (Fiscal federalism) पद यह प्रकट करता है कि किसी देश में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियों और उत्तरदायित्वों को कैसे विभाजित किया जाता है।
- इसमें इस तरह के प्रश्न शामिल हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा कौन-से कार्य एवं सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिये, राजस्व कैसे बढ़ाया जाना चाहिये एवं उनकी साझेदारी कैसे की जाए और दक्षता एवं समता सुनिश्चित करने के लिये हस्तांतरण या अनुदान कैसे आवंटित किया जाए।

## राजकोषीय संघवाद की स्थापना के लिये प्रमुख उपाय:

- कराधान और व्यय शक्तियों की संवैधानिक व्यवस्थाः संविधान सरकार के विभिन्न स्तरों के लिये कराधान और व्यय की शक्तियों एवं कार्यों को परिभाषित करता है, जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट सीमांकन किया गया है।
- वित्त आयोग: वित्त आयोग (Finance Commission-FC) एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 280) है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा करने के लिये उत्तरदायी है। यह राज्यों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने, राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने और राजकोषीय मामलों में स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय भी सुझाता है।
- वस्तु एवं सेवा करः वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य करों को प्रतिस्थापित करता है। इसका प्रशासन जीएसटी परिषद (GST Council) द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- सहायता अनुदान प्रणाली: सहायता अनुदान प्रणाली (Grants-in-Aid System) (अनुच्छेद 275) में विशिष्ट उद्देश्यों या योजनाओं के लिये केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को धन का विवेकाधीन हस्तांतरण शामिल है। इन अनुदानों का उद्देश्य राज्यों के संसाधनों को पूरकता प्रदान करना और क्षेत्रीय असमानताओं एवं विकास संबंधी अंतरालों को संबोधित करना है।

# भारत के राजकोषीय संघवाद पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है?

- नियोजित अर्थव्यवस्था से बाज़ार-मध्यस्थता प्रणाली की ओर संक्रमणः एक नियोजित अर्थव्यवस्था (Planned Economy) से बाज़ार-मध्यस्थ प्रणाली (Market-Mediated System) की ओर संक्रमण ने केंद्रीकृत निर्णयन से अधिक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ने को दर्ज किया है जहाँ बाज़ार की शक्तियाँ अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस परिवर्तन का संसाधन आवंटन, निवेश और समप्र आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ा है। इससे राज्यों को आर्थिक निर्णयन के मामले में अधिक स्वायत्तता प्राप्त हुई है।
- 73वाँ और 74वाँ संवैधानिक संशोधनः भारत में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासी निकायों के रूप में पंचायतों और नगर निकायों की स्थापना हुई। इस विकेंद्रीकरण का उद्देश्य स्थानीय शासन को बढ़ाना, जमीनी स्तर के संस्थानों को सशक्त बनाना और विकास नीतियों का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना था।
  - हालाँकि इन संशोधनों ने राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों को धन का पर्याप्त और पूर्वानुमानित हस्तांतरण सुनिश्चित नहीं किया है।
    - राज्य सरकारें प्राय: स्थानीय निकायों के लिये सहायता अनुदान पर रोक या विलंबन के लिये अपनी विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करती हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता और जवाबदेही प्रभावित होती है।
  - योजना आयोग को समाप्त करना और नीति आयोग की स्थापनाः वर्ष 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग (National Institution for Transforming India- NITI Aayog) से प्रतिस्थापित कर दिया गया। यह परिवर्तन टॉप-डाउन नियोजन दृष्टिकोण से अधिक सहयोगात्मक एवं लचीले नीति-निर्माण प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। नीति आयोग को सहकारी संघवाद (cooperative federalism) को बढ़ावा देते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह प्रदान करने की भूमिका सौंपी गई है।
    - योजना आयोग के विपरीत, नीति आयोग का केंद्र-राज्य हस्तांतरण में कोई दखल नहीं है, जो राज्यों को योजना अनुदान के साथ सुधार की ओर आगे बढने के लिये प्रेरित कर सकता।
  - राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM)
    अधिनियम, 2003: राजकोषीय घाटे को कम करने और
    सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने के माध्यम से राजकोषीय

अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये FRBM अधिनियम पेश किया गया था। यह अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर लागू होता है, जिससे एक अधिक उत्तरदायी राजकोषीय दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है। हालाँकि, इसके कार्यान्वयन से कभी-कभी राजकोषीय विवेक के साथ विकास-उन्मुख व्यय को संतुलित करने की चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) अधिनियम और जीएसटी परिषदः वर्ष 2017 में लाया गया जीएसटी अधिनियम एक महत्त्वपूर्ण कर सुधार (tax reform) को चिह्नित करता है। इसने अप्रत्यक्ष करों के जिटल जाल को एक एकीकृत कर ढाँचे से प्रतिस्थापित किया, कारोबार सुगमता (ease of doing business) को बढ़ावा दिया और 'टैक्स कैस्केडिंग' (tax cascading) को कम किया। जीएसटी लागू होने से राज्यों की कर संग्रह शक्तियाँ कम हो गईं।
  - कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि जीएसटी परिषद के निर्णय राजनीतिक विचारों से प्रभावित होते हैं, न कि आर्थिक तर्कसंगतता से।
    - उनकी यह भी शिकायत रही है कि उनके विचारों को अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता और बहुमत से उनके विचारों को दबा दिया जाता है।
- उपकर और अधिभार का उपयोगः विशिष्ट उद्देश्यों के लिये राजस्व जुटाने हेतु उपकर (cess) और अधिभार (surcharge) का उपयोग एक आम स्थिति बन गई है। हालाँकि, यह विभाज्य पूल (divisible pool) के आकार को प्रभावित कर सकता है, जिससे राज्यों के बीच वितरण के लिये उपलब्ध धनराशि पर असर पड़ सकता है। इससे संसाधन आवंटन और वित्तीय स्वायत्तता में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है।
  - उदाहरण के लिये, जीएसटी क्षितपूर्ति उपकर (GST compensation cess) अपर्याप्त और असामियक भुगतान के कारण प्राय: विवादों से रहा है।
- केंद्रीय विधानः केंद्रीय विधान के कई खंड, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और कई अन्य अधिनियम राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं।
- उभरते राजनीतिक विमर्शः भारत अब स्वातंत्र्योत्तर काल का एकदलीय शासन नहीं रह गया है। यह वास्तव में बहुदलीय व्यवस्था में परिणत हो चुका है। राजनीति की प्रकृति, समाज, प्रौद्योगिकी, जनसांख्यिकीय संरचना और विकास प्रतिमान महत्त्वपूर्ण रूप से बदल गए हैं। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप,

भारत का राजनीतिक क्षेत्र अधिक प्रतिस्पर्द्धी और गतिशील हो गया है जिससे नए वित्तीय आयाम खुले हैं।

# भारत अपने राजकोषीय संघवाद को कैसे सुदृढ़ कर सकता है?

- समता-उन्मुख अंतर-सरकारी हस्तांतरणः केंद्र सरकार से राज्यों को आवंटित धनराशि जैसे अंतर-सरकारी हस्तांतरण को इस तरह से अभिकल्पित किया जाना चाहिये जो समता को बढावा दे।
  - क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन: क्षैतिज असंतुलन (विभिन्न राज्यों के बीच असमानताएँ) और ऊर्ध्वाधर असंतुलन (केंद्र और राज्य सरकारों के बीच), दोनों को ही संबोधित करना अत्यंत आवश्यक है। हस्तांतरण के फ़ॉर्मूले को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाना चाहिये कि यह दोनों प्रकार के असंतुलन पर विचार करे ताकि संसाधनों का उचित आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।
- प्रदर्शन-आधारित अनुदानः प्रदर्शन-आधारित अनुदान (Performance-Based Grants) शुरू किये जाने चाहिये जो स्वास्थ्य और शिक्षा संकेतकों में सुधार जैसे कुछ विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये राज्यों को पुरस्कृत करते हों। यह राज्यों को प्रभावी शासन और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- संवैधानिक सुधार: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के विभाजन को पुनर्परिभाषित करने के लिये अनुच्छेद 246 और सातवीं अनुसूची पर पुनर्विचार करना प्रासंगिक होगा। इससे यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि प्रत्येक स्तर पर कौन-से कार्य किये जाने चाहिये; इससे भ्रम कम होगा और दक्षता बढेगी।
- स्थानीय सरकारों को सशक्त बनानाः सरकार के इस तीसरे स्तर को पर्याप्त संसाधन, कार्य उत्तरदायित्व और स्वायत्तता प्रदान कर सशक्त बनाया जाना चाहिये। इसमेंउत्तरदायित्वों और वित्त के लिये एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करना शामिल हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि स्थानीय निकायों के पास ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो उनके समुदायों को प्रभावित करते हैं।
- सार्वभौमिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली: एक मानकीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली लागू की जानी चाहिये जो सरकार के सभी स्तरों को दायरे में लेती हो। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल वित्तीय प्रबंधन बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
- ऑफ-बजट उधारी की समीक्षा करनाः यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी वित्तीय लेनदेन बजट में शामिल हैं, ऑफ-बजट उधारी (Off-Budget Borrowing) के मुद्दे को

संबोधित किया जाना चाहिये। इससे राजकोषीय प्रबंधन में प्रच्छन्न देनदारियों (hidden liabilities) पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढेगी।

- विकास संकेतकों का अभिसरणः धन के आवंटन में प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक (HDI) जैसे आर्थिक एवं सामाजिक संकेतकों के संयोजन का उपयोग किया जाना चाहिये। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा कि राज्य न केवल आर्थिक रूप से विकसित होंगे बल्कि अपने नागरिकों के समग्र कल्याण में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM)
   अधिनियमः केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिये FRBM
   अधिनियम के प्रावधानों को संरेखित किया जाना चाहिये तािक वे
   अपनी विशिष्ट राजकोषीय स्थितियों को समायोजित करते हुए
   राजकोषीय अनुशासन बनाए रखें।
- कर शक्तियों का हस्तांतरणः राज्यों को कराधान पर अधिक लचीलापन और नियंत्रण प्रदान किया जाना चाहिये, जो उन्हें उनकी स्थानीय आर्थिक स्थितियों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम बनाएगा।
- सहकारी संघवादः सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा दिया जाए जहाँ केंद्र और राज्य सरकारें उन नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में सहयोग करेंगी जो समग्र रूप से पूरे देश को लाभ पहुँचाएँगी।
- नियमित समीक्षा और संवादः राजकोषीय मुद्दों, नीतिगत चुनौतियों और राजकोषीय संघवाद ढाँचे में संभावित सुधारों पर चर्चा करने के लिये केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच नियमित समीक्षा और संवाद के तंत्र स्थापित किये जाने चाहिये।

# हिमालय की पारिस्थितिकी चुनौतियाँ

एशिया के मध्य में स्थित हिमालय पर्वत शृंखला, जिसे प्राय: 'विश्व की छत' (Roof of the World) भी कहा जाता है, सिदयों से अपनी अद्भुत सुंदरता और आकर्षण से मानव कल्पना को लुभाती रही है।

हालाँकि, इसके शांत मुखौटे के पीछे बढ़ती पर्यावरणीय चुनौतियों की एक कहानी छिपी हुई है। हाल के समय में हिमालय ने अभूतपूर्व और चिंताजनक चुनौतियों की एक शृंखला का सामना किया है जो उसके अस्तित्व को खतरे में डालती हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से हिमनदों के पिघलने एवं मौसम के पैटर्न में बदलाव आने से लेकर बड़े पैमाने पर शहरीकरण और अस्थिर विकास अभ्यासों तक, हिमालयी क्षेत्र को तबाही की एक लहर का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

हिमालय को संवहनीय बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन को समझना न केवल इस क्षेत्र के लिये चिंता का विषय बनकर उभरा है, बल्कि एक वैश्विक अनिवार्यता भी बन गया है। हिमालय की दुर्दशा पर वैश्विक स्तर पर तत्काल ध्यान देने और सहयोगात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है।

#### हिमालय की महत्ताः

- सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्वः हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म सिहत विभिन्न संस्कृतियों एवं धर्मों द्वारा हिमालय को एक पिवत्र और आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है।
  - हिमालयी क्षेत्र कई प्रतिष्ठित तीर्थ स्थलों, मठों और मंदिरों का घर है और प्राय: ध्यान, आत्मज्ञान, आत्म-खोज आदि से संबद्ध किया जाता है।
- जैव विविधता हॉटस्पॉट: हिमालयी क्षेत्र को विश्व के जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है और यह वैश्विक पारिस्थितिक संतुलन में योगदान देता है।
  - हरे-भरे वनों से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक, इसके विविध पारिस्थितिक तंत्र पादप एवं जंतु प्रजातियों की एक समृद्ध विविधता को आश्रय देते हैं, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिये विशिष्ट हैं।
- जल स्त्रोतः हिमालय के हिमनद (glaciers) और हिमक्षेत्र (snowfields) गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यांग्त्जी जैसी प्रमुख निदयों के लिये जल स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ये निदयाँ दक्षिण एशिया में लाखों लोगों के जीवन एवं आजीविका में योगदान करती हैं।
  - इन निदयों का जल कृषि, जलिबद्युत उत्पादन और अनुप्रवाह क्षेत्र में स्थित शहरी केंद्रों को सहारा देता है।
- जलवायु विनियमनः हिमालय आसपास के क्षेत्रों और उससे परे भी जलवायु को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे मानसून पैटर्न को प्रभावित करते हैं जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में जीवनदायिनी वर्षा लाते हैं।
  - हिमालय के हिमनद वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संवेदनशील संकेतक भी हैं।
- भू-वैज्ञानिक महत्त्वः हिमालय की उत्पत्ति इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच जारी टकराव का परिणाम है। इस भूवैज्ञानिक प्रक्रिया ने भूदृश्य को आकार दिया है और इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधि को प्रभावित करना जारी रखा है।
  - हिमालय का अध्ययन पृथ्वी की विवर्तनिक शिक्तयों के बारे
     में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और पर्वत निर्माण की गितशीलता को समझने में वैज्ञानिकों की मदद करता है।

#### अनियंत्रित शहरीकरण का हिमालय पर प्रभाव:

- दोषपूर्ण विकासः चमोली में भूस्खलन के बाद अवरुद्ध सड़कें, उत्तराखंड में जोशीमठ का धँसना, हिमाचल के चंबा में सड़क का धँसना आदि हिमालयी क्षेत्र में संस्थागत दोषपूर्ण विकास प्रतिमान का प्रतीक हैं।
  - इसरो (ISRO) के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (National Remote Sensing Center) के एक अध्ययन से पता चला है कि रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले देश के सबसे अधिक भुस्खलन प्रभावित जिले हैं।
  - एक विशाल अवसंरचना पिरयोजना 'चारधाम महामार्ग विकास पिरयोजना' लाखों वृक्षों की कटाई, वृहत वन भूमि के अधिग्रहण और संवेदनशील नाजुक हिमालयी क्षेत्र की उपजाऊ ऊपरी मृदा की क्षित का कारण बनी है।
- अनियमित पर्यटन: पर्यटन आर्थिक लाभ उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अनियंत्रित पर्यटन स्थानीय संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र पर दबाव भी डाल सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों पर पर्यटन और ग्रामीण से शहरी प्रवास (rural-to-urban migration) का बोझ उनकी वहनीय क्षमता से अधिक दबाव डाल रहा है।
  - अकेले 2022 में ही तीर्थयात्रियों सिंहत 100 मिलियन पर्यटकों ने उत्तराखंड की यात्रा की। विशेषज्ञ चेतावनी देते रहे हैं कि क्षेत्र की वहन क्षमता से अधिक अनियमित पर्यटन विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
- बढ़ता तापमानः हिमालय अन्य पर्वतमालाओं की तुलना में अधिक तीव्र गित से गर्म हो रहा है। भवन निर्माण में प्रबलित कंक्रीट (reinforced concrete) का बढ़ता उपयोग, जो पारंपरिक लकड़ी और पत्थर के प्रयोग को प्रतिस्थापित कर रहा है, हीट-आइलैंड प्रभाव (heat-island effect) उत्पन्न कर सकता है जिससे क्षेत्रीय तापन/वार्मिंग में और वृद्धि होगी।
- सांस्कृतिक क्षरण: पारंपिरक हिमालयी समुदायों की विशिष्ट सांस्कृतिक प्रथाएँ और जीवनशैली रही हैं जो उनके प्राकृतिक पिरवेश से निकटता से संबद्ध हैं। असंवहनीय शहरीकरण पारंपिरक ज्ञान, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के क्षरण का कारण बन रहा है।

## हिमालय से संबंधित पारिस्थितिकी चुनौतियाँ:

 जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का पिघलनाः हिमालय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे अनुप्रवाह में नदियों में जल की उपलब्धता प्रभावित हो रही है।

- यह उन समुदायों के लिये उल्लेखनीय जोखिम पैदा करता है जो कृषि, पेयजल और जलविद्युत के लिये हिमनदों के पिघले जल पर निर्भर हैं।
- ब्लैक कार्बन का संचयः ग्लेशियरों के पिघलने का सबसे बड़ा कारण वायुमंडल में ब्लैक कार्बन एरोसोल (black carbon aerosols) का उत्सर्जन है।
  - ब्लैक कार्बन प्रकाश का अधिक अवशोषण करता है और इंफ्रा-रेड विकिरण उत्सर्जित करता है जिससे तापमान बढ़ता है; इस प्रकार, हिमालयी क्षेत्र में ब्लैक कार्बन में वृद्धि ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने में योगदान करती है।
  - गंगोत्री हिमनद पर काले कार्बन का जमाव बढ़ रहा है, जिससे इसके पिघलने की दर बढ़ रही है। गंगोत्री सबसे तेज़ी से सिकुड़ता हिमनद भी है।
- प्राकृतिक आपदाएँ: हिमालय युवा व विलत पर्वतमाला है जिसका अर्थ है कि वे अभी भी ऊपर की ओर बढ़ रही है और विवर्तिनक गतिविधियों (tectonic activities) के लिये प्रवण है। इससे यह क्षेत्र भूस्खलन, हिमस्खलन और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
  - जलवायु परिवर्तन इन घटनाओं की आवृत्ति और गंभीरता को बढ़ा सकता है, जिससे जीवन की हानि, संपत्ति की क्षिति और अवसंरचना में व्यवधान की स्थिति बन सकती है।
- मृदा अपरदन और भूस्खलनः वनों की कटाई, निर्माण गतिविधियाँ और अनुपयुक्त भूमि उपयोग अभ्यासों से मृदा अपरदन एवं भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
  - वनस्पित आवरण की हानि हिमालयी ढलानों को अस्थिर कर देती है, जिससे वे भारी वर्षा या भूकंपीय घटनाओं के दौरान अपरदन/कटाव के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
- आक्रामक प्रजातियों का विकास: तापमान वृद्धि के साथ आक्रामक प्रजातियों (Invasive Species) के लिये नए पर्यावास उपलब्ध हो जाते हैं, जो हिमालयी क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीवों पर हावी हो सकते हैं।
  - आक्रामक प्रजातियाँ पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बाधित करती हैं और स्थानीय प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डालती हैं।

## हिमालयी क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित सरकारी पहलें:

- सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन
   (National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem)
  - इसे वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था और यह 11 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सात पूर्वोत्तर राज्य एवं पश्चिम बंगाल) और 2 केंद्रशासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख) को दायरे में लेता है।

- यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change-NAPCC) के तहत क्रियान्वित आठ मिशनों में से एक है।
- सिक्योर हिमालय परियोजना (SECURE Himalaya Project):
  - यह वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम (Global Wildlife Program) के 'सतत विकास के लिये वन्यजीव संरक्षण और अपराध रोकथाम पर वैश्विक साझेदारी' (Global Partnership on Wildlife Conservation and Crime Prevention for Sustainable Development) वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम) का एक भाग है, जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility- GEF) द्वारा वित्तपोषित है।
  - यह उच्च हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र में अल्पाइन चरागाहों
     और वनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देता है।
- मिश्र समिति रिपोर्ट 1976:
  - एम.सी मिश्र (गढ़वाल क्षेत्र के तत्कालीन कमिश्नर) की अध्यक्षता में गठित समिति ने जोशीमठ में भूमि धँसाव पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किये।
  - सिमिति ने इस क्षेत्र में भारी निर्माण कार्य, सड़क मरम्मत एवं अन्य निर्माण के लिये बोल्डर हटाने हेतु विस्फोट करने या खुदाई करने और पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की।

## हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिये अन्य उपायः

- GLOFs के लिये NDMA दिशानिर्देशः अनियमित पर्यटन की समस्या को नियंत्रित करने के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority-NDMA) ने नियमों की एक शृंखला की अनुशंसा की है जो एक बफ़र जोन का निर्माण करेगी और हिमानी झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ (Glacial Lake Outburst Floods- GLOFs) के प्रवण क्षेत्रों और आस-पास के क्षेत्रों में पर्यटन को प्रतिबंधित करेगी ताकि उन क्षेत्रों में प्रदूषण के पैमाने को कम किया जा सके।
- सीमा-पार सहयोगः हिमालयी देशों को एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का निर्माण करने की आवश्यकता है जो हिमनद झीलों आदि से उत्पन्न जोखिमों की निगरानी करेगा और खतरों की पूर्व-चेतावनी देगा। यह पिछले दशक हिंद महासागर के आसपास स्थापित सुनामी चेतावनी प्रणालियों जैसा हो सकता है।

- इन देशों को पर्वतमाला और वहाँ की पारिस्थितिकी के संरक्षण के बारे में ज्ञान की साझेदारी एवं प्रसार करना चाहिये।
- शिक्षा और जागरूकताः यदि हिमालयी क्षेत्र के लोग अपने पर्वतीय परिवेश की भूवैज्ञानिक भेद्यता और पारिस्थितिक संवेदनशीलता के बारे में अधिक जागरूक होते तो वे निश्चित रूप से इसकी रक्षा के लिये कानूनों एवं विनियमों के अधिक अनुपालन के लिये बाध्य होते।
  - भारत और अन्य प्रभावित देशों को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में हिमालय के भूविज्ञान और पारिस्थितिकी के आधारभूत ज्ञान को शामिल करना चाहिये। यदि छात्रों को अपने पर्यावरण के बारे में शिक्षण प्रदान किया जाए तो वे जमीन से अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे और इसके बारे में अधिक जागरूक होंगे।
- स्थानीय स्वशासन की भूमिकाः हिमालयी राज्यों के नगर निकायों को भवन-निर्माण की मंजूरी देते समय अधिक सिक्रय भूमिका निभाने की आवश्यकता है; जलवायु परिवर्तन की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये भवन निर्माण संबंधी नियमों को अद्यतन करने की आवश्यकता है।
  - आपदा प्रबंधन विभागों को अपने दृष्टिकोण को अभिनव रुख प्रदान करने और बाढ़ की रोकथाम एवं पूर्व-तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है
- अन्य महत्त्वपूर्ण कदमः
  - आपदा के पूर्वानुमान और स्थानीय आबादी एवं पर्यटकों को सचेत करने के लिये पूर्व-चेतावनी और बेहतर मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का होना।
  - क्षेत्र की नवीनतम स्थिति की समीक्षा करना और ऐसी संवहनीय योजना तैयार करना जो संवेदनशील क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं एवं जलवायु प्रभावों का ध्यान रखती हो।
  - वाणिज्यिक पर्यटन के प्रतिकूल प्रभावों पर संवाद शुरू करना और पारिस्थितिक पर्यटन (ecotourism) को बढ़ावा देना।
  - िकसी भी परियोजना के कार्यान्वयन से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) जारी करना।
  - मौजूदा बाँधों की संरचनात्मक स्थिरता में सुधार के लिये उन्हें उन्नत करना और बाढ़ की घटनाओं के बाद नियमित निगरानी को प्राथमिकता देना।

# दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

- भारत में शहरी बाढ़ से संबंधित मुद्दों को बताते हुए बाढ़ के विभिन्न कारणों की चर्चा कीजिये। भारत में शहरी बाढ़ की समस्या के समाधान हेतु कुछ उपाय भी सुझाइये।
- भारत के संदर्भ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुँच, आर्थिक गितविधियों एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव का परीक्षण करते हुए सूचना प्रवाह एवं लोगों की अवैध गितविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के एक उपाय के रूप में इंटरनेट शटडाउन के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिये।
- भारत में डिजिटल समावेशन प्राप्त करने और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में समावेशी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPIs) के महत्त्व को बताते हुए इसके संभावित लाभों की चर्चा कीजिये।
- 'प्रोजेक्ट टाइगर' की भूमिका एवं प्रभावशीलता की चर्चा करते हुए भारत में बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित चुनौतियों एवं संभावनाओं पर विचार कीजिये।
- वैश्विक शासन में स्थानीय शासन के महत्त्व की चर्चा कीजिये। उदाहरण देकर बताएँ कि स्थानीय शासन वैश्विक समस्याओं को हल करने में कैसे योगदान कर सकता है।
- भारत में शिक्षा के क्षेत्र में बहुभाषावाद के लाभों और चुनौतियों की चर्चा कीजिये। भारत में बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कुछ नीतिगत अनुशंसाओं के साथ अभिनव मॉडल के सुझाव भी दीजिये।
- नीति आयोग की नवीनतम बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) रिपोर्ट के आलोक में ग्रामीण भारत के विकास की उपलब्धियों और चुनौतियों की चर्चा कीजिये।
- भारत में सांप्रदायिक हिंसा एक आवर्ती घटना है। टिप्पणी कीजिये।
- समाज के गरीब और कमजोर तबकों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) की उपलब्धियों और चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। इस योजना के कार्यान्वयन और प्रभाव में सुधार के लिये कुछ उपाय भी सुझाइये।
- भारत में लैंगिक रूप से उत्तरदायी शहरी नियोजन के महत्त्व और चुनौतियों की चर्चा कीजिये। भारतीय शहरों को सभी लिंग के लोगों के लिये अधिक समावेशी, सुरक्षित और संवहनीय बनाने के लिये कुछ उपाय सुझाइये।
- धारा 370 को हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के संवैधानिक एवं विधिक निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। यह संघीय ढाँचे तथा राज्य की पूर्ववर्ती विशेष स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करता है?
- प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, लाभप्रदता और प्रत्यास्थता को बढ़ाकर भारतीय कृषि को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती
   है। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये।
- मौजूदा आर्थिक चुनौतियों, आर्थिक सुधारों द्वारा प्रस्तुत अवसरों और उनके कार्यान्वयन से जुड़े सामंजस्य एवं जोखिमों का परीक्षण कीजिये।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण कृषि क्षेत्र से संलग्न महिलाओं के संदर्भ में सहयोगात्मक कार्रवाई एवं लैंगिक रूप से उत्तरदायी नीतियों की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। चर्चा कीजिये।
- भारतीय न्याय संहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 में उल्लिखित भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रस्तावित बदलावों (निरीक्षण) पर चर्चा कीजिये। इन प्रस्तावित बदलावों से संबंधित संभावित लाभों और चिंताओं का विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)।
- निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए हाल ही में प्रस्तुत किये गए 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023' से संबंधित मुद्दों की चर्चा कीजिये।
- तिमलनाडु का NEET विरोधी रुख केंद्र-राज्य संबंधों और चिकित्सा शिक्षा में समानता को कैसे प्रभावित करता है?
- विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चीन इस समय आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। इस संदर्भ में, भारत के लिये उपलब्ध संभावित अवसरों का विश्लेषण कीजिये तथा उन उपायों पर विचार कीजिये जो भारत ने इन अवसरों का लाभ उठाने के लिये किये हैं।

- जेनरेटिव AI के अनुप्रयोगों को रेखांकित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। इस संदर्भ में नकारात्मक परिणामों को संबोधित करते हुए अधिकतम लाभ उठा सकने के लिये नीतिगत दृष्टिकोणों के सुझाव दीजिये।
- हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं के आलोक में इसके अंतर्निहित कारकों एवं परिणामों को बताते हुए इसके प्रभावों को कम करने हेतु संभावित उपायों पर चर्चा कीजिये।
- भारत की सामाजिक सुरक्षा नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस आलोक में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये और उनके समाधान के उपाय सुझाइये।
- ''किसी कंप्यूटर को नैतिक बनाने के लिये इसकी प्रोग्रामिंग करना, विश्व-चैंपियन शतरंज खेलने के लिये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करने से कहीं अधिक कठिन है।'' चर्चा कीजिये।
- वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप विभिन्न राजनीतिक संकटों से जूझ रहा है। इस संदर्भ में भारत पर इन संकटों के संभावित प्रभावों की चर्चा कीजिये और उन रणनीतियों पर प्रकाश डालिये जिन्हें भारत इस क्षेत्र में स्थिरता बनाये रखने में योगदान हेतु अपना सकता है।
- क्लीनटेक (CleanTech) को प्राय: सतत् विकास के लिये और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये एक महत्त्वपूर्ण प्रवर्तक के रूप में देखा जाता है। क्लीनटेक को अपनाने से संबद्ध लाभों एवं चुनौतियों की चर्चा कीजिये और इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिये उपयुक्त उपायों को बताइये।
- हाल के घटनाक्रमों के आलोक में भारत के राजकोषीय संघवाद पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये। भारत में राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों और अभ्यासों में सुधार के लिये कुछ उपाय सुझाइये।
- अनियंत्रित और दोषपूर्ण शहरीकरण के संदर्भ में हाल के समय में हिमालयी क्षेत्र के समक्ष उभरी प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये।

